खण्ड-291, अंक-7
सोमवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1893
(23 अगस्त, 1971 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 291 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८२९–८३३
प्रश्नोत्तर	८३३–८५४
मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	८५४–८५५
देवरिया जिले की उर्मिला नामक लड़की की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	८५५
प्रदेशीय सरकार द्वारा खर्चे में मितव्ययिता करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	८५५–८५६
विविध विषय	८५६–८५७
लोक लेखा समिति आदि समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना	८५८
संविधान में संशोधनों के अनुसमर्थन हेतु विधेयक के सम्बन्ध में जानकारी ..	८५८
श्री सुखपाल पांडेय द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रार्थना (जारी)	८५८–८५९
होम्योपैथिक कालेज के छात्रों के डेपूटेशन से मिलने हेतु चिकित्सा मन्त्री से प्रार्थना	८५९–८६०
श्री सुखपाल पांडेय द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रार्थना	८६०–८६१
सदस्यों द्वारा अपने-अपने जिलों में बाढ़ की विभीषिका के सम्बन्ध में सूचनाएं	८६१–८६३
पुलिस की लापरवाही के कारण मुजफ्फरनगर जेल में तीन व्यक्तियों को बन्दी बनाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	८६३–८६६
१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ६—स्टाम्प (स्वीकृत)	८६६
अनुदान संख्या ७—निबन्धन (स्वीकृत)	८६७
अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मण्डल (स्वीकृत)	८६७–८६८
अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशन (स्वीकृत)	८६८
अनुदान संख्या ५२—पेंशनों का राशि मूल्य (स्वीकृत)	८६८–८६९
अनुदान संख्या ४—बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या ५४—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (जारी)	८६९–९१६
बाढ़ के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	९१६
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	९१६–९१७
श्री इस्लाम अहमद, आई०जी० को राष्ट्रपति पदक दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी	९१७
थाना कलान, जिला शाहजहांपुर के दरोगा श्री फेनी सिंह द्वारा श्री झब्बू सिंह की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	९१७–९२४
नत्थियां	९२५–९३२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २३ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभामण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्मा राम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६७

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिल बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिल गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी

गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन नाथ खन्ना, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री

बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगौती, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री

मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्रदत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामकुमार, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामवचन यादव, श्री (जिला आमजगढ़) फूलपुर),
राम बिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पांडेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
रामहर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लासला प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पाण्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दरलाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री

सन्तूराम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखबीर, श्री
सुखपाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्य नाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज उर्फ 'हंसा', श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरी वंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री,
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट :—पंचायती राज मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २३ अगस्त, १९७१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले अध्यापकों के अवकाश प्राप्ति का समय

**१—श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा २६ मार्च, १९६८ के पत्र संख्या एफ-१-६-बी०एस०ई०-६ के द्वारा सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले अध्यापकों के अवकाश प्राप्ति का समय ५ वर्ष बढ़ा दिया जाय ? यदि हां, तो क्या प्रदेशीय शासन में जिला स्वायत्त संस्थाओं को आदेश भेजे हैं कि वे भी उक्त परिपत्र का पालन करें ?

शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

जी हां ।

मामला अभी तक विचाराधीन है इसलिए कोई आदेश नहीं भेजे गये ।

तृतीय वेतन आयोग के लिये गठित समिति के समक्ष पेंशनर्स के मामले

**२--श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

क्या राज्य सरकार ने तृतीय वेतन आयोग के लिए गठित समिति के समक्ष पेंशनर्स के केसेज रखने की अनुमति दी है ? क्या यह समिति बढ़ती हुई महंगाई के कारण पेंशनरों को भी महंगाई भत्ता दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी)--

जी नहीं। वतन आयोग के विचारणीय विषयों में पेंशनर्स का मामला सम्मिलित नहीं है। आयोग केवल सेवारत कर्मचारियों की उपलब्धियों पर विचार करने के लिए गठित किया गया है।

श्री रामगोपाल सन्ड--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने तृतीय वेतन आयोग के समक्ष अपने पेंशनर्स के केस को भी विचारार्थ भेजा था,तो क्या यह सरकार भी अपनी राजाज्ञा में संशोधन कर इनके केस को कमीशन के समक्ष विचारार्थ भेजेगी ?

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

मुझे खेद है कि, वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना सम्भव नहीं है।

श्री रामगोपाल सण्ड--

आपने खेद जरूर व्यक्त किया, मगर मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि केन्द्र और राज्य के पेंशनर्स के समक्ष एक सी कठिनाइयां हैं, ऐसी हालत में क्या वे उनके केस पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय सदस्य को मालूम है कि केन्द्र के और प्रदेश के संसाधनों में बड़ा अन्तर है, इसलिये इस पर विचार करना सम्भव नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

यह देखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने अपने पेंशनर्स के लिए एडहाक बेसिस पर वृद्धि की है तथा इस समय जो आयोग यहां बैठा है वह अन्य कर्मचारियों के प्रश्न पर विचार कर ही रहा है, तो इस प्रश्न को भी कमीशन को भेजने के लिए क्या मन्त्री जी पुनः विचार करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सम्मानित सदस्यों को ज्ञात होगा कि सरकार ने अभी कुछ दिन हुए कम से कम ३० रुपये पेंशन करने की घोषणा की थी। सरकार अपने संसाधनों को देखते हुये समय-समय पर विचार करती भी रही है। यदि भविष्य में परिस्थिति ठीक होगी तो बिना आयोग को रिफर किये हुये ही, यह सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

देहरादून के असोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित करके इसी विषय का एक प्रस्ताव आपके पास भेजा है जिसमें यह मांग की है कि केन्द्रीय सरकार के पेंशनर्स की तरह यहां भी मिनिमम पेंशन ६० रुपये और १० रुपये का एडहाक इंक्रीमेंट कर दिया जाय, सरकार उस पर विचार करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सम्मानित सदस्य की सूचना सही हो सकती है, मगर मेरे पास उसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मन्त्री जी महंगाई को देखते हुए पेंशनर्स की मांगों के औचित्य को स्वीकार करते हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जो औचित्य है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सन्साधनों की वर्तमान स्थिति में वृद्धि सम्भव नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मन्त्री जी को यह ज्ञात है कि उनकी यह मांग है कि एडहाक इंक्रीज १०रुपया कर दी जाये, तो इस पर आप विचार करेंगे या नहीं ? दूसरे उन्होंने कुछ सुविधाओं की मांग की है कि जैसे सरकारी कर्मचारियों को जो मेडिकल सुविधाएं दी जाती है, वे भी उनको मिले, क्या इन सुविधाओं को देन पर आप विचार कर सकेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामगोपाल सण्ड--

जो माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक हैं उनको २-१०-६५ से पेंशन मिलती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो उसके पूर्व रिटायर हुए हैं--जो ५--७ हजार जीवित हैं, उनको भी पेंशन देने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा विस्तृत है, यह प्रश्न तो एक सीमित क्षेत्र का प्रश्न था। इसलिए इसका उत्तर देने में स्थिति में नहीं हूं।

सहायक आयुक्त, विक्रीकर के पदों पर पदोन्नति

**३--श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

क्या वित्त मन्त्री नोटीफिकेशन संख्या/४२/४/६६, दिनांक ६ अक्तूबर, १९७० को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? क्या यह सही है कि राज्यादेश दिनांक ९ फरवरी, १९७१ के द्वारा जो सहायक आयुक्त बिक्री-कर के पदों, पर १० पदोन्नति की गई है वे उपर्युक्त नियमों के विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

अधिसूचना संख्या† ४२-४-६६-दिनांक ६ अक्तूबर, १९७० की प्रतियां संलग्न हैं।

बिक्री-कर के मामलों में अपीलों की बढ़ती हुई संख्या को देखत हुए और उनके शीघ्र निस्तारण की व्यवस्था करने के लिए बिक्री-कर विभाग में सहायक आयुक्त (न्याय) के १० अस्थाई पद सृजित किये गये। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ के नियम ६ (ग) के अनुसार एक वर्ष से कम अवधि के अल्पकालीन पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य नहीं है। शासन की सामान्य नीति भी इन परिस्थितियों में एक वर्ष तक तदर्थ रूप से "ज्येष्ठता, अनुपयुक्त को अस्वीकृत करत हुए" के सिद्धान्त पर नियुक्तियां करने की हैं। इसी आधार पर य नियक्तियां की गयीं।

अब नियमित चयन लोक सेवा आयोग के परामर्श से उपरिलिखित अधि सूचना के प्राविधानों के अनुसार किया जा रहा है। अतः प्रारम्भिक तदर्थ नियुक्तियों म उक्त अधि-सूचना के नियमों के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९२५ पर)

श्री शिवराज सिंह---

क्या प्रश्नगत नियुक्तियों को करने के समय सरकार ने निश्चित रूप से इस बात का मूल्यांकन कर लिया था कि इन पदो पर इन व्यक्तियों की एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी---

श्रीमन्, १० पदों का सृजन किया गया था और १० के लिये ही चयन किया गया था।

श्री शिवराज सिंह---

श्रीमन्, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मेरा निश्चित रूप से प्रश्न यह था कि प्रश्नगत नियुक्तियों को करते समय क्या सरकार ने निश्चित रूप से इस बात का मूल्यांकन कर लिया था कि इन पदों पर इन व्यक्तियों की एक वर्ष से अधिक के लिये आवश्यकता नहीं पड़ेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, जिस समय यह नियुक्तियां की गई थीं, उस समय इस बात का आभास जरूर कर लिया गया था कि अधिक के लिये भी यह नियुक्तियां होंगीं।

श्री शिवराज सिंह---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, १९५४ के विनियम ३ (ग) के नीचे दिये गये उदाहरण के अनुसार यदि एक वर्ष से अधिक के लिये आवश्यकता हो तो इस प्रकार का मूल्यांकन इस विनियम को प्रयोग करने से पहले कर लिया जाय और लोक सेवा आयोग से परामर्ष करके ही नियुक्ति की जाय ? यदि हां, तो क्या इसका पालन इस केस में किया गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह जो नियम का उद्धरण दिया गया है वह सही है, लेकिन ऐसा होता रहा है कि एक वर्ष से कम की अवधि के लिये भी आवश्यकता है और काम को शीघ्रतापूर्वक चलाना है तो जो उपर्युक्त नियम हैं उनके अनुसार अस्थायी नियुक्तियां ज्येष्ठता के आधार पर होती है और अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये यह नियुक्तियां की जाती हैं, और जैसा कि कहा गया है अब चयन के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों के आधार पर बिक्री-कर के मामले बढ़ते जा रहे हैं इन पदों को स्थायी बनायेंगे और लोक सेवा आयोग की अनुमति लेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जी हां। ऐसा किया जा रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन दस व्यक्तियों की पदोन्नति हो गयी है और इन दस व्यक्तियों की पदोन्नति नियमानुसार नहीं हुई है, यदि वे लोक सेवा आयोग द्वारा ऐप्रूव नहीं

हुये और ये पद एक साल से ज्यादा बढ़ाये गये तो क्या इन लोगों का लियन नहीं होगा, क्या वे क्लेम नहीं करेंके कि इनको प्राथमिकता दी जाय ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

सरकार ने ८ फरवरी, १९७१ को यह व्यवस्था की थी, जो यह व्यवस्था हुई है ज्येष्ठता अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुये मांपदंड के आधार पर हुई है । लोक सेवा आयोग नया चुनाव करेगा। जिन व्यक्तियों की नियुक्ति हुई है वह लोक सेवा आयोग के सामने दरख्वास्त दें। यदि उनका अतिक्रमण होता है तो लोक सेवा आयोग को अधिकार है, अतिक्रमण करे या न करे।

श्री शिवराज सिंह--

माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, १९७० के नियम १३ (१) के अनुसार सरकार ने सूची "क" और "ख" तैयार की है, यदि हां, तो उसमें कितने-कितने अभ्यर्थी हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री शिवराजसिंह--

नियमावली के नियम १३ (१) के अनुसार दो प्रकार की सूचियां तैयार करना अनिवार्य है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया), १९७० जिसको माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न किया है, उसके नियम १३ (१) के अनुसार सूची "क" और "ख" विभाग द्वारा तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसमें कितने-कितने अभ्यर्थी हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कुल मिलाकर २१ व्यक्तियों की सूची तैयार की गयी थी। इनमें से ११ जो अधिकारी थे इन अधिकारियों को ज्येष्ठ होते हुये भी अनुपयुक्त समझा गया इसलिये पदोन्नति नहीं दी गयी ?

श्री शिवराज सिंह--

यह तो उत्तर दूसरा हो गया सवाल दूसरा था। यह जो नियावली प्रश्न के उत्तर के साथ लगायी गयी है इन मियमावली के नियम १३ (१) के अनुसार दो प्रकार की सूची विभाग में होनी चाहिये "क" और "ख"। "ख" सूची उन व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं जिनकी स्थायी नियुक्तियां होती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी के विभाग के अन्दर इस प्रकार की दो सूची, "क" और "ख" जैसा कि नियमावली के अनुसार होना चाहिये हैं या नहीं ? यदि हैं, तो सूची "ख" के अन्दर कितने अभ्यर्थी हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह स्पष्ट है,ऐसी कोई सूची नहीं है । अगर ऐसी सूची होती तो इस प्रकार की नियुक्तियां अस्थायी क्यों होतीं ?

रुहेलखण्ड व फैजाबाद के किसी जिले में विश्वविद्यालय खोलना

**४--श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है या बनाने जा रही है जिसके अन्तर्गत रुहेलखंड डिवीजन के किसी जिले में एवं फैजाबाद के डिवीजन में किसी जिले में विश्वविद्यालय खोलने जा रही है जिन डिवीजनों में कोई विश्वविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं तो क्यों नहीं है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। सरकार आवश्यकता नहीं समझती।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

*१--श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री अहमद लूत खां (जिला अलीगढ़)--

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना को समाप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन आधार पर ग्रामीण विद्युतीकरण किया जा रहा है और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र स्याना (जिला बुलन्दशहर) के बड़े-बड़े ग्रामों हाजीपुर, जलालपुर, माकड़ी बरहोना, कमालपुर, बुक्लाना, गिरौरा, जिनकी जन संख्या ३-३ और ४-४ हजार से भी अधिक है, का अब तक विद्युतीकरण किन कारणों से नहीं किया गया ?

विद्युत् राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

जी नहीं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में १५,००० गांवों में बिजली पहुंचाने तथा 2 लाख निजी नलकूपों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष १९७१-७२ में २००० ग्रामों तक बिजली पहुंचाने तथा ५० हजार निजी नलकूपों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण का मूल आधार लागत पर १५ प्रतिशत (प्रति लाभ) का उपलब्ध होना है। राज्य विद्युत परिषद् को अमुक ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये सर्वेक्षण कराने का निदेश दे दिया गया है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

माननीय मंत्री जी ने मेरे इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर नहीं दिया। आप अन्तिम दो पंक्तियों को देखने का कष्ट करें। मैंने पूछा है, जिनकी जनसंख्या ३-३ और ४-४ हजार से भी अधिक है का अब तक विद्युतीकरण किन कारणों से नहीं किया गया ? उन्होंने कारण नहीं बताये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, गांव की जनसंख्या के आधार पर बिजली नहीं दी जाती बल्कि डिमांड जो सिंचाई के लिए होती है उसके आधार पर विद्युतीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

क्या सरकार का उद्देश्य १५ परसेंट रिटर्न हासिल करना है या छोटे तथा बड़े गांव के कूचों तक बिजली पहुंचाना है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

सिंचाई की समस्या को पूरा करना मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ-साथ ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत हर गांव में बिजली पहुंचाने का भी प्राविधान है। इसमें विद्युत परिषद् का निर्णय है कि १०, १५ परसेंट रिटर्न भी हो।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

जिला बुलन्दशहर में वित्तीय वर्ष १९७१-७२ में अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जिला बुलन्दशहर में इस वर्ष ६० गांवों में कम से कम बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जो उपर्युक्त गांवों की ओर संकेत किया है उनके सम्बन्ध में

विद्युत् परिषद् को शीघ्र सर्वेक्षण कराने का आदेश दे दिया गया है ताकि वहां बिजली पहुंचाने का प्रबन्ध हो सके ।

श्री कृष्णानन्द राय--

सन् १९७१-७२ के लिए कितने करोड़ रुपये की ग्रामीण विद्युत परियोजना सरकार ने स्वीकृत की है और उसके लिये आवश्यक धन उपलब्ध है या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

योजनायें स्वीकृत हो रही हैं और उनके आधार पर जो धन स्वीकृत होता है उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

माननीय मंत्री ने कहा कि प्रश्नकर्ता ने जिन गांवों का अपने प्रश्न में उल्लेख किया है उनके लिये आदेश भेज दिये गये हैं सर्वे करने के लिये तो माननीय सदस्य यहां प्रार्थना पत्र देते हैं तब सर्वे के आदेश दिये जाते हैं या कोई इस प्रकार के स्पष्ट आदेश हैं जिनके आधार पर सर्वे किया जाता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यहां माननीय सदस्य सदन में जो कहते हैं उनके आधार पर विद्युत परिषद् से अनुरोध किया जाता है कि वह उन स्थानों का सर्वेक्षण करें और सिंचाई के लिये विद्युतीकरण क्यों नहीं किया गया इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का नियम है कि १५ परसेंट रिटर्न जिस गांव से होता है वहां रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अन्तर्गत बिजली मुहैया की जाती है तो इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार समस्त जिलों के रूरल इलक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अन्तर्गत एक्जक्यूटिव इंजीनियरर्स को यह आदेश देगी कि जिन गांवों मे ये शर्तें पूरी हो गयी ह वहां किसी निश्चित समय के अन्दर इलैक्ट्रिफिकशन कर दिया जायगा ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यदि कोई ऐसी सूचना मिलेगी तो अवश्य निश्चित आदेश दिये जायगे ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां--

इस वित्तीय वर्ष के ५ महीने गुजरने वाले हैं तो जिला बुलन्दशहर मे कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

ऐसी कोई सूचना नहीं है । इसकी सूचना में एकत्रित करके दे दूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मैंने पहले प्रश्न यह पूछा था कि कौन से नियम हैं और क्या किसी प्रकार के कोई स्पष्ट आदेश सरकार अथवा राज्य विद्युत परिषद् की तरफ से जिलों को गये हुये हैं जिनके आधार पर वे गावों का विद्युतीकरण करते हैं ? जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जहां १५ परसेंट रिटर्न हो जाय तो यह सर्वे किस आधार पर किया जाता है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

जब सर्वे होता उसमें इस बात पर विशेष जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है कि सिंचाई के लिये कितने लोग पावर लेने वाले हैं और डेमोस्ट्रेटिक यूज के लिये कितने लोग पावर लेने वाले हैं । इसी आधार पर ५ प्रतिशत रिटर्न का निर्णय किया जाता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

रबी फसल का अनाज खरीदने का लक्ष्य

*१—श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर), श्री कल्पनाथ सिंह (जिल गोरखपुर), श्री मैनजर सिंह (जिला बलिया) तथा श्री सदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष रबी के अनाज खरीदने का क्या लक्ष्य रखा गया है और प्रत्येक अनाज का भाव क्या निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि किसानों के कृषि के लिये जरूरत के सामानों के दाम पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बढ़ गये हैं ? यदि हां, तो बढ़ोत्तरी का प्रतिशत क्या है ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

प्रारम्भ में रबी की फसल से ६.५० लाख टन गेहूं की खरीदारी का लक्ष्य इस शर्त के साथ निर्धारित किया गया था कि यदि निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अन्दर आने वाले गेहूं की संरक्षण मूल्य पर उपलब्धता होगी तो खरीद जारी रहेगी। तद्नुसार गेहूं की उपलब्धता होने पर यह लक्ष्य पहले ८.०० लाख टन बढ़वाया गया और बाद में जुलाई १९७१ के अन्त तक खरीद के लिये ९.५० लाख टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित करवाया और साथ ही इस बात का भी निर्णय लिया गया कि लक्ष्य की पूर्ति के बाद भी कृषकों को संरक्षण मूल्य देने के उद्देश्य से खरीदारी पूरे वर्ष जारी रहेगी और इसी आधार पर खरीदारी अब तक १०.९२ लाख टन हो गई है।

२—केवल गेहूं की खरीदारी का निर्णय लिया गया था। विभिन्न श्रेणियों के गेहूं की खरीदारी के भाव संलग्न तालिका में है :

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३२ पर)

३—कृषकों द्वारा कृषि के लिये प्रयोग किये जाने वाले सिंचाई, बिजली तथा उर्वरक के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि यूरिया का दाम २.२ प्रतिशत कम ही हुआ है। कुछ कृषि रक्षा यंत्रों, कृषि रक्षा रसायनों तथा कृषि यंत्रों के मूल्य में वृद्धि हुई है, जो अलग अलग ५ प्रतिशत से ३६ प्रतिशत तक है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, सर्व प्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने केवल गेहूं की खरीदारी का फैसला क्यों किया और बाकी उसको भी खरीदने का फसला क्यों नहीं किया ?

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री बेनी सिंह)—

मान्यवर, सरकार द्वारा गेहूं के अलावा कोई अन्य अनाज को खरीदन का लक्ष्य नहीं रखा गया था। क्योंकि उन्हें साधारण बाजार से खरीदा जाता है। हमने ज्यादा से ज्यादा गेहूं पैदा करने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा उसका रिटर्न खरीदने का ही प्रयास किया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, यही तो मैंने पूछा था कि सरकार ने और अनाजों पर प्राइस सपोर्ट देने की नीति क्यों नहीं चालू रखी ताकि काश्तकार दूसरे अनाज भी पैदा कर सके। तो मैं यह जानकारी चाहता हूं कि जो नीति गेहूं के बारे में अख्तियार की गई, वही दूसरे अनाजों के बारे में क्यों नहीं की गई ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

हमारी मुख्य पैदावार गेहूं है इसलिए उसी को संरक्षण देने की कोशिश की गई। यदि आप कहेंगे तो उस पर भी विचार कर लिया जायगा।

श्री राम प्यारे--

क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि अब उन्होंने स्वयं ही अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि औजारों और मशीनों का मूल्य ५ से ३६ प्रतिशत तक बढ़ गया है तो क्या उसी के अनुरूप वे गेहूं के भावों में परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह--

मान्यवर, गेहूं का भाव भारत सरकार से नियंत्रित होता है । पिछले साल भी उन्होंने इसके भाव को कम करने के लिये कहा था कि चूंकि इसकी पैदावार बढ़ गई है इसलिये इसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिये किन्तु इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं माना है क्योंकि इसका भाव पहले ही ७६ और ७४ चल रहा था । अतः अभी वही भाव चल रहा है । गवर्नमेंट आफ इंडिया इसको नियंत्रित करती है ।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

मंत्री जी ने कहा कि गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिये उसको खरीद रहे हैं क्या उनको जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल ज्यादा होता है तो वहां से उसको भी क्यों नहीं खरीदते हैं और कवर करते हैं ?

श्री बेनी सिंह--

यह प्रश्न रबी के अनाजों के लिये था, चावल के संबंध में नहीं था । अगर सूचना देंगे तो पूरी जानकारी आपको देंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय--

मुझे सूचना है कि गेहूं की खरीद निर्धारित मूल्य पर पूर्वी जिलों में नहीं हुई है, तो स्पष्ट-रूप से बतायेंगे कि किसानों से निर्धारित मूल्य पर पूर्वी जिलों में जो भी कोई गेहूं बेचना चाहेगा उसको सरकार लेने की स्थिति में है ?

श्री बेनीसिंह--

इसको बार-बार में कह चुका हूं, फिर कहता हूं और हर बार दोहराता हूं और इसमें भी दोहराया है कि जबतक गेहूं मिलता जायगा और पूर्वी जिलों. . . .

श्री कृष्णानन्द राय--

हजार बार दोहराया होगा, लेकिन मुझे पक्की जानकारी है कि हम लोगों की तरफ कोई भी गहूं की खरीद नहीं हो रही है और ५५-६० रुपये भी गेहूं के दाम नहीं मिल रहे हैं,आप हमारी सूचना को मान नहीं रहे हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

अगर कृष्णानन्द राय जी हमको समय दें तो जिलेवार बता सकता हूं कि किस जिले में इस प्राइस सपोर्ट के अन्दर कितनी खरीदारी हुई है ।

श्री कृष्णानन्द राय--

पढ़ने में देरी होगी, उसको सदन की मेज पर रखवा दें, हम कल उस पर प्रश्न कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

सूची रखवा दीजिये ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

इस बात पर विचार करेंगे कि चूंकि गेहूं के और काश्तकार की उपज के दाम बहुत गिर गये हैं और काश्तकारी के यंत्रों के दाम बहुत बढ़ गये हैं तो उनके लिये सबसीडी का इन्तजाम करेंगे-फर्टिलाइजर, बीज वगैरह का ताकि वह फ्लड के हालात को देखते हुये आगे के वास्ते बुवाई कर सके ?

श्री बेनीसिंह---

हमारे उत्तर को देखे जो हमने कहा है कि कुछ चीजों के दाम बढ़े हैं, कुछ के घटे हैं, अधिकतर सामान्य रूप में हैं । जहां तक हम मदद कर सकें वह करेंगे, लेकिन किस चीज ने सबसीडी देंगे, किस में नहीं देंगे यह तो बाद की बात होगी, इसपर हमने विचार नहीं किया है, क्योंकि कुछ चीजें घटी हैं, कुछ बढ़ी है और कु,छ सामान्य चलती रहीं । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि गेहूं कि खरीदारी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसकी भी मंशा थी कि चूंकि गेहूं खराब हो गया है, बाजार में उसका भाव बहुत कम मिलेगा इसलिये भाव गिरने न पाये इसलिये लक्ष्य निर्धारित किया था, तो सरकार ने जो, जौ-चने के संबंध में अपनी नीति बतलाई है तो क्या सरकार का खयाल नहीं गया कि जब गेहूं खराब हुआ होगा तो दूसरे अनाज खराब नहीं हुये होंगे, तो क्या दोनों को देख कर नीति निर्धारित नहीं की गयी है कि किसका नुक्सान होगा ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

श्रीमन्, ऐसा है कि जैसे ही गेहूं कटा पानी बरसा और गेहूं की फसल तबाह हुई । चना और मटर की फसल कट चुकी है इसलिये सोचा गया कि चना और मटर किसान के घर में पहुंच गया होगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, खाद्य मंत्री जी ने बताया कि अभी तक १० लाख ९२ हजार टन अनाज खरीदा जा चुका है । दोनों मंत्रियों को जानकारी है और सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को जानकारी है कि किसान को निश्चित मूल्य नहीं मिल सका है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कितना निर्धारित मूल्य पर खरीदा और कितने कम भाव पर खरीदा गया ?

श्री बेनी सिंह---

श्रीमन्, यह बताना बड़ा मुश्किल है क्यों कि एफ०सी०आई० के एजेन्ट्स के मार्फत खरीदा है । किस एजेंट ने किस काश्तकार से किस भाव पर खरीदा और कितना खरीदा । हमारे पास इसकी इत्तिला नहीं है और न इसकी संभावना है कि हम दे सकें ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, सरकार का यह कहना है कि कुछ कृषि यंत्रों के दाम बढ़े हैं ५ प्रतिशत से लेकर ३६ प्रतिशत तक तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को जानकारी है कि १९६९ में सिंचाई के रेट २५ प्रतिशत और ट्यूबवेल्स के रेट्स ड्योढ़े यानी ५० प्रतिशत बढ़ें और अगर बढ़े तो इसका मतलब यह है कि काश्तकार कृषि उत्पादन के लिये जो साधन मुहया करता है उसके दाम बढ़े और गेहूं के दाम घटे तो क्या सरकार ऐसा इंतजाम करेगी जिससे उसके उत्पादन की लागत घट ?

श्री बेनी सिंह---

मान्यवर, माननीय कल्पनाथ सिंह जी के सवाल को देखें तो उसमें इस साल की बात है और जो आपने बताया कि दाम बढ़े तो यह ६८-६९ की बात है । हम १९७०-७१ की बात कर रहे हैं इसमें पानी और बिजली की दर में वद्धि नहीं हुई है । ६८-६९ के संबंध में अगर आप नोटिस देंगे तो हम बता सकेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, अगर मैं यह पूछता तब तो कहता कि मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं । लेकिन मनें यह कहा १९६९ में सिंचाई रेट बढ़े इसको वे कबूल करते हैं तो सीधा मतलब है कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि उत्पादन की लागत घटाई जाय ? श्रीमन्, सारे प्रदेश के किसान तबाह हो रहे ह और कृषि की लागत बढ़ रही है । आप इस पर एक दिन के लिये नियम ५२ में बहस की इजाजत दे दीजिये और इस पर चर्चा करा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

एक दफा मैंने इजाजत दे दी है । इस पर बहस हो चुकी है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्री अध्यक्ष जी, एक प्रार्थना थी कि जो सूची सदन की मेज पर रखने की आपने इजाजत दी थी उसको मंत्री जी ने नोट नहीं किया है । उसको मेज पर रखवा दीजिये ।

देशी शराब की दुकानों की नीलामी

*२---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, १९७१ में हुए देशी शराब की दूकानों के नीलाम के लिये नियत की गई तथा प्रकाशित की गई तिथियों में परिवर्तन करके सहारनपुर की नीलामी पहले तथा देहरादून की बाद में कराने का आदेश देने के कारणों की जांच करायेंगे तथा उसके परिणाम से सदन को अवगत करायेंगे ?

आबकारी उपमंत्री (श्री रामपूजन पटेल)---

यह सही है कि देशी शराब तथा मांग की दूकानों के लिये वर्ष १९७१-७२ के लिये नीलाम के लिये निश्चित की गई तथा प्रकाशित तिथियों में परिवर्तन किया गया और सहारनपुर जिले की नीलाम की तिथियां जो पहल देहरादून जिले की नीलाम की तिथियों से बाद में थी, पहिले कर दी गयी । शासन ने इस परिवर्तन के आदेश दिये थे तथा किसी जांच की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो तिथि बदली गयी इसका कारण क्या है ?

आबकारी मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

मान्यवर, देहरादून और सहारनपुर एक ही क्षेत्र में है । इनमें से देहरादून कम रेवेन्यू वाला क्षेत्र है और सहारनपुर ज्यादा रेवन्यू वाला । इसलिये रेवेन्यू के हिसाब से ज्यादा

वाले सहारनपुर का नीलाम पहले किया गया। इसके लिये एग्रीव्ड पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका की थी वह खारिज कर दी गयी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

जब तिथि का क्रम प्रकाशित किया गया था क्या उस समय सरकार को यह मालूम नहीं नहीं था कि किस की रेवेन्यू ज्यादा है और किसकी कम है और क्या देहरादून का पहले हर साल नीलाम पहले नहीं होता था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

पहली तारीख आयुक्त की तरफ से मुकर्रर की गयी थी । जब शासन का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि सहारनपुर का रेवेन्यू ज्यादा है और देहरादून का कम है इसलिये सहारनपुर का पहले होना चाहिये, तब शासन की तरफ से यह आदेश जारी किये गये कि सहारनपुर का पहले नीलाम किया जाय ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस प्रांत में देसी शराब के अलावा और कितने प्रकार की शराब है और उनका नीलाम भी किया जाता है या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि देहरादून और सहारनपुर दोनों जगह के नीलाम करने वाले आफीसर एक ही थे या अलग-अलग ? उनके एक ही होने के कारण से तिथियों में परिवर्तन करना पड़ा या और किसी दबाव के कारण ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

आबकारी विभाग में कायदा यह है कि एक्साइज आफीसर डी० एम० के मातहद होता है, जो अक्सर एस० डी० एम० होता है और हमारा जो असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर होता है वह नहीं करता है । एक्साइज आफीसर एस० डी० एम० के बराबर होता है वह नीलाम किया करता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

इस तिथि को बदलवाने के संबंध में ठेकेदारों की तरफ से सरकार को जो प्राथना-पत्र मिले माननीय मंत्री जी उन्हें जरा पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

जिस सरकार का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं मिला बल्कि हमारे यहां जो सेक्रेटरी हैं उनके पास जब चार्ट आया तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ज्यादा रेवेन्यू वाले का पहले होना चाहिये ।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)---

सहारनपुर जिले का नीलाम पहले कराने की वजह से वहां का रेवन्यू बढ़ा या घटा । अगर बढ़ा तो कितना बढ़ा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्नकर्ता सदस्य शायद मौजूदा साल का पूंछ रहे हैं । १९७१-७२ में सहारनपुर का ४१,८६,५०० रुपये का नीलाम हुआ था और देहरादून का २१,५०,००० रुपये का हुआ । पिछले सहारनपुर का ३९ लाख के करीब का नीलाम हुआ था । लगभग ढाई लाख के साल बढ़ा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह जो रेवेन्यू सहारनपुर का ज्यादा होता है और देहरादून का कम होता है इस बात का ज्ञान सरकार को किस क्षण हुआ ? सूची प्रकाशन के बाद हुआ या पहले से ज्ञान था ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जो मूल सूची थी वह जब चार्ट प्रकाशित हो गया उसके बाद २७-१-७१ को हमारे सचिव को यह इत्तला मिली ।

श्री राम करन सिंह--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई प्रार्थना-पत्र उनके पास नहीं है जिसको वह पढ़ें । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सचिव को जो ज्ञान हुआ तो वह ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ, उसका स्रोत क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जब कोई नीलाम की तिथि होती है तो उसका एक चार्ट बनता है नोटीफिकेशन का और वह चार्ट पूरे सूबे में भेजा जाता है । वह जब हमारे सचिव के पास आया तो उस चार्ट को देख कर उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया कि कम रेवेन्यू वाला बाद में होना चाहिये । तो जिस दिन उनको ज्ञान हुआ २७-१-१९७१ को उसी दिन उन्होंने तारीखें बदलवाने की कोशिश की ।

श्री इन्द्र मणि--

मेरा पहला प्रश्न नीति से संबंधित था । मैं फिर प्रश्न कर रहा हूं कि अंग्रेजी और देशी शराब की सरकार एक ही नजर से क्यों नहीं देखती ?

श्री अध्यक्ष--

कैसे देखें । कीमत में फर्क है।

श्री बांकेलाल--

जनवरी से पहले कितने वर्ष तक यह गलती होती रही और सरकार को कितना घाटा हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

इतना ब्योरा नहीं दिया जा सकता है ।

श्री इन्द्रमणि--

क्या सरकार प्रांत के रेवेन्यू को मद्देनजर रखत हुए इस बात का आश्वासन देगी कि सब तरह की शराब को सरकार नीलाम करे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह इस प्रश्न से अलग है। इस प्रश्न से नीति का संबंध है । इसलिये नीति के संबंध में प्रश्न का उत्तर इस वक्त नहीं दिया जा सकता ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

व्यवस्था का प्रश्न है । कोई भी मंत्री जी नीति निर्धारित है और वर्तमान समय में नीति किसी प्रश्न के संबंध में जो चल रही है उसी नीति को वह बताते हैं। आगे के लिये क्या नीति होगी इसको नहीं बता सकते । तो जो वर्तमान नीति सरकार की चल रही है उसी संबंध में वह कह सकते हैं और आगे के लिये विचार करने की बात नहीं कह सकते ।

श्री अध्यक्ष---

वह कहते हैं कि इस समय देशी का नीलाम होता है, विदेशी शराब के नीलाम करने का उत्तर वह इस समय नहीं दे सकते ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मैंने यह कहा कि यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री शिवराज सिंह---

क्या उत्तर प्रदेशीय सरकार ने देशी शराब की भांति विदेशी शराब की दुकानों को भी नीलाम करने के विषय पर विचार किया है या नहीं यदि हां तो वह किस निर्णय पर पहुंची ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

विदेशी शराब का नीलाम हो या नहीं यह सरकार के विचाराधीन है।

बिना लाइसेन्स प्राप्त ईंटों के भट्ठे को कोयले की सप्लाई

*३---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बतायेंगे कि मदनपुर सहकारी संघ, मदनपुर विकास खंड, मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद जिला सप्लाई अफसर से बिना लाइसेंस प्राप्त किये ईंटों का भट्ठा चला रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

लाइसेंस तो १९५७-५८ में प्राप्त किया लेकिन उसका नवीनीकरण नहीं कराया और नवीनीकरण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र दिया ।

*४---श्री वीरेन्द्र वर्मा---

उक्त भट्ठे को १९६९-७० और १९७१ में अभी तक अलग-अलग वर्षों में कितने-कितने बैंगन कोयला दिया गया ? क्या यह सही है कि इस वर्ष इस भट्ठे को ३० बैंगन कोयले का स्पेशल अलाटमेंट किया गया है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा कोई कोयला नहीं दिया गया है । इस वर्ष कोई स्पेशल अलाटमेंट नहीं किया गया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

१९५७–५८ से न लाइसेंस लिया, न नवीनीकरण कराया और न प्रार्थना-पत्र दिया तो क्या माननीय मंत्री जी की यह जानकारी है कि यह सब होते हुय भी भट्टा चला है । उसने कोई सेल्स टैक्स भी नहीं दिया है यदि हां, तो किन परिस्थितियों में वह भट्टा चला ?

श्री बेनी सिंह—

नवीनीकरण न कराने पर भट्टा चलाना गैरकानूनी है । भट्टा चलता रहा उन्होंने नवीनीकरण नहीं कराया और न प्रार्थना पत्र दिया सेल्स टैक्स शायद उन्होंने अदा किया है जहां तक मेरी जानकारी है । अगर गलती हो तो वह ठीक की जा सकती है लेकिन यह नहीं मालूम कि कितना सेल्स टक्स अदा किया है लेकिन यह मालूम है कि कुछ किया है । उनका कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या खाद्य मंत्री जी को जानकारी है कि किस नाम से यह भट्टा चला और कितना सेल्स टैक्स दिया और क्या इस वर्ष ३० वैगन कोयला इस भट्टे के लिये नीमकरौली रेलवे स्टेशन जो नादर्न रेलव का स्टेशन है, पर क्या स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर या भारत सरकार की सिफारिश पर उनको दिया गया ?

श्री बेनी सिंह—

मेसर्स मदनपुर सहकारी संघ, मदनपुर विकास खंड, मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद में जो ईट का भट्टा.....

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मैंने पूछा है कि यह ३० वैगन कोयला उनको इस सरकार की सिफारिश पर दिया गया है या भारत सरकार की सिफारिश पर दिया गया है ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, इस बेसब्री का तो कोई इलाज नहीं, मैं तो उत्तर दे ही रहा था । उसको सुना ही नहीं उन्होंने और बेसब्री शुरू हो .....

श्री अध्यक्ष—

अब वह सब्र से सुन रहे हैं ।

श्री बेनी सिंह—

नीमकरौली स्टेशन पर कोयला उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पान्सर नहीं किया, अन्स्पान्सर्ड कोयला भी आता है उस पर कोई रोक नहीं है, यह २७ वगन कोयला है और इस तरह से कोयला लोग लाते रहते हैं और ला सकते हैं.।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि सन् ५८ से लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ और ७०–७१ तक भट्टा चलता रहा, तो यह चीज नजरअन्दाज क्यों की गई और इनका प्राजिक्यूशन क्यों नहीं किया गया ?

श्री बेनी सिंह—

इस पर एफ० आई० आर० भी लाज हुई है और कार्यवाही हो रही है ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन ७०–७१ में जब कि उन्होंने इतना कोयला कहीं दूसरी जगह से उपलब्ध किया तो किस रेट से प्रति हजार ईंट बेंचते हैं ?

श्री बेनी सिंह—

ईंट की कीमत पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और न है इसकी जानकारी हमारे पास है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

शासन की ओर से जिलाधिकारियों को जो कोयले के वितरण के सम्बन्ध में आदेश भेजे गये हैं कि कहीं से किसी प्रकार का भी जो कोयला जिले में आयेगा उसका वितरण उन आदेशों के अनुसार ही किया जायगा । इन आदेशों के अनुसार जो इन लोगों ने सन् ७१ में ३० वैगन और ६९ में २० बैगन कोयला प्राप्त किया तो यह आप के आदेश के अनुसार क्यों नहीं किया गया ?

श्री बेनी सिंह—

जिस समय की यह बात है उस समय कोयला काफी मात्रा में आ रहा था और किसी प्रकार की वितरण में सख्ती का प्रयोग नहीं हो रहा था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अभी अप्रैल, ७१ में ही २७ वैगन आया है...

श्री बेनी सिंह—

हमारी तरफ से जो सख्ती हुई है वह हमारे कार्यभार लेने के बाद यानी मई के बाद हुई है । पहले साधारणतयः स्पान्सर्ड और अनस्पान्सर्ड भी आता था, लोग सीधे दिल्ली से या कोलरी से भी ले आते थे, कोई रुकावट नहीं थी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मदनपुर सहकारी संघ भट्टे के नाम से २७ बैगन प्राप्त किये गये या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से ?

श्री बेनी सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

हाइडिल सर्किल, अलीगढ़ में पावर कनेक्शन

*५—श्री कल्याण सिंह—

क्या विद्युत मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हाइडिल सर्किल, अलीगढ़ में वर्ष १९६७–६८, १९६८–६९, १९६९–७० तथा १९७०–७१ की अवधि में कुल कितने पावर कनेक्शन स्वीकार हुए तथा उनमें से कितनों को लाइन देकर चालू कर दिया गया है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हाइडिल सर्किल अलीगढ़ के नाम से कोई सर्किल नहीं है ।

हाइडिल गंगा सर्किल, अलीगढ़ में स्वीकृत कनेक्शन एवं उनको चालू किये जाने का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृत कनेक्शनों की संख्या	दिये गये कनेक्शनों की संख्या
१९६७—६८	५,३१०	२,१३५
१९६८—६९	१,९३६	२,२९३
१९६९—७०	५,००३	३,१३९
१९७०—७१	४,६५०	३,५५२
योग ..	१६,८९९	११,११९

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५,७८० स्वीकृत जो कनेक्शन्स हैं, उनको लाइन न दिये जाने के क्या कारण है, और कब तक उन्हें लाइन दे दी जायगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जितने कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये हैं, उन के अनुबन्ध हो रहे हैं, कुछ को जिनको रुपया जमा हो गया है, उन को कनेक्शन दिये जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं ले रहे हैं, उनको ऐप्रोच किया जा रहा है, लेकिन वे सामने नहीं आ रहे हैं ।

श्री शिवराज सिंह—

कनेक्शन न दिये जाने का क्या एक विशेष कारण यह है कि विभाग के पास ट्रांसमिशन लाइन खींचने के सामान उचित मात्रा मे उपलब्ध नहीं है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पहले कहीं-कहीं ऐसी सूचना मिल जाया करती थी, लेकिन अब ऐसी सूचना नहीं है । अब सबको सामान उपलब्ध किया जा रहा है ।

श्री कल्याण सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९६७—६८ में जो ५,३१० स्वीकृत कनेक्शन थे, और २,१३५ को लाइन दे दी गयी है तो अब तक सब को लाइन दे दी गयी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ये प्रोग्रेसिव टोटल चलते हैं । इन ५,३१० केसेज में सब को लाइन दे दी गयी है या नहीं, निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन जो भी प्रार्थना-पत्र होते हैं, उनको स्वीकृत किया जाता है और जो अनुबन्ध कर लेते हैं, उनको कनेक्शन दे दिये जाते हैं ।

श्री मुम्ताज मोहम्मद खां—

क्या माननीय मन्त्री जी ऐसे ग्रामों तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे जिन से बिजली की लाइन दूर है ताकि गांव वाले अपने टयूबवेल के लिए बिजली प्राप्त कर सकें ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण ---

रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम के अन्तर्गत प्रायः सभी स्थानों पर बिजली पहुंचाने की योजना का हमारा लक्ष्य है और हम जल्द से जल्द हर गांव में बिजली उपलब्ध करायेंगे ।

श्री कल्याण सिंह---

अलीगढ़ डिवीजन में जो कनेक्शन स्वीकृत किये गये हैं क्या माननीय मन्त्री जी उन को कनेक्शन देने में बरती गयी अनियमितताओं की जांच करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

यदि माननीय सदस्य ऐसी सूचना देंगे, तो निश्चय जांच करायेंगे ।

[२३ अगस्त, १९७१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

तहसील आमरोहा, जिला मुरादाबाद के ग्रामों का विद्युतीकरण

*१---श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद के किन-किन ग्रामों में वित्तीय वर्ष १९७१---७२ में बिजली लगाने की योजना शासन के विचाराधीन है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

वर्ष १९७१---७२ में तहसील अमरोहा के किसी ग्राम के विद्युतीकरण की कोई योजना अभी विचाराधीन नहीं है ।

मुरादाबाद में बिक्रीकर का बकाया

*२---श्री नौनिहाल सिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१ मार्च, १९७१ तक जनपद मुरादाबाद में बिक्री-कर का कितना धन बकाया है ? और उक्त धन की वसूली के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

३१-३-७१ तक जनपद मरादाबाद मे १.४१ करोड़ रुपया बिक्री-कर का बकाया था । बकाये की वसूली जिलाधिकारी द्वारा भूराजस्व की बकाया की भांति की जा रही है । ११ बकायेदारों के विरुद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की गयी । ९ बकायेदारों के मामलों में संयुक्त जांच टीम द्वारा कार्य हो रहा है ।

*३-४---श्री कल्याण सिंह तथा श्री उमाशंकर शुक्ला---

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा कुछ अधिकारियों के निवास स्थान निर्माण हेतु भूमि

*५---श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह---

क्या विद्युत मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत-परिषद् के कर्मचारियों के निवास-स्थान निर्माण हेतु जो जमीन विद्युत परिषद् द्वारा लखनऊ में खरीदी गयी थी, तो अब उस पर

नोट---नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के निवास स्थान का निर्माण न करा कर परिषद् के अधिकारियों का निवास स्थान बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निवास-स्थान निर्माण हेतु जो जमीन खरीदी गयी वह मुख्यतः अधिकारियों के निवास स्थान निर्माण हेतु ही क्रय की गयी थी। इसमें केवल दो स्टेनों ब्लाक बनाने का शुरू में प्राविधान था परन्तु कर्मचारियों के निवास स्थान की विशाल आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये उक्त दो ब्लाकों के स्थान पर अधिकारियों के निवास स्थान का ही निर्माण किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए अलग कालोनी बनाने हेतु १० एकड़ भूमि क्रय की जा रही है।

जिला नैनीताल में बिजली के लाइट व पावर कनेक्शन

*६--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

क्या विद्युत मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि दिनांक १ अप्रैल, सन् १९७१ ई० से ३० जून, १९७१ तक जिला नैनीताल में किन-किन क्षेत्रों में बिजली के लाइट कनेक्शन व पावर कनेक्शन दिये गये हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जिला नैनीताल के निम्नलिखित क्षेत्रों (विकास खण्डों) में लाइट तथा पावर कनेक्शन १ अप्रैल, १९७१ से जून ३०, १९७१ तक दिये गये।

क्रम-संख्या	विकास क्षेत्र			लाइट कनेक्शन	पावर कनेक्शन
१	खटीमा	..	..	१९	५
२	रुद्रपुर	..	..	८१	१७
३	बाजपुर	..	..	५५	१४
४	काशीपुर	..	..	७२	५
५	रामनगर	..	..	३५	५
६	हल्द्वानी	..	..	२३	१
७	रामगढ़	..	..	७	१
८	ज्योलीकोट	..	..	६	..

*७-८--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

[६ठे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५६-५७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पब्लिक अण्डरटेकिंग के कारखानों से लाभ व हानि

*९--श्री राम करन सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के अन्तर्गत पब्लिक अन्डरटेकिंग में कितने कारखाने कहां-कहां चल रहे हैं साथ ही यह भी बताने की कृपा करेगी कि किन-किन कारखानों में कितने-कितने का घाटा तथा किन-किन कारखानों में कितने का फायदा गत 3 वर्षों में हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१०--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[८वें गुरुवार में प्रश्न सं० ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बीसलपुर, जिला पीलीभीत में ईंटों के भट्ठे

*११—श्री तेजबहादुर (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत के कस्बा बीसलपुर में कितने के ईंट के भट्टे चल रहे हैं और इन भट्टों का कस्बा बीसलपुर की आबादी से कितना फासला है ?

श्री बेनी सिंह—

बीसलपुर कस्बे में ५ ईंट के भट्ठे चल रहे हैं । बीसलपुर कस्बे की आबादी से यह भट्ठे एक फलांग से दो फरलांग के फासले पर स्थित हैं ।

*१२—श्री मोहन लाल कपूर—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त] ।

जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी

*१३—श्री चिरंजी लाल (जिला एटा), श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती) तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पूर्ति अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में इस समय तृतीय श्रेणी का स्टाफ कितना है और कितनी अवधि से लखनऊ में है उनमें से कौन-कौन लखनऊ का रहने वाला है ? क्या सरकार ५ वर्ष से अधिक समय के इन कर्मचारियों को लखनऊ से तबादला करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बेनी सिंह—

जिला पूर्ति कार्यालय, लखनऊ, के लिए स्वीकृत तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पद की संख्या ५२ है । इस समय कार्यरत कर्मचारियों की संख्या ४५ है ।

इन कर्मचारियों की लखनऊ में तैनाती की अवधि निम्न प्रकार है :—

(१)	एक वर्ष से कम	१४
(२)	एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	९
(३)	दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	८
(४)	तीन वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से कम	४
(५)	पांच वर्ष से अधिक	१०

उनमें से १३ कर्मचारी—

सर्वश्री शौकत अली एवं सोहन लाल, पूर्ति निरीक्षक, त्रियुगी नारायण श्रीवास्तव एवं राम चन्द्र सिंह, आशुलिपिक, गंगाचरण श्रीवास्तव, ज्येष्ठ लेखा लिपिक तथा मनोहर लाल जायसवाल, बिन्दा प्रसाद, गोपाल दास, विनोद, देवदत्त दीक्षित, गुरमुख सिंह, मदन लाल अग्रवाल एवं मंजूर हुसैन, लिपिक लखनऊ के रहने वाले हैं ।

२—पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों में से एक के स्थानान्तरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं । चार निरीक्षक वर्ग के कर्मचारियों में से दो ने अभी वर्तमान पद पर तीन वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है । अन्य दो ५६ वर्ष की आयु के हैं, अतः नीति के अनुसार वे गृह जिले में तैनात रह सकते हैं । बाकी लिपिकों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति लागू नहीं होती है । उन्हें अपने गृह जिले में तैनाती पर प्रतिबंध नहीं है लिपिकों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति लागू नहीं होती है । उनके अपने गृह जिलों में तैनाती पर प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री हरिपाल सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, जलविद्युत् मण्डल, गोरखपुर का स्थानान्तरण

*१४--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ), श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि श्री हरिपाल सिंह, अधीक्षण अभियंता, जेल विद्युत मंडल, गोरखपुर को स्थानान्तरण के आदेश १ जनवरी, १९६९ से १ जुलाई, १९७१ तक कितनी बार मंत्री महोदय ने करने का आदेश दिया तथा किन-किन परिस्थितियों में स्थानान्तरण न हो सका ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

स्थानान्तरण के लिये समय-समय पर पांच बार अभिमत दिये गये । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने स्थानान्तरण के मूल में प्रथमतः अधीनस्थ अधिकारी का स्वार्थ-जनित प्रयास था बाद में शिकायतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्थानान्तरण करना उपयुक्त नहीं समझा ।

*१५--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में पारित प्रस्ताव का कार्यान्वयन

*१६--श्री मंजूर अहमद, श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री छांगुर राम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार ने मद्रास में सम्पन्न हुये सातवें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में पारित प्रस्ताव जिसमें उल्लेख किया गया है कि जब विधान मंडल का सदस्य भेंट के लिये आये तो अधिकारी को अपनी जगह से खड़ा होकर स्वागत करना चाहिये और उसे स्वयं बिदा करना चाहिये के पालन के संबंध में परिपत्र जारी चुके हैं ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

७ वें अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन की सिफारिश संख्या १६ में राज्य विधायकों और प्रशासन के मध्य संबंध को नियमित करने के लिये मसविदा संहिता, जिसका प्रश्नगत विषय एक भाग है, को स्वीकृत कर लागू करने के प्रश्न पर विधान मंडल में विभिन्न राजनैतिक दलों से विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

बुलन्दशहर के खुर्जानगर में स्प्रिट बिक्री की थोक दूकान

*१७--श्री त्रिलोकी चन्द्र (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सरकार की जानकारी में है कि जिला अधिकारी, बुलन्दशहर ने खुर्जानगर, जिला बुलन्दशहर में स्प्रिट की (लायसेंस) थोक या रिटेल दूकान की अनुमति देने हेतु प्रार्थना-पत्र अप्रैल, मई में मांगे थे ? यदि हां, तो जिनको लाइसेंस दिया गया उनके प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुये और किस आधार पर उन्हें लाइसेंस दिया गया ?

श्री स्वामीप्रसाद सिंह--

जिला अधिकारी बुलन्दशहर, ने खुर्जा नगर में स्प्रिट की बिक्री हेतु एक थोक दूकान के लाइसेंस की तय करने के लिये माह मार्च, अप्रैल, १९७१ में प्रार्थना-पत्र मांगे थे । उक्त लाइसेंस श्री राजेंद्र कुमार के साथ तय हुआ है । इनका आवेदन-पत्र जिला अधिकारी

के कार्यालय में १६-४-७१ को प्राप्त हुआ था । इनके साथ लाइसेंस तय करने का आधार यह था कि अभ्यर्थियों में जांचोपरान्त लाइसेंस चलाने के लिये ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति पाये गये ।

सीतापुर के तम्बोर तथा उसके पास के ग्रामों का विद्युतीकरण

*१८--श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)--

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में तम्बोर तथा पास के ८२ ग्रामों का विद्युतीकरण करने की योजना जिले से शासन को प्राप्त हुई। यदि हां, तो उसका कार्य चयन करने का शासन का कब तक विचार है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी हां, सीतापुर जिले में तम्बौर तथा आस-पास के ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना जिले स्तर पर बनाई गई है जो कि अभी राज्य विद्युत परिषद् के विचाराधीन है ।

अतारांकित प्रश्न

गोंडा के जल-विद्युत खण्ड विभाग के जले ट्रांसफार्मस

१--श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बतायेगी कि गोंडा जिले में जनवरी सन् १९७१ से १६ जून तक जल विद्युत खंड विभाग के अन्तर्गत कितने ट्रांसमीटर्स जल गये और उनके जलने के क्या कारण रहे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

गोंडा जिले में जनवरी १९७१ से १६ जून, १९७१ तक २३ ट्रांसफार्मर जले । ये ट्रांसफार्मर लाइन में खराबी, अन्दरूनी खराबी (शार्ट सर्किट) तड़ित (लाइटनिंग) तथा चोरी के प्रयत्नों के कारण जले ।

मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति के संबंध में जानकारी की मांग

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे मुख्य मंत्री का यहां उपस्थित न रहना बड़ा रहस्यमय है । सुना जाता है कि वे राजस्थान के गवर्नर नियुक्त कर दिये गये हैं और मैं पहले आपसे कहता था कि मंत्रिमंडल को उखाड़ फेंक देने वाले लोग अपना कैम्प उत्तर प्रदेश में जमाये हैं और वह समय आ गया है और चरितार्थ भी हो गया है । विघटनात्मक तत्व अपना आम कर रहे हैं, और यह उनका प्रथम चरण है । यह आशंका है कि मिड-टर्म पोल यहां आ जाय । इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरी सूचना सही है क्योंकि पंचमुख से आयेगा परमेश्वर मुख से, यह निश्चित सत्य है, बड़ी कृपा होगी इस पर अगर प्रकाश डाल दें ।

श्री अध्यक्ष--

दूसरे मंत्री से जवाब लेना आप पसन्द करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)--

मैं सम्मानित सदस्य से कहना चाहता हूं कि जो सूचना उन्हें मिली है वह बे-सिर-पैर की है । माननीय मुख्य मंत्री जी, इस बीच में आप सब जानते हैं, अस्वस्थ हो गये थे उनसे आग्रह किया गया है कि वे सदन में अधिक समय न दें, जितनी आवश्यकता है उतना ही दें । यहां नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं पुनः प्रार्थना करूंगा ।

देवरिया जिले की उर्मिला नामक लड़की की हत्या के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देवरिया जिले की उर्मिला नाम की लड़की को 1 जून को भगाकर एक एम०एल०सी० के कमरे में रक्खा और उसके बाद जून ४ को हटाकर वर्किंग वीमन्स हास्टेल में रक्खा गया और वहां पर लोगों ने उसके साथ व्यभिचार किया और १७ अगस्त को मान्यवर, लोगों ने जहर देकर मार डाला । इन तथ्यों को देखते हुए, बिना सी०आई०डी० इन्क्वायरी के और बिना पोस्टमार्टेम के उसको जला दिया गया । मान्यवर, मैंने इसको नियम 51 में दिया भी है उसको स्वीकार कर लें और जांच करा के मंत्री जी का वक्तव्य दिलाने की कृपा करें नहीं तो यह दूसरा सतिया कांड न हो जाय ।

श्री अध्यक्ष--

समय से जवाब मिल जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है इसको नियम 51 में दिया गया है इसको स्वीकार कर लें । इसमें बड़े बड़े तथ्य सामने आयेंगे ।

प्रदेशीय सरकार द्वारा खर्चे में मितव्ययिता करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं । इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें । माननीय वित्त मंत्री जी सुन लें । केंद्रीय सरकार ने एक निर्देश हिन्दुस्तान के समस्त राज्य सरकारों को भेजा था जिसमें यह लिखा गया था कि बंगाल के शरणार्थियों की समस्या को देखते हुए और पाकिस्तान से जो भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है उसको देखते हुए समस्त राज्य सरकारें कुछ आस्टेरिटी मेजर्स एडाप्ट करें, अपने खर्चों में कटौती करें । जो बजट अनुदान है उन पर पुनर्विचार करें और नये सिरे से बजट पर विचार करें । जो पाकिस्तान का खतरा उत्पन्न हो गया है उसको देखते हुए केंद्रीय मंत्रियों तथा अफसरों ने वेतन में कटौती की है, जहां तक मेरी जानकारी है महाराष्ट्र तथा एक और राज्य सरकार के मिनिस्टरों ने तथा अफसरों ने अपने वेतन में कटौती की है । लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बारे में चुप है और रोज बजट और ग्रांट पास करती चली जाती है । मैं अनुरोध करना चाहूंगा, अगर मुख्य मंत्री रहते तो अच्छा रहता कि वित्त मंत्री घोषणा करें कि केंद्रीय सरकार के स्पष्टतः क्या निर्देश हैं खर्चे की कटौती के बारे में और उसके बारे में राज्य सरकार ने कोई

[श्री कृष्णानंद राय]---

विचार किया है या नहीं और किया है तो क्या ? क्योंकि सारे प्रदेश में शरणार्थियों के लिये चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं,लेकिन राज्य सरकार में बिना खर्चे में कटौती किये हुए, मंत्रिमंडल के लोग बिना कटौती किये हुए और अधिकारी बिना खर्चे में कटौती किये हुए और सरकार बिना आस्टेरिटी मेजर्स एडाप्ट किये हुए प्रदेश की जनता से चन्दा ले रही है यह आनैतिक है । तो राज्य सरकार बतावे कि क्या आस्टैरिटी मेजर्स किये हैं, अन्यथा बजट न पास किया जाय ।

वित्त मन्त्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

श्रीमन्, जो सम्मानित उपनेता विरोधी दल ने प्रश्न उठाया है, वह अपनी जगह पर बड़े महत्व का है । मैं कम से कम उनका अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस विषय के महत्व को समझा है और मुझे आशा है कि वह सारे प्रदेश में और विधान सभा में समय की गम्भीरता के अनुरूप वातावरण बनाने में सहायक होंगे । जहां तक इस विषय का प्रश्न है, मुख्य मंत्री जी के थोड़ा अस्वस्थ हो जाने के कारण, अब मंत्री परिषद् की जो आगामी बैठक दो-तीन दिन में होने वाली है उसमें इस पर विचार करने वाले हैं । श्रीमन्, यह प्रश्न केवल मंत्रियों के वेतन या बड़े अफसरों के वेतन में कटौती का ही नहीं है बल्कि यह सारे राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है और एक ऐसे वातावरण का प्रश्न है जिसमें मितव्ययता और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात हो।

श्री अध्यक्ष---

मंत्रि-परिषद् की बैठक कब है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

२६ तारीख को है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, सारी ग्रांट्स पास करा लेने के बाद २६ को मीटिंग करेंगे, यह तो बड़ा अनैतिक हो जायेगा । श्रीमन्, स्पष्ट निर्देश है कि बजट अनुदानों पर भी पुनर्विचार करें, लेकिन सारी ग्रांट्स पास कराये ले रहे हैं । तो आज इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिये और कल सदन में घोषणा होनी चाहिये कि क्या-क्या कटौती करने जा रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

जो सम्मानित सदस्य कह रहे हैं कि बजट को स्थगित किया जाय, यह तो संभव नहीं है, बजट में जो ग्रांट्स हैं यह तो सामान्य योजना बजट है और सदन में इस बात की मांग रही है कि ग्रांट्स और बढ़ाई जायं । तो इजसको स्थगित कर देने से तो सारा वित्तीय कार्य ही स्थगित हो जायेगा । किसी अनुदान के पास हो जाने के बाद भी यह अधिकार रहता है कि हम खर्च न करें, या बचत में ले लें, या दूसरी मद में ले लें । सिविल डिफेंस का प्रश्न उठता है तो हम उसमें प्राथमिकता देकर भी खर्च कर सकते हैं।

विविध विषय

श्री डी०पी० बोरा(जिला लखनऊ)---

श्रीमन्, मैंने नियम ५१ में एक बड़े लोकमहत्व का प्रश्न दिया है । १० अगस्त से नन्हा और उसकी बहिन को चौक पुलिस ने····

श्री अध्यक्ष---

यह तो स्वीकृत हो गया है ।

एक सदस्य--

हमारे गोरखपुर जिले में श्यामजोरवा थाना है । ११ तारीख को····

श्री अध्यक्ष--

वह तो नियम ५१ में आपने दिया है । इस वक्त नियम ५१ की बात कहने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, केसा कर्मचारियों के हड़ताल का सवाल था । नारायण दत्त तिवारी जी ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके प्रश्न में वक्तव्य देंगें । हमने नियम ५१ में दिया था और इन्होंने आश्वासन दिया था । तो मैं जानना चाहता हू वित्त मंत्री जी से कि तीन हफ्ते तो हो गये कब वक्तव्य देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

आज जो कार्यसूची में नम्बर ७ है उसमें देंगे ।

श्री रामगोपाल संड--

मान्यवर, उनसे कहलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

कहलवा क्या दें ।

श्री रामगोपाल संड--

बड़ा गम्भीर प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न कर लीजिये, वे जवाब दे देंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मुझे भी आज्ञा दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं एक सूचना देना चाहता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

सूचना से पहले इसको सुन लें ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

मेरी सुरक्षा की बात है, इतनी देर में तो मैं कह कर खत्म कर देता

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठें, मैं सूचना दे रहा हूं । मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं ।

लोक लेखा समिति आदि समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको यह सूचना दे रहा हूं कि ३१ अगस्त को चुनाव होने वाले हैं । इसमें कहीं ३० छप गया था । वह ३१ तारीख है । एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी और स्थायी समितियों के लिये नोमिनेसन्स हो चुके हैं और नोमिनेशन्स को सब पार्टियों के पास भेज दिये हैं । वे यहां पर नोटिस आफिस में भी मौजूद हैं, इसलिये वहां पर नोमिनेशन्स को देख लें । ३१ तारीख को चुनाव होने वाले हैं, पहले ३० बतायी थी ।

संविधान में संशोधनों के अनुसमर्थन हेतु विधेयक के संबंध में जानकारी

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

आप नियम १८२ को देख लें । वह संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन के विषय में है । पार्लियामेंट में बुनियादी अधिकारों के बारे में संशोधन लाये हैं । इसके लिये यह आवश्यक है कि तमाम राज्यों की कम से कम आधी विधान सभायें उसको पास करें । यह भी लाजमी है कि उसकी सूचना अध्यक्ष महोदय के सचिवालय को दी जाये । अख्बारों से यह विवित हुआ है कि विधान परिषद् के चेयरमैन को वह सूचना प्राप्त हो चुकी है और उन्होंने उस सूचना की घोषणा सदन के अन्दर कर दी है । आप नियम १८२(२) में देखें । इसकी सूचना यदि आपके सचिवालय को प्राप्त हो गयी है तो उसके लिये आवश्यक था कि माननीय सदन को उसकी सूचना दे दी जाती ताकि अध्यक्ष महोदय नेता सदन से परामर्श करके अनुसमर्थन के विषय में तिथि निश्चित कर लेते ।

श्री अध्यक्ष—

न ही कोई कार्यवाही हुई है और न ही विधेयक आया है, पहले वहां से कोई सुझाव तो आये ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

हमारा निवेदन यह है कि इसी अधिवेशन में इस विषय को ले लें, क्योंकि इसके बाद तो यह सदन उठ जायगा । यह इम्पारटेंट विधेयक है । आप नेता सदन से परामर्श कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन से क्या परामर्श कर लें ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आप, श्रीमन्, मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं ।

श्री सुखपाल पांडेय द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में प्रार्थना

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मान्यवर, ७ जुलाई की घटना है । सिकन्दरपुर में एक आदमी ने एक आदमी को गोली मार दी और उसका प्रश्न विधान सभा में उठाया । १९ तारीख को नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी गयी और मुख्य मंत्री जी ने मेरी सुरक्षा के लिये शैडो की नियुक्ति कर दी । एक शातिर डकैत है जिसने दर्जनों कत्ल और डकैतियां की हैं और वह अभी जेल से छूट कर

आया है । संभवतः हमारे मंत्री जी, द्विवेदी जी को उसकी जानकारी हो या न हो, मगर वह उनके कमरे में ३ दिन ठहरा था । उसने श्री राम नारायण मिश्र, श्री कमलाकांत पांडे श्री गंगा प्रसाद, विधायक तथा लोक सभा के सदस्य श्री कृष्ण चन्द्र पांडे के सामने कहा था कि हम उनको गोली से उड़ा देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

किसको ?

श्री सुख पाल पांडेय--

मुझको कि वह गोली से उड़ा देंगे । शिव नारायण नाम का वह डकैत है । वह कहता है कि डकैती के मामले में मैंने उसको गिरफ्तार करवा दिया था और गवाही दिलवायी थी । वह दारुलशफा में टिका और यह धमकी दी । मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करें, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर भेज दें, मैं सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में लिख दूंगा ।

श्री सुखपाल पांडेय--

ऐसे महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे और बी०के०डी० के लोग और उनसे झगड़ा हो गया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर भेज दें, मैं देख लूंगा ।

श्री चन्द्र भान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मंत्रियों और उप मंत्रियों को बंगले मिले हुये हैं । इसके बावजूद उनको कमरे विधायक निवास में भी एलाट है और उनमें गैर जिम्मेदार आदमी आकर ठहर जाते हैं । आप इस बारे में विचार करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

कल परसों वीरेंद्र वर्मा जी ने बड़ा सर्मन दिया था कि व्यक्ति खड़ा हो जाय तो जिस पर निगाह पड़ जाय वह बोले । आपने मुझे बोलने की आज्ञा दे दी फिर भी उनके दल के श्री चन्द्र भान शर्मा खड़े हो गये और बोलने लगे ।

गृह उपमंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवदी)--

मेरा नाम लिया गया····

होम्योपैथिक कालेज के छात्रों के डेप्यूटेशन से मिलने हेतु चिकित्सा मंत्री से प्रार्थना

श्री अध्यक्ष--

श्री नित्यानन्द जी को बोलने दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

मैं निवेदन कर रहा था कि आपने उदारतापूर्वक आयुर्वेद के छात्रों की समस्या हल करा दी । यदि आप तत्परता नहीं बरतते तो समस्या हल नहीं होती । अब छोटे

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

छोटे बच्चे होमियोपैथी के कई दिन से बैठे हैं बारिश में, आंधी में और तूफान में अनशन कर रहे हैं। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से इस बारे में बातचीत की थी। वह तैयार भी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वह इस बारे में सदन में आश्वासन दे दें कि उनका डेप्यूटेशन मिल ले। मैं चाहता हूं कि जितनी परेशानी उनको हो गई है उससे अधिक न हो। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटी-छोटी उम्र के बच्चे हैं आपका ध्यान उस ओर जाना चाहिये। मंत्री जी तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी मिलने को तैयार हैं ?

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)--

डेपुटेशन मिल ले।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

यह तो कहें कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

यह संभव नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (लिला गाजीपुर)--

जहां तक डेपुटेशन मिलने का ताल्लुक है वह मिले लेकिन किस बारे में डेपुटेशन मिलना चाहता है। आपने कानपुर यूनीवर्सिटी ऐक्ट में अमेंडमेंट कर दिया है और आयुर्वेद के जितने विद्यार्थी हैं। फाइनल इयर एक्जामिनेशन लेने को कानपुर यूनीवर्सिटी तैयार हो गई है और आयुर्वेद की परीक्षा परिषद् समाप्त हो गई है, तो आप इम्तिहान परिषद् से लिवाना चाहते हैं यह गलत है, तो उसको विश्वविद्यालय के माध्यम से कराने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष--

बात यह है कि वह समस्या दूसरी है। यह होमियोपैथ कालेज के लड़के हैं, उनकी मांगें दूसरी हैं। यह वह मामला नहीं है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

शर्मा जी कह रहे हैं कि वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री सुखलाल पांडेय द्वारा अपनी सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रार्थना (क्रमागत)

गृह उपमन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--

मेरा नाम आया है, इसलिये मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे कमरे में कोई गैर जिम्मेदार व्यक्ति मेरी जानकारी में नहीं ठहरा है। मैं ऐसे तत्वों को प्रोत्साहित नहीं करता हूं। माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास सदन के माध्यम से किया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं ऐसे तत्वों को कड़ाई से कुचलना चाहता हूं और इस संबंध में जानकारी प्राप्त करूंगा लेकिन बिना जानकारी प्राप्त किये मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की छिछली बात न करें और यदि कोई बात हो तो उन्हें मुझसे कहना चाहिये। दूसरी

बात यह है कि मैंने कोई बंगला नहीं लिया है । मैंने एक कमरे को ही ले रखा है जिसमें मेरे क्षेत्र के लोग रहते है । मैं कड़ी नजर रखता हूं कि उस कमरे में अवांछनीय तत्व न प्रवेश करें ले कन विधायक निवास में आस-पास बहुत से लोग रहते हैं जो उधर से आते-जाते रहते हैं। किसी कमरे के मार्ग से कोई गुजरा हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर कोई तथ्य हो और सुखपालजी बतलायें तो गहराई से जानकारी करवायेंगे। अगर उनके मन में कहीं कोई सन्देह की भावना है तो उसे दूर करने की भी व्यवस्था करेंगे।

सदस्यों द्वारा अपने–अपने जिलों में बाढ़ की विभीषिका के संबंध में सूचनाएं

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

१६ तारीख को इसी विधान सभा में हमने कामरोको प्रस्ताव दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

वह इस वक्त नहीं आयेगा ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

आप सुन तो लें । देवरिया जिले में गौर-बरहज गांव कट रहा है । नदी के किनारे पचासों हजार आदमी बहे जा रहे हैं । ५४ हजार रुपया देवरिया जिले के लिये मंजूर हुआ था लेकिन पता नहीं क्यों प्रदेशीय सरकार ने उसको वापस कर लिया। वहां चार-चार, पांच-पांच फुट तक पानी भरा हुआ है । हाटा रोड कट गयी है । आपने कहा था कि बाढ़ पर बहस करायेंगे । जब कट जायेगा तो बहस करा कर क्या फायदा होगा । यह तात्कालिक प्रश्न है । राजस्व मंत्री इसको देखें कि तत्काल क्या हो सकता है ?

श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)--

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बाढ़ के बारे में बड़ी चर्चा हुई है । हमारे देवरिया जिले में बड़ी गंडक पर भी चर्चा हुई है । हमारे जिले में १२ नदियां हैं और इन सभी में बाढ़ आ गयी है । कल मैं देवरिया गया था । १०० आदमी सांपों के काटने से मर चुके हैं । कम से कम तीन हजार गांव पानी में डूब गये हैं और लोग सड़कों पर रह रहे है । वहां उन्हें सांप काट रहे है। सरकार केवल बड़ी गंडक की तरफ सहायता कर रही है ।

श्री अध्यक्ष--

राजस्व मंत्री नोट कर लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिता देहरादून)--

यहां तो तीन चार जगह गोष्ठियां हो रही हैं ।

श्री हरिबंश सहाय--

वह यहां मौजूद नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर भेज दें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

पिछले सत्रों में ऐसा हुआ है कि कभी अधिक वर्षा हुई तो दो चार दिन के लिये सदन बन्द हो जाता था । अब की बार भी अनप्रोसीडेंटेड बारिश हुई है । मुख्य मंत्री जी यहां हैं नहीं । उन्हें चाहिये था कि चार दिन के लिये सदन स्थगित कर देते । हम लोग अपने क्षेत्र में जाकर कुछ लोगों की सहायता कर सकें । सरकार तो कुछ सहायता कर नहीं रही है । नावें भी वह नहीं भेज रही है । मैं समझता हूं कि उधर के लोग भी इससे सहमत होंगे कि तीन चार दिन के लिये सदन रुक जाय ।

श्री हरिवंश सहाय--

जिलाधीश और अन्य अफसरों का ध्यान बड़ी गंडक की तरफ ही रहता है । सलेमपुर का इलाका डूब गया है लेकिन उधर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है । बड़ा हाहाकार मचा हुआ है । सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस पर विचार होना चाहिये । आप आज ही सरकार से बयान दिलवायें ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

छोटी गंडक में भी बड़ी गंडक का पानी आ गया है । नारायणी नदी से पूरा जिला जलमग्न हो गया है । दूसरी बात यह है कि मुतबातिर वर्षा होने की वजह से हरेक गांव पानी से घिर गया है और लोगों का जन जीवन संकटमय हो गया है । मकान भी ध्वस्त हो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका वक्तव्य हो गया । अब दूसरों को बोलने दें ।

श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कल ही मैं अपने क्षेत्र से आया हूं । मैंने देखा कि सारे गांव पानी के बीच में इस तरह से घिरे हुये हैं जैसे कोई जजीरा हो, कोई द्वीप हो । १४ तारीख से वे गांव पानी से घिरे हुये हैं और हालत यह है कि गांव के लोगों को जब टट्टी पाखाना जाना पड़ता है तो उसके लिये भी नाव से जाना पड़ता है । लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई सहायता उन गांवों में नहीं पहुंची है । इसलिये मैं भी चाहता हूं कि तीन चार दिन का मौका दे दिया जाय ताकि हमलोग अपने क्षेत्रों में पहुंच कर इस तरह से असहाय और पीड़ित लोगों की मदद कर सकें ।

श्री बांकेलाल--

मान्यवर, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई ।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)--

मान्यवर, सदन की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मैं भी आपके सामने कुछ बातें कहना चाहता हूं । इधर दो तीन दिन तक मैंने अपने क्षेत्र का दौरा किया । बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण बहुत ही भयानक स्थिति मेरे क्षेत्र में आयी हुई है जिसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत ज्यादा तादाद में भेड़िये पहाड़ी क्षेत्र से उतर कर मैदानी क्षेत्र में आ गये हैं जिनके कारण बच्चों और किसानों का जंगल में कार्य करना मुश्किल हो गया है । अभी तक १० बच्चों को खा गये हैं तथा बहुतों को घायल कर चुके हैं । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि एक शिकार पार्टी भेज कर इन भेड़ियों के आतंक (मिनेस) को माननीय मंत्री जी समाप्त करें ।

श्री अध्यक्ष---

आपने लिख कर माननीय मंत्री जी को दिया है ?

श्री शिवराज सिंह---

मैं लिख कर भेज दूंगा ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि पिछले सोमवार को १०-१२ एम०एल०ए० ने लिख कर दिया था कि जिला मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और मेरठ में नदी यमुना नदियों के कटाव से हमारे उत्तर प्रदेश की हजारों एकड़ जमीन हरियाना में चली गयी है । चूंकि हरियाना गवर्नमेंट ने बांध बना दिया है उससे पानी टकरा कर उत्तर प्रदेश की ओर चलता है । हमने इस समस्या को सामने रखकर बात करनी चाही लेकिन हमारी बात को पीछे रख दिया गया । माननीय मुख्य मंत्री व माननीय माल मंत्री को इस संबंध में सूचना मंगाने व देने की फुर्सत ही नहीं है । उत्तर प्रदेश की हजारों एकड़ जमीन कट कर हरियाना में जा चुकी है । पता नहीं उसके ऊपर क्या हुआ । इससे करोड़ों रुपये की हानि हुई है । अगर आप कहें तो मैं दोबारा शाम को फिर लिख कर दे दूंगा । (व्यवधान)

श्री सुखपाल पांडेय---

श्रीमन्, लखनऊ-गोरखपुर राजमार्ग है (व्यवधान)

पुलिस की लापरवाही के कारण मुजफ्फरनगर जेल में तीन व्यक्तियों को बन्दी बनाये जाने के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब पुलिस की लापरवाही के कारण मुजफ्फरनगर जेल में तीन व्यक्तियों को बन्दी बनाये जाने के विषय में मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य होगा ।

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)---

थाना खतौली जिला मुजफ्फरनगर पर दिनांक ५-७-७१ को १०-१२ बजे दिन को सूचना मिली कि ग्राम मंसूरपुर के जंगल में एक खेत में एक अज्ञात पुरुष की लाश पड़ी हुई है । एक सब-इन्सपेक्टर को तुरन्त लाश का पंचायतनामा तैयार करने व अन्य जरूरी कार्यवाही के लिये मौके पर भेजा गया । उसे मौके पर एक पुरुष की लाश मिली जो २-३ रोज पुरानी थी, जिस पर कीड़े मौजूद थे, मुंह मुलझा हुआ था, सिर के बाल आगे की तरफ के जले हुए थे और बदन पर मृत्यु के पहले के घाव के निशान थे । पंचायत नामे के समय किसी ने उस लाश को नहीं पहचाना । लाश का पोस्ट मार्टम परीक्षण दिनांक ६-७-७१ को किया गया । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि मौत चोटों के कारण हुई है । इस पर थाना खतौली में ६-७-७१ को ३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया और विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा शुरू की गयी । विवेचना के दौरान प्रधान ग्राम मंसूरपुर ने दिनांक २०-७-७१ को बताया कि उसी ग्राम की निवासी श्रीमती मोहरो और मांगे निवासी ग्राम कुटबा के बीच कुछ झगड़ा हुआ और मांगे तभी से गांव से गायब है । उसी दिन मांगे की पत्नी से पूंछतांछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि मांगे उससे लड़कर एक साल पहले चला गया था और उसे मांगे का कोई पता नहीं है । दिनांक २२-७-७१ को मांगे के भान्जे ने एक रिपोर्ट थानाध्यक्ष खतौली को इस आशय की दी कि जो लाश मंसूरपुर में मिली थी और उसका जो हुलिया बताया जाता है उसके अनुसार वह लाश उसके मामा मांगे की हो सकती है । उसने यह भी लिखा था कि १८-२० दिन पहले मांगे और श्रीमती मोहरो में झगड़ा

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

हुआ था जिसमें मांगे ने श्रीमती मोहरो को एक चांटा भी मारा था और श्रीमती मोहरो के जेठ के लड़कों पूरन व धीरज ने मांगें को धमकी दी थी कि वे उसे देख लेंगे। अतः पुलिस द्वारा उसी दिन २२-७-७१ को श्रीमती मोहरो के घर की तलाशी ली गयी। घर से एक खून आलूदा डंडा बरामद हुआ जिस पर फरसा लगाये जाने के सूराख पाये गये। पूछतांछ करने पर श्रीमती मोहरों ने डंडे पर फरसे का फल होना बताया जो बाद में निकाल लिया गया था। मांगे और उससे झगड़ा होने के बारे में पूछने पर उसने झगड़े की बात स्वीकार की और बताया की मांगे की हत्या पूरन व धीरज आदि द्वारा की गयी। श्रीमती मोहरो की निशान देही और उसके बताने पर कि उसने पूरन व धीरज के ट्यूबवेल की दीवार के खून के धब्बों पर लिपाई की है उस ट्यूबवेल से खून आलूदा व मिट्टी व जले हुये कपड़े के टुकड़े बरामद किये गये। इससे यह प्रतीत हुआ कि उक्त ट्यूबवेल पर कत्ल हुआ है अतः श्रीमती मोहरो के बयान को देखते हुए उसे मांगे की हत्या का साक्ष्य गायब करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वाद में पूरन और धीरज ने भी इस हत्या के आरोप के संबंध में न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और जेल भेजे गये। श्रीमती मोहरो जमानत पर २४-७-७१ को रिहा हो चुकी है। पूरन तथ धीरज भी जमानत पर ५-८-७१ को रिहा हो गयें।

दिनांक २९-७-७१ की मांगे ने ए०डी०एम० (जे०) मुजफ्फरनगर के न्यायालय में एक दरख्वास्त अपने बयान हल्फी सहित इस आशय की दी कि उससे श्रीमती मोहरों से झगड़ा हुआ था और २-७-७१ को वह उसके परिवार के लोगों के डर से मंसूरपुर से भाग गया था। २-३ दिन पहले उसे पता चला कि श्रीमती मोहरो और उसके भतीजों ने किसी दूसरे का कत्ल करके पुलिस को गुमहराह करने के लिये मांगे का कत्ल होना बताया है। उसी दिन पहली बार मांगे पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर से भी मिला था और उनसे भी उपरोक्त बातें बताई। इससे पुलिस को स्पष्ट हो गया कि मांगे का कत्ल नहीं हुआ परन्तु ग्राम मंसूरपुर में पाई गई लाश को पोस्ट मार्टम परीक्षा को रिपोर्ट और श्रीमती मोहरों की निशान देही पर बरामद किये गये अपराध सूचक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि हत्या का अपराध अवश्य हुआ है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने के लिये प्रयत्नशील है कि हत्या किस व्यक्ति की हुई है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

माननीय, यह समाचार प्रमुख रूप से समाचार पत्रों में छपा कि वह व्यक्ति जिन्दा है और उसको मारने वाले जेल में बन्द है। जो मुकदमा कायम हुआ वह मांगे की हत्या के संबंध में कायम हुआ। हत्या का मुकदमा कायम होने के बाद ३ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। इनमें दों ने आत्मसमर्पण किया। तो जब मांगे ने स्वयं प्रकट होकर कहा कि वह मरा नहीं है। तो उस मुकदमें को खत्म क्यों नहीं किया था?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

यह बात सच नहीं है कि तीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार एक को किया गया। न पूरन और धीरज के खिलाफ गिरफ्तारी के वारन्ट थे। इन लोगों ने स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण किया २९-७-७१ को। इन्होंने बयान हल्फी दी कि मांगे का कत्ल नहीं हुआ है। इसके बाद जांच इत्यादि करायी गयी जिससे मालूम हुआ कि एक व्यक्ति की हत्या हुई है और इस संबंध में ए०डी०एम० (जे०) ने, जो पहले से जमानत के लिये आवेदन-पत्र दिया गया था, तथ्यों को देख कर उस पर यह फैसला दिया कि जमानत नहीं होना चाहिये, इनका इन्वालमेंट साबित होता है किसी दूसरे कत्ल में।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैंने यह नहीं कहा कि दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । दो व्यक्तियों ने आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण तब किया जाता है जब किसी को मालूम हो जाये कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है । इस केस में यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि उन्होंने आत्मसमर्पण क्यों किया । इसमें महत्व की बात यह है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बारे में मुकदमा कायम हुआ, किन्तु वह तो जीवित निकला तो उसके खिलाफ अब तक मुकदमा क्यों नहीं उठाया गया ? दूसरी हत्या जो हुई है वह हुई है उसकी कार्यवाही तो होगी वह हुआ करेगी, किन्तु जो मांगे की हत्या के संबंध में गिरफ्तार आदि हुए उन पर से मुकदमा खत्म क्यों नहीं किया गया ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

उसके बाद तो हम खत्म ही कर रहे हैं, अब हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है । उन लोगों की जमानत हो गई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मुकदमा खत्म करने की कार्यवाही आप क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष--

जमानत पर वह छोड़े गये हैं और अब आगे की कार्यवाही होगी । (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय गृहमंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पूरन और धीरज को ५-८-७१ को रिहा किया गया तो किस तारीख को उन्होंने आत्म-समर्पण किया था । दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि उसके घर से एक खून आलूदा डंडा बरामद हुआ था डंडे में सुराख थे और यह भी बताया गया था कि उसमें फरसा लगाया गया था, तो क्या इस केस में पुलिस ने तमाम बातों को इन आदमियों को सही मान कर उनके खिलाफ भर दिया था ? मेरे दो प्रश्न हैं, दोनों का अलग-अलग उत्तर आ जाये ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, पुलिस का तो इसलिये उन पर संदेह था क्योंकि स्त्री के यहां से डंडा बरामद हुआ, जिसमें खून रगा हुआ था, धीरज और पूरन के यहां से खून के अधजले कपड़े बरामद हुए, और ट्यूबवेल पर खून के निशान पाये गये थे । इसलिये यह तो निश्चित हुआ है कि हत्या हुई, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो सकी, क्योंकि वह विक्षिप्त अवस्था में थी । फिर उसके भांजे ने भी यह अप्लीकेशन दी थी कि जो लाश मिली है वह मेरे मामा की है, इसलिये पुलिस ने इस संदेश पर यह कार्यवाही की ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मेरी बात का अभी स्पष्ट उत्तर नहीं आया, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तारीख को उन्होंने आत्मसमर्पण किया ? क्या यह सारा का सारा मामला पुलिस ने जानबूझकर नहीं बनाया ? क्या इस तरह की अन्य शिकायतें यहां के थानेदारों के खिलाफ सरकार को नहीं प्राप्त हुई हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

इसकी निश्चित रूप से सूचना नहीं है, लेकिन २२ और २८ के बीच में उन्होंने आत्म-समर्पण किया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा समाचार पत्रों में छपा है अंधेर नगरी चौपट राजा एक हत्या में आपको साबित हो गया कि वह व्यक्ति जीवित है, तो मुकदमा तुरन्त समाप्त हो जाना चाहिये था, तो अभी तक किन कारणों से उन व्यक्तियों पर मुकदमा कायम है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उन पर सरकार का कोई मुकदमा चलाने का इरादा नहीं है । इस केस को हम वापस ले रहे हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा(जिला मुजफ्फरनगर)--

जो माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है उससे ऐसा मालूम होता है कि मुसम्मात मोहरों के बयान, उसकी निशानदेही, उसके नाम लेने के ऊपर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और फंसाया गया, इन बातों से मालूम होता है कि मुसम्मात मोहरा का भी स्टेटमेंट गलत था, इस लिये क्या उसके खिलाफ सरकार दफा ८२ की कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, कत्ल की जांच हो रही है । हो सकता है कि दूसरा कत्ल हो ।

श्री वीरेंद्र वर्मा--

उन्होंने कहा कि २८ या २९ को आत्मसमर्पण किया और 29 तारीख को बयान दे दिया कि मैं जिन्दा हूं ....

श्री अध्यक्ष--

२२ से २८ के बीच में कहा है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यही मानिये कि २२ से २८ के बीच में आत्मसमर्पण किया और २९ तारीख को बयान दे दिया कि मैं जिन्दा हूं मैं नहीं मरा हूं तो किस कारण से एक हफ्ते तक उसकी जमानत नहीं कराई गयी ?

श्री उध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । यह वक्तव्य के लिये है खाली ।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ६ -स्टाम्प

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी)--

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६- स्टाम्प के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,५५,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६- स्टाम्प के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १२,५५,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ७--निबन्धन

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मान्यवर, मैं राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७-निबन्धन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,६७,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ७-निबन्धन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,६७,५०० रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ८--राज्य विधान मंडल

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है । वित्त मंत्री अनुदान संख्या ८ पेश कर रहे हैं । यह आपके सचिवालय से संबंधित है । आपके कर्मचारियों को सवेरे ९ बजे से रात के ९,१० बजे तक कार्य करना पड़ता है । लेकिन उनके लिये बजट में कोई स्पेशल प्राविजन नहीं किया गया है । यह भी व्यवस्था है कि आपके बजट पर विवाद न हो । इसलिये मंत्री जी से आप कहें कि वह ऐलान कर दें इस संबंध में कि क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

कठिनाई यह पड़ गई है कि सुरेन्द्र विक्रम जी ने जो कहा है कि आप मंत्री जी से कहें तो आप हरगिज मंत्री जी से न कहें । विधान मंडल सचिवालय इंडिपेंडेंट है, सरकार के अधीन नहीं है, आपके अधीन है।इस सचिवालय के कर्मचारियों व अधिकारियों में बहुतों को इन सरकारा सचिवालय के अधिकारियों व कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है । ३०,४० व्यक्ति ऐसे हैं इस सचिवालयों में जो अस्थायी चले आ रहे हैं, स्थायी नहीं किये गये हैं । आपने गार्ड्स भी ६० रुपये माहवार पर रखे हैं जितने एक मजदूर भी आज कल नहीं मिलेगा । तो आपको इन प्रश्नों पर विचार करना है । सचिवालय के आप मालिक हैं, मिनिस्टर नहीं हैं । तो मैं आपकी सिफारिश से, गवर्नर की सिफारिश से नहीं, यह प्रस्ताव करता हूं कि इस सचिवालय के कर्मचारियों की सेवाओं पर आप पुनर्विचार करें और एक हफ्ते के अन्दर हम को सूचित कर दें कि क्या राहत आपने दी है ?

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है....

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठें । यह अधिकार मेरा है इसमें कोई शक नहीं है । यह मैं आपको बतला दूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मेरे अंतिम आदेश होंगे । अगर कोई काट छांट की आवश्यकता हुई तो वह फायनेंस डिपार्टमेंट सुझाएगा लेकिन अंतिम जो मेरे आदेश होंगे वही माने जायेंगे । लिहाजा मैं इस पर विचार करके आपको सूचना दे दूंगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी—

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८-राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४२,९०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मर्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८—राज्य विधान मंडल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने क लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४२,९०,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,९७,९७,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ३९-अधिवर्ष-भत्ते औ पेंशने के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २,९७,९७,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५२—पेंशनों का राशि मूल्य

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२—पेंशनों का राशि मूल्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४ करोड़..... ।

अनुदान संख्या–५२ पेंशनों का राशि मूल्य

श्री अध्यक्ष––

आप गलत पढ़ रहे हैं, वह ४ करोड़ नहीं है ४ लाख है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)––

मान्यवर, बड़ी-बड़ी गलितयां ये लोग कर रहे हैं । इनको पेंशनें बढानें की घोषणा करनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष––

(मंत्री से) आप फिर पढें । अगर ४ लाख का ४ करोड़ पढेंगे तो दिवाला निकल जायगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी––

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होन वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२–पेंशनों का राशि मूल्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,३२,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५२-पेंशनों का राशि मूल्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ४,३२,१०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ४–बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या ५४––ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)––

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ४-बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८१,५३,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, म श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५४–ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्नर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त ५९,१९,५६,२०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, अनुदान संख्या ४ जिसके लिये मैंने आपके द्वारा सदन से ८१,५३,३०० रुपये की स्वीकृति का आग्रह किया है वह बिक्री-कर प्रशासन से संबंधित है । आप जानते हैं कि बिक्री-कर का प्रदेश की राजस्व स्थिति में कितना महत्व है । बिक्री-कर से जो राजस्व प्राप्ति होती है वह अन्य राजकीय संसाधनों में सबसे अधिक है । इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि बिक्री-कर प्रशासन को किस प्रकार से संगठित और दक्ष किया जाय जिससे एक ओर तो हम बकायों की वसूली कर सकें और दूसरी ओर इसकी जो अपवंचना होती है उसको रोक सकें.... ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

अध्यक्ष जी, एक प्रार्थना है । माननीय मंत्री जी यह भी बता दें कि इस वर्ष बिक्री-कर की वसूली कितनी बकाया रह गयी है । बजट भाषण में इसका जिक्र नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं निवेदन कर रहा था कि बिक्रीकर के प्रशासन को अधिक दक्षतापूर्वक चलाने के लिए जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उनका भी सावेदश इस अनुदान में है। बिक्री-कर की बकाया पिछले वर्षों में कुछ वृद्धि की ओर रही है। मार्च ३१ तक समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में बिक्री-कर का बकाया ३२ करोड़ रुपया था। उसमें से जो भी धनराशि शामिल थी कि जो असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर या जुडीशयल लोग होते हैं वह आधा रुपया जमाकर के स्टे कर देते हैं जो न्यायाधिकरण है सेल्स टैक्स विभाग का वह उसे स्टे कर देता है। तो जब मुकदमों का फैसला हो जाता है उन अदालतों में तब उस पर बकाया की वसूली होती है। बकाया की कड़ाई के साथ वसूली के लिए उसे एरियर्स आफ लैंड रेवेन्यू के प्रमाण-पत्र ईश्यू किये जा रहे हैं और जहां पर ऐसी स्थिति है वहां ज्वाइंट टीम्स रेवेन्यू विभाग की और जिला शासन की कार्यवाही कर रही हैं--जहां पर बिक्री कर की मदें विवादास्पद हैं या डिले हो रही है। यह कार्य पिछले वर्षों से चल रहा है और इस वर्ष अधिक सफलतापूर्वक करने का विचार है। मुझे आशा है कि बिक्री-कर की मद को देखते हुए और इसके प्रशासन को अधिक कुशलतापूर्वक चलाने के लिए सदन इस धनराशि को स्वीकार करेगा।

जहां तक ब्याज वाले ऋण और अग्रऋणों का प्रश्न है ये तमाम विभागों के द्वारा जो ऋण और अग्रिम स्वीकार किये जाते हैं वह सब एक मुश्त इस अनुदानमें दिखाये जाते हैं। पिछल वर्ष लगभग पूरक अनुदानों को मिला कर के १०८ करोड़ का निवर्तन इस मद में हुआ था। इस वर्ष वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए इस लेखानुदान द्वारा जो पूर्व स्वीकृत सदन कर चुका है और आज की अनुदानों को जोड़ कर १ करोड़ १ लाख रुपये का ब्योरा निर्धारित किया गया है। इनमें जो धनराशियां अंकित की गयी हैं उनमें स्थानीय निकायों के लिए १२,८२ हजार, सहकारी संस्थाओं को ऋण के लिए १,५२ लाख, किसानों को अग्रिम २३,२० लाख और निगमों प्रशासनों को देने के लिए ६८ करोड़ ४८ लाख, विस्थापितों को दोनों देने के लिए १२ लाख ९७ हजार, पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए १६,७२ हजार। सरकारी कर्मचारियों को मकान निर्माण के लिएऔर अन्य प्रकार के ऋण के लिए १,४३ लाख और अन्य प्रकार के जो ऋण हैं उनमें ४ करोड़ ७ लाख। इस प्रकार का प्राविधान है। इसमें जो वृद्धि हुई पिछले वर्ष...

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

अभी मंत्री जी ने कहा कि १२ लाख विस्थापितों के लिए दिया जा रहा है इस बजट में। जरा इसको बतला दें कि कौन से विस्थापित हैं और क्यों यह जरूरत पड़ गयी १२ लाख के प्राविधान की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं सम्मानित सदस्य को धनराशि की आवश्यकताओं से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं पहले जो मूल अनुदान है, मुख्य अनुदान को इंगित करना चाहता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन् व्यवस्था का प्रश्न है। यह १२ लाख विस्थापित वाला निकाल दें। इस अनुदान में ऋण और अग्रिम वाले प्रश्न पर जितने आइटम्स रहते रहे हैं उसमें

विद्युत बोर्ड वाले और अन्य संस्थाओं वाले रहते रहे हैं। विस्थापितों को ऋण का आज तक कभी भी इस हड के अन्तर्गत नहीं आया ह। हमने इसको पुराने हैड की तरह ही समझ कर लिया था कि बिक्री-कर और बिजली बोर्ड के बारे में वह विवरण देंगे, लेकिन विस्थापितो, शरणार्थियों का जो बंगला देश से आये हुए हैं उनकी स्पेशल प्राब्लम है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। तो यह एक चूंकि नया आइटम १२ लाख का वह इंट्रीड्यूज कर रहे हैं जो आज तक इस हेड के अन्तर्गत कभी नहीं आया था इसलिए मेरा अनुरोध है कि यह आइटम इसमें से निकाल दिया जाय और उसके लिए अलग दिन नियत कर दें बहस के लिए क्योंकि इसमें राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पचीदगियां हैं जिनमें हमें स्पष्ट जानना है कि सरकार की क्या नीति है। अगर इसमें ही इसको ले आयेंगे तो गड़बड़ हो जायगा।

श्री अध्यक्ष––

आप कटमोशन दे दीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो यह मद है वह इस वर्ष की नहीं है यह चलती हुई मद है जो कई वर्षों से चली आ रही है। बजट के वर्गीकरण को देखें तो ब्योरेवार अनुदान के पृष्ठ ५२७ और ५२८ पर आप को मिलेगा कि विस्थापित व्यक्तियों को ण और अग्रिम की जो नीति है यह ६९–७० में थी, ७०–७१ में भी थी, और इस से पहले भी थी।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)––

किस कैटेगरी के लोग इस में आते हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

पूर्वी, पश्चिमी पाकिस्तानी जिलों के विस्थापितों के लिए है।

श्री कल्पनाथ सिंह––

श्रीमन्, जो बात मैं साफ कराना चाहता था वह साफ हो गयी कि विस्थापितों के लिए है इस साल जो १२ लाख रुपया ऋण दिया है तो यह फाइनशियल इन्टीट्यूशन्स को दिया जाता है। यह किस प्रकार का प्राविधान है, इस को साफ करने की कृपा करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

श्रीमन्, मैं एक लाइन कह नहीं पाता हूं कि प्रश्न पहले आ जाता है। पहले मेरी बात सुन लें। पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान जिलों से आये हुये विस्थापितों और बर्मा से आये हुये विस्थापितों को यह ऋण दिया जा रहा है। उन विस्थापितों के लिए जो बंगाल से आते रहते है उन को भारत सरकार ऋण देती है। बंगाल देश से आये व्यक्तियों के लिए यह मद नहीं है।

श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि इस वर्ष ५ करोड़ रुपये की धनराशि...

श्री धर्मवीर––

एक स्पष्टीकरण कर दें कि यह बंगाल से आये हुये शरणार्थियों के लिए नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि किनके लिए कोई प्राविधान करने जा रहे ह और कौन सी नीति अपनाने जा रहे हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

श्रीमन्, माननीय सदस्य को मालूम है कि बंगाल देश से आये विस्थापितों की सहायता के लिए भारत सरकार कार्य कर रही है और भारत सरकार की ओर से कैम्प चलाये जा रहे हैं। उनका शत प्रतिशत व्यय भारत सरकार वहन करती है।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

श्रीमन्, इस में ३ करोड़ २६ लाख रुपये का ऋण चीनी उद्योग निगम के लिए है । जो १२ चीनी मिलें ली गयी हैं, उन के लिए प्राविधान किया गया है और जो शुगर कारपोरेशन है, उस को दिया जाता है । यह जो नये ऋण का प्राविधान है जो सदन द्वारा स्वीकृत नीति के अनुरूप है । यह तमाम विभागों से सम्बन्धित अनुदान है । इस में सभी विभागों के अलग-अलग ऋण हैं । जो प्लान और नान-प्लान दोनों के लिए दिया जाता है, उनके लिए है । मैं अधिक न कह कर आप की आज्ञा चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के विचार व्यक्त करने के बाद अन्त में मैं कह सकूं ।

श्री धर्मवीर---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४ के अधीन मांग की राशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४ के अधीन मांग की राशि को घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मन्त्री जी ने बिक्री-कर के विषय में अपना अनुदान पेश करते समय यह कहा कि बिक्री-कर प्रदेश की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है । उस के अन्तर्गत जो आज लगभग ३२ करोड़ रुपये की बकाया पड़ी हुई है और साथ ही साथ इस विभाग में जो कर-अपवंचना होती है उसके बारे में क्या रास्ता अपनाया जा रहा है, उस के बारे में माननीय मन्त्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला । वह केवल एक रूटीन तरीका है जो पिछले वर्षों में अपनाया गया है । पिछले वर्ष भी माननीय मन्त्रीजी ने इसी प्रकार की बात कही थी । लेकिन यह नहीं बताया गया कि घाटे की पूर्ति के लिए कौन से रास्ते अपनाये जा रहे हैं, उस के बारे में किस प्रकार का नया सुझाव सदन के सामने उन्होंने नहीं रखा । उस के कारण क्या हैं, यह मैं स्पष्ट जानता हूं । वर्तमान सरकार की स्थिति कुछ ऐसी है और हमारे माननीय मन्त्रीजी कुछ ऐसी स्थिति में सरकार चला रहे हैं, रात दिन यह सरकार कुछ ऐसे वातावरण से चल रही है जिससे ऐसा लगता है कि इस वर्तमान सरकार का स्थायित्व खतरे में है और इस के साथ ही साथ माननीय मन्त्री जी को विभाग के बारे में अच्छी प्रकार से विचार करने का अवसर नहीं मिल रहा है कि करोड़ों रुपया जो इस वित्तीय वर्ष में आप खर्च करने जा रहे हैं, उस के बारे में कौन सी नीति अपनाने जा रहे हैं, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । स्लोगन तो आप के बड़े बड़े हैं । स्लोगनों के बूते पर ही यह सरकार चल रही है लेकिन प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की नयी नीति की घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गयी है ।

मैं उन से कहना चाहता हूं कि अगर उनके पास थोड़ा सा समय हो, जैसा कि वह मानते हैं कि यह विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार के कुछ विभाग ऐसे हैं जो रेवन्यू कलेक्ट कर के प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने में सहायक हो सकते हैं, प्रदेश की समृद्धि को बढ़ा सकते हैं । यह विभाग उन विभागों में से एक है । लेकिन इसके बारे में सरकार ने किसी नयी नीति के निर्धारण की ओर ध्यान नहीं दिया है । जिस प्रकार से रूटीन चला आ रहा था वही इस वर्ष भी रख दिया गया है । नये स्लोगन मन्त्री जी लगाते हैं, परन्तु उन के अनुरूप कोई काम नहीं किया गया है । मैं आप की भलाई के लिए कहना चाहता हूं कि हम लोग आप का स्वागत करेंगे यदि वे प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, जनता को राहत पहुंचाने के लिए, अगर आप कोई क्रान्तिकारी कदम उठाना चाहते हैं तो आप उस की घोषणा करें । अध्यक्ष महोदय, उन नीतियों के बारे में माननीय मन्त्रीजी ने कुछ नहीं कहा और केवल यह कह दिया कि माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे, उस के बाद मैं कुछ कहूंगा । और उस समय वे जो कहेंगे, उसका हम लोगों को जवाब देने का अवसर नहीं रह जायगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस विक्री-कर विभाग के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । अगर माननीय मंत्री जी उन सुझावों को अपने इस विभाग म लागू करेंगे तो एक ओर तो उनकी बकाया वसूल हो जायगी और दूसरी ओर जो कर-अपवंचना होती है, उसमें भी रोकथाम हो जायगी। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि···

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अनुदान संख्या ४ के बारे में स्मृति-पत्र पृष्ठ ८४ पर जो दिया हुआ है उस को देखने से का कष्ट करें और ऋणों के बारे में पृष्ठ १६२—१६३ देखें, उसमें सब कुछ दिया हुआ है ।

श्री धर्मवीर—

उस में क्या लिखा है । वह तो हर साल गवर्नमेंट प्रेस से जो छापा जाता है वही नकल कर दिया गया है । केवल ऊपर सन् ७१-७२ बढ़ा दिया गया है । उसमें नयी कोई चीज नहीं है ।

मैं मानतीय मन्त्री जी एक सुझाव देना चाहता हूं कि आपके सैल्स टैक्स में आज कल जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव साथ-साथ चलाई जा रही है । जुडिशियरी इन्डिपेन्डेंट नहीं है । जब इन्डिपेन्डेंट नहीं है तो उससे लोगों को न्याय कैसे मिलेगा वंच और उसका नतीजा यह है कि आप कर-अपबंचन को रोक नहीं पाते हैं और यही कारण है कि इस विभाग द्वारा बहुत हैरेसमेंट होता है और उससे बचने के लिये व्यापारी वर्ग लाखों करोड़ों रुपये का घपला कर बैठता है । उस पर आप ध्यान नहीं देते कि हम कौन सा रास्ता अपनायें जो कर अपवंचना रोके । मिसाल के तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर, जुडिशियल को रिवीजन का अधिकार है लेकिन उसे होना चाहिये जज डिसीजन के अन्डर में, आपने उसे आयुक्त बिक्री-कर के अन्डर में कर दिया है और अपील के बाद फाइनल रिवीजन फिर आयुक्त विक्री-कर के नाते सरकार के हाथ में रहता है । इस प्रकार उस हैरेसमेंट से बचने के लिये जो नीचे से उपर तक चलता है, व्यापारी दर्ग गलत एन्ट्रीज दिखाकर कर को बचाता है ।

दूसरे रिमांड केसेज का डिस्पोजल जल्दी नहीं होता । एक बार रिमांड स्टे हो गया तो छः-छः महीने, साल-साल, दो-दो साल तक पड़ा हुआ है । अगर आप रिमांड केसेज को जल्दी डिस्पोज आफ कर दें तो आपकी वसूली हो जाय ।

तीसरी बात स्टे के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जो जज रिवीजन होता है उसके अधिकार पर किसी प्रकार की रोक-थाम नहीं होनी होनी चाहिये । होता यह है कि आप कहते हैं कि पहले २/३ जमा कर दे तब स्टे देंगे । बहुत से व्यापारी जिनको न्याय मिलना चाहिये वह नहीं जमा कर पाते हैं तो वह दूसरा रास्ता अपनाते हैं ।

इसी तरह से रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में प्रत्येक व्यापरी से जमानत मांगी जाती है जिसमें छोटे व्यापारियों को जिनका सम्बन्ध आम जनता से होता है, बहुत असुविधा होती है पंजीकरण कराते समय । आप अपने किसी माननीय सदस्य से, खास तौर से जो उसके प्रैक्टिश्नर हों पता लगा लें कि रजिस्ट्रेशन कराने में उनको कितना हैरेसमेंट होता है । उस हैरेसमेंट से बचने के लिये बहुत लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, जिससे सरकार को जो धनराशि मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पाती ।

इसके साथ ही साथ टैक्सेबिल आइटम पर आप कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन फीस लगा लीजिये । इससे एक निश्चित आय आपके विभाग को होगी ।

वसूली के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि जो बकाया वसूली है, इसके लिये आप को एक अलग से कलेक्शन सेल बनानी पड़ेगी जिसके जिम्म केवल एक ही काम हो । आपन बताया कि रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट आदि मिलकर इस कार्य को देखेंगे । परन्तु तीनों अलग-

[श्री धर्मवीर]

अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। पुलिस एक्शन लेता है तो उससे बचने के लिये व्यापारी अलग रास्ता ढूंढ़ लेते हैं। रेवेन्यू एक्शन होता है तो तहसीलदार के यहां अमीन वगैरह से मिल कर अपना बचाव कर लेते हैं, तो सामन्जस्य तीनों विभागों में नहीं हो हो पाता। अगर आप एक सेल बना दें, क्योंकि १०—२० लाख का मामला नहीं है, ३२ करोड़ का मामला है तो आप का वह रुपया वसूल हो जायगा।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान परचेज टैक्स के विषय में आकृष्ट करना चाहता हूं। गल्ला, गुड़, घी इत्यादि पर आप क्रय-कर को हटा कर अगर सेल्स-टैक्स लगा लीजिये, तो उससे लाभ होगा। उस समय आप ढूंढ़ने लगते हैं कि फर्स्ट परचेजर कौन है और फर्स्ट परचेजर अपने को कोई बताता नहीं। तो फर्स्ट परचेजर को आप ढूंढ नहीं पायेंगे। अगर आप सेल्स टैक्स लगा दें बजाय इसके कि क्रय-कर लगाते हैं तो निश्चय ही आमदनी की धनराशि बढ़ सकती है।

इसके साथ ही साथ व्यापारी जो कर अपवंचना करते हैं उसके लिए पूरे प्रदेश में इनके लिए कोई चेक पोस्ट नहीं है कि किधर से कितना और कब माल आया। इसकी जानकारी आपके विभाग को नहीं हो पाती है। जब व्यापारी सब कुछ बैठाकर अपना हिसाब किताब ठीक कर लेता है तब वह शो करता है और आपके विभाग को तब जानकारी होती है कि कहां से कितना माल आया। अगर आप बोर्डर पर जहां से सामान आता है, वहां पर चेक पोस्ट की व्यवस्था कर दें तो निश्चय ही आपके विभाग को जानकारी हो जायगी कि कितना माल प्रदेश के अन्दर कहां से आया। उस माल पर कितना टैक्स मिलना चाहिये, इसकी जानकारी हो जायगी।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासूदेव पीठासीन हुये।)

इसी प्रकार मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली दो सरकारों से यह विभाग, जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, श्री नारायणदत्त जी तिवारी के हाथ में है। मैं चाहता हूं कि अगर आप निश्चय ही इस विभाग को सुधारने के लिए कुछ करें और इस विभाग को इस लायक बना दें कि जिससे आपकी सरकार के हाथ मजबूत हों और आमदनी बढ़ जाय तो उससे प्रदेश की जनता का बड़ा उपकार होगा। और निश्चय ही जो वादे आपने जनता से किये हैं उन वादों को पूरा करने में समर्थ हो जायेंगे। और हां, यदि हाथ इसी प्रकार से चलते रहे तो मुझे भय है कि वित्त मन्त्री जी दोबारा इस सदन के अन्दर अपनी सरकार की ओर से बजट पेश कर पायेंगे या नहीं इसमें मुझे सन्देह होने लगता है। इसलिए जो मैंने निवेदन किया कि सबसे पहले आपको ये कार्य करने चाहिए कि चेक पोस्ट की स्थापना कर दें, बकाये की वसूली के लिए जो सुझाव मैंने दिये उसके अनुकल करें और व्यापारियों का हैरेसमेंट कम करें, और विभागीय भ्रष्टाचार दूर करें तो बहुत लाभ हो सकता है। इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आप बहुत प्रयत्नशील हैं लेकिन जब तक आप अपने विभाग पर सख्ती नहीं करेंगे और नियन्त्रण से काम नहीं लेंगे तब तक यह भ्रष्टाचार रुक नहीं सकता है। जो बड़े व्यापारी हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं उनके लिये यह तभी सम्भव हो सकता है जब अपने विभाग के ऊपर आप नियन्त्रण करें। जो आपके इन्सपेक्टर हैं, वसूल करने वाले हैं, उनको कड़ाई के साथ आदेश दें और इस प्रकार की व्यवस्था कर दें कि उनको किसी प्रकार से भी ढील न मिले तो निश्चय ही जो व्यापारी चोरी करते हैं, वह बन्द हो जायगा और जो पैसा चोरी करके वह अपने पास रखते हैं वह सरकार के पास आयेगा और सरकारी खजाने में जायगा।

इसी प्रकार से मैं मन्त्री जी का ध्यान दूसरी मद की ओर ले जाना चाहता हूं। ब्याज वाले ऋण के विषय में माननीय मन्त्री जी ने कुछ घोषणा की। उन्होंने घोषणा की है कि पिछले वर्ष 108 करोड़ रुपया वितरित लगभग किया गया था। इस वर्ष इस बजट के अन्तर्गत भी उन्होंने 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसमें से स्थानीय निकायों के लिए 282 लाख रुपये, किसानों के लिए 23·20 लाख रुपये, फाइनेन्शल कारपोरेशन को 68

करोड़ रुपये, पंचायतों को 16 लाख, राज्य कर्मचारियों को गृह निर्माण के लिए 1[illegible] करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। वित्त मन्त्री जी बहुत प्रगतिशील समाजवादी हैं। अभी आपकी केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार का एक बिल रखा है, सम्पत्ति पर संशोधन बिल। उसके प्रारूप को मैंने देखा। यदि यह समाजवादी सरकार होती तो कभी भी ऐसे सड़े गले चीनी मिलों के लिए कम्पन्सेशन देने के लिए प्राविजन न रखती।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)––

मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने कोई ऐसा निर्णय कर दिया है कि बिना किसी मुआवजे के ही किसी की प्रापर्टी ली जायगी या यह तय किया है कि क्वान-टम आफ कम्पेनसेशन गवर्नमेंट या उसकी एग्जिक्यूटिव तय करेगी ?

श्री धर्मवीर––

आपकी कोई चीज मनसावाचः कर्मणा के अनुसार तो है नहीं, आप तो मन में कुछ रखते हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप की तो तीनों ही बातों में अन्तर है।

श्री कृष्णानन्द राय––

श्रीमन्, आज ही के समाचार पत्र में लिखा है कि भारत सरकार एक कम्पनीज संशोधन विधेयक ला रही है अगले सत्र में उस के अनुसार कम्पनियों को बिना मुआवजा दिये वह एक्वायर कर लेंगे, यह सूचना छपी हैं, उसको वह स्वीकार करें और अगर वह प्रधान मन्त्री की और उनकी बात की कुछ भी इज्जत करते हैं तो इस 3 करोड़ रुपये को बचा लें और इन चीनी मिलों का अधिग्रहण बिना किसी पैसे के करा दें।

श्री राजमंगल पांडेय––

मेरा मतलब यह है कि उसमें यह है कि किसी-किसी कम्पनी को अधिग्रहण कर सकते हैं या यह है कि 'कर लेंगे' ?

श्री धर्मवीर––

लायबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि वह बिना मुआवजे के उनको ले सकते हैं। यह नहीं है कि वह हर सूरत में ऐसा करेंगे। पूरी जानकारी न होने का आप पर भी दोष आता है, आप भी सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्य हैं आप को जानकारी होना चाहिए लेकिन मुझे अफ-सोस है कि इस सरकार को, सरकार के हेड होने के नाते मुख्य मन्त्री जी को, वित्त मन्त्री जी को इन्दिरा जी और उन की नीतियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि वह क्या करेंगी और क्या करना चाहती हैं, आप तो गुमसुम त्रिशंकू की तरह अधर में लटके हुये हैं। कभी सुनने में आता है कि मुख्य मन्त्री जी गवर्नर हो कर जा रहे हैं कभी असेम्बली के डिजाल्व होने की बात आती है ..

श्री राजमंगल पांडेय––

जानकारी हम को है, हम को इतना नहीं मालूम उन के जाने के बारे में या डिजाल्व होने के बारे में जितना उनको मालूम है।

(व्यवधान)

श्री धर्मवीर––

आपने जनता के साथ झूठे वादे किये कि गरीबी हटाई जायगी, बेरोजगारी दूर की जायगी और आप इस तरह से सरकार में आ बैठें, मुझे तो तरस आता है कि आप का क्या हस्र होगा। अगर आप की नियत साफ है तो आप जो कहते हैं, वह करिये जब आप की नीतियां स्पष्ट नहीं हैं तो आप किस मुह से जनता के सामने जायेंगे।

[श्री धर्मवीर]

आप को जानकारी होना चाहिये कि सही बात यह है कि हमने जिन चीनी मिलों को पैसा दिलाने के बारे में सदन में इसीलिये मतदान कराया था उससे पूरे प्रदेश के सामने और यहां की तमाम जनता के सामने आप का नग्न चित्र आ जाय। आप नारा कुछ और लगाते हैं, आप कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। आप ने इन सड़ी-गली मिलों के लिए 3 करोड़ 34 लाख रुपये का आपने प्राविजन कर दिया। आपको इस करनी का फल भोगना पड़ेगा।

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि हमारे देश में गांधी जी ने जो स्वाराज्य की आवाज उठाई थी उनका यह स्वराज्य गांवों से शुरू होता था। वह चाहते थे कि उनका स्वराज्य दिल्ली की शानोशौकत की गद्दी से संचालित न हो दिल्ली और लखनऊ से शासन सत्ता संचालित न हो बल्कि वह शक्ति गांवों में जाय।

मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहूंगा कि वह पर्वतीय क्षेत्र से आते हैं और यहां अक्सर चर्चा होती है पर्वतीय विकास मण्डल की और पर्वतीय बोर्ड की लेकिन इस से वहां के गांव ऊपर नहीं उठेंगे और उनकी व्यवस्था उन से नहीं सुधरेगी आप की यह नीति रहेगी कि जहां 101 करोड़ रुपये का प्राविजन किया गया है उसमें से केवल 16 लाख रुपए ही केवल ग्राम-पंचायतों को दिया गया है, इस 16 लाख रुपए से यह पंचायतें कौन सा विकास कर सकेंगी और किस स्वराज्य की रूपरेखा जनता के सामने रख सकेंगी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सरकार की ओर केन्द्र की सरकार को निश्चित रूप से इस बात की फुर्सत नहीं है कि नीचे की श्रेणी में प्रदेश के जो दबे हुए लोग हैं, जो करोड़ों दबी हुई गरीब जनता है उसकी तरफ देख सकें। क्या उसकी ओर अगर ध्यान होता तो यह 16 लाख की ही व्यवस्था पंचायतों के लिए की जाती, क्या आप समझ सकते हैं कि इतनी छोटी सी धनराशि से यह पंचायतें कुछ कर सकेंगी।

मुझे ज्यादा अवसर नहीं मिला पहाड़ पर जाने का। मुझे तो लखनऊ और इलाहाबाद ही जाने का अवसर मिला है। उदाहरणार्थ इलाहाबाद में जो गांव बसे हैं, उनमें न तो गलियां हैं, न वहां पर सड़कें हैं, न अस्पताल हैं, न सुचारु रूप से वहां पर शिक्षा का प्रबन्ध है, न वहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्था है। आखिर क्या आपने पंचायतों को जाली पट्टे बांटने के लिए ही कायम कर रखा है? दूसरे इनके चुनाव भी नहीं हुए। मैं जानना चाहता हूं कि आप ग्राम पंचायतों के चुनाव कब करायेंगे, वहां की शक्ति को कब जनता के हाथों में सुपुर्द करेंगे? उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जिससे वे गांवों की सेवा कर सकें क्या 16 लाख रुपये के प्राविधान से काम चल जायगा? आप प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अपील करते हैं, कि हमारे प्रदेश के पूर्वी हिस्से के, बुन्देलखन्ड और पर्वतीय अंचल के पिछड़े पन को दूर करने के लिए, उसको डैवलप करने के लिए रुपया दीजिए ताकि उनकी उन्नति की जा सके लेकिन आप इन इलाकों की स्वयं उपेक्षा करते हैं। मेरी इस सरकार से प्रार्थना है कि वह इन्हें अधिक से अधिक धन दे ताकि गांवों में उन्नति हो सके।

इसी प्रकार से आगे आप देखिये। इस बजट में किसानों को ऋण देने के लिए आपने 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। दुर्भाग्य से इस वर्ष ऐसा रहा कि रबी की फसल का सत्यानाश हो गया है और मुझे तो स्मरण नहीं आ रहा है कि कितने करोड़ रुपये की हानि हुई है लेकिन हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने और माल मन्त्री जी ने इसे बताया था। दूसरे, बाढ़ की वजह से इस वर्ष किसानों की खरीफ की फसल भी नहीं हो पाई है। मोटा अनाज, जैसे जुंदडी, मकई, बाजरा, तिल और दालें आदि सब बरबाद हो गयी हैं। अरहर भी बोई नहीं जा सकी है। आज किसानों के समक्ष एक मुसीबत आ रही है। तो इन 23 करोड़ रुपयों से आप किसानों को कितना ऋण देंगे जिससे वे इस बात के लिए समर्थक हो सकें कि जिससे वे कृषि की व्यवस्था को ठीक कर सकें। दुर्भाग्य की बात है कि जिसके

लिए हम इतने नारे लगाते हैं, चाहे वह किसान वर्ग हो, चाहे वह कृषि हो और चाहे वह पिछड़ा वर्ग हो, उसको उपेक्षा की नजर से देखते आ रहे हैं। तो यह 23 करोड़ रुपये का प्राविधान करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो यह समझता हूं कि आप किसानों के साथ ज्यादती करने जा रहे ह। आज प्रदेश में इतनी बड़ी आपत्ति आई हुई है कि हर आदमी यह कहता है कि यह कैसी मनहूस सरकार है। कहावत है कि जहां-जहां गयें चरण सन्तन के वहां वहां बंटाधार हुआ। जैसे ही यहां पर इस सरकार ने सत्ता संभाली कि रवो की फसल का सत्यानाश हुआ और अत्यधिक वर्षा के कारण खरीफ की फसल चौपट हुई। आज का किसान भी सोच रहा है कि जैसी दुर्दशा आज उनकी हो रही है, अगर यह सरकार कुछ दिन और चली तो उनका क्या हाल होगा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं एक और महत्वपूर्ण संस्था की ओर सरकार का ध्यान आर्कषित करना चाहता हूं जिसकी चर्चा समय बे समय इस सदन के अन्दर और बाहर भी होती रहती है। कुछ ही ऐसी संस्थायें हैं जिनका वे पब्लिक सैक्टर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इनमें जो बिजली विभाग है, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इस विभाग का तो राम ही मालिक है। न इसका वित्त मन्त्री जी और न ही यह सरकार इसकी मालिक है। इसका न तो मालिक तो रावण ही है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा हाथी आपने क्यों पाल रखा है? जिस हाथी के द्वारा इस प्रदेश की सरकार तो रौंदी जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि प्रदेश की जनता और खास तौर से छोटा किसान रौंदा जा रहा है और यह सफेद मदमस्त हाथी, जिस पर आपके प्रशासन का बिल्कुल नियन्त्रण नहीं है, चला जा रहा है। करोड़ों रुपयों का घाटा दिखाया जा रहा है और माननीय मन्त्री जी शान के साथ कह देंगे कि घाटे की व्यवस्था प्रगतिशीलता की निशानी होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है।

मैं चाहूंगा कि अगर आपको अवसर नहीं है, मुख्य मन्त्री जी नहीं हैं, तो किसी दूसरे वरिष्ठ मन्त्री को आप अपने राज्य मन्त्री को ही यह बिजली विभाग दे दीजिये। या पाडे जी को दे दीजिये। क्योंकि चाहे उस तरफ के माननीय सदस्य हों या इस तरफ के हों, यह जो बिजली विभाग है इस बारे में इतना कान्फ्यूजन है और यह इतना कन्फ्यूंजिग डिपार्टमेंट इटसेल्फ है जिसके बारे में न आपको और न मुख्य मन्त्री जी को कुछ जानकारी है और न सरकार को लेकिन इतने पड़े महत्वपूर्ण विभाग के जरिये आप इस प्रदेश की जनता के विकास को करने का संकल्प करते हैं, वही विभाग आपके नियन्त्रण में नहीं है। आप जिस रथ पर बैठकर जनता को पहुंचाना चाहते हैं समाजवाद की मंजिल तक उस रथ का जो घोड़ा है, उस पर कोई लगाम नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगा कि आखिर यह डिपार्टमेंट घाटे में ही क्यों चलता है और जितनी आशा आप करते हैं प्रदेश के अन्दर विकास की और जितनी आशा जनता करती है इस बिजली के द्वारा कि इस प्रदेश का इण्डस्ट्रिलाइजेशन होगा। इस प्रदेश का जो मुख्य स्थान रहा है कृषि में, उसका विकास होगा और इस विभाग के द्वारा जहां हम कल्पना करते हैं कि गांव में कुटीर उद्योग धन्धों का विकास होगा। प्रदेश की प्रगति की रीढ़ और इस प्रदेश की बुनियाद इसी विभाग पर आधारित है, वह सब गलत हो जायेंगे। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं प्रगति के। जैसे जैनरेटिंग कैपेसिटी आपकी मार्च, 67 में, और आज की जो स्थिति हो गई है--जहां पर 9 लाख 10 हजार की (9,10,000) की केपेसिटी थी, वहां 14 लाख 34 हजार पहुंच चुकी है। निजी ट्यूबवेल जहां आपके 2,100 के करीब थे आज वे 1,17,000 पहुंच चुके हैं और इसी प्रकार लाइन्स की लम्बाई भी 66 हजार से 1,22,000 पहुंच चुकी है। जितने कस्बों में बिजली लगाई गई उस वक्त वह 5,900 थी अब वह 2,07,00 हो गई है। इसी प्रकार पावर जेनरेट जितना किया गया वह 312 करोड़ यूनिट के बजाय अब 553 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। इस प्रकार मैं मानता हूं कि प्रगति हुई। लेकिन इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस विभाग में होने के बावजूद भी जो प्रगति होनी चाहिये, वह नहीं हुई। आप

[श्री धर्मवीर]

अपने पड़ोसी प्रदेशों से तुलना कर लीजिये। छोटा सा प्रदेश हरियाणा है। शायद अभी उनके मुख्य मन्त्री ने यह घोषणा की थी पिछले दिनों कि वर्ष के अन्त में शायद ७२ तक कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां बिजली न पहुंच जाय। पंजाब को ही देख लीजिये। वह हिन्दुस्तान का सबसे अग्रगण्य प्रदेश है हर माने में। लेकिन यह उत्तर प्रदेश कुछ उलटा प्रदेश है और उसी तरह चल रहा है। जहां तक राजनैतिक गतिविधियां हैं, उसमें यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जायगा, स्लोगेंस इतने बड़े-बड़े लगाये जायेंगे कि हिन्दुस्तान गूंज उठेगा लेकिन यहां की जनता पिसती रहेगी, यहां के किसान पीछे रहेंगे। यहां का विकास नहीं हो पायेगा और हम विधान सभा में बैठकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे और दोषारोपण करेंगे। हम प्रदेश के पिछड़ेपन की जिम्मेदारी कभी माननीय चन्द्रभानु गुप्त पर, कभी माननीय चौधरी चरण सिंह पर, और अब चूंकि माननीय कमलापति जी मुख्य मन्त्री हैं उन पर लादते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि प्रदेश की जनता को इस पालिटिकल कन्ट्रोवर्सी में न खींचकर इस प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठायें।

अब मैं कुछ बातें इस विभाग के बारे में बताना चाहता हूं। राज्य विद्युत् परिषद् की जो मैगजीन मिली है, न मालूम कितना रुपया उसकी छपाई में लगा है, एक मोटा पुलिन्दा बंटवा दिया गया। कितने माननीय सदस्य उसको समझ पाये होंगे। मुझे तो शक है कि सरकार के बहुत से मन्त्री भी उसे नहीं समझ पाये होंगे। एक गोरखधन्धा है। उस विवरण पत्रिका के द्वारा ही उन्होंने आपको भुलावे में डाल रखा है। पांच छः सौ पेज की है। पांच सौ पेज में केवल अधिष्ठान ही अधिष्ठान भरा पड़ा है। न मालूम कितने चीफ इंजीनियर, कितने इंजीनियर और कितने ओवरसियर हैं। इस्टेब्लिशमेंट पर इस कदर खर्चा है। और डिपार्टमेंट की रिपोर्ट क्या है? मुश्किल से २०–२५ पन्नों में। तो जो सरकार इस्टेब्लिशमेंट पर 50 फीसदी से ज्यादा खर्च करती है, वह कभी कामयाब नहीं हो सकती, वह कभी प्रगतिशील कार्य नहीं कर सकती। तो यह सफेद हाथी चारा खा रहा है। उसका कोई रिटर्न नहीं मिलता। साथ ही साथ इतना व्यापक असन्तोष है इस विभाग में कि सात मेम्बर्स का जो बोर्ड बना है, वहां से लेकर नीचे एक मामली चपरासी गौर मजदूर तक व्यापक असन्तोष है और इस असन्तोष की चक्की में विभाग पिसता जा रहा है और उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अभी 15–20 दिन पहले हड़ताल की नोटिस मिली। सदन के माननीय सदस्यों ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार किया जाय। जो इनके बेस कर्मचारी हैं, जो गांवों में जाकर काम करते हैं, उनकी संख्या तो बहुत कम हैं और सुपरवाइजरी स्टाफ हद से ज्यादा रा पड़ा है। बिजली खराब होती है तो एक वायरमैन या इलैक्ट्रीशियन जाता है लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए कम से कम १५—२० सुपरवाइजर्स होते हैं।

एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय गोस्वामी जी जरा सुन लें। अभी पिछले दिनों मैं इलाहाबाद गया था। श्रीमन्, दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों की भावना तो है पब्लिक इन्टरप्राइज को लेकिन जहां पब्लिक इन्टरप्राइज की चीज होती है उसका नियन्त्रण न मालूम क्यों गड़बड़ हो जाता है, कार्य प्रणाली न मालूम क्यों गड़बड़ हो जाती है। जितने भी पब्लिक इन्टरप्राइज है चाहे वह देश में हो या प्रदेश में हो, सब घाटे की अर्थ-व्यवस्था में चल रहे हैं। जब तक वहां कम्पनी थी तब तक शायद ही कभी चर्चा होती थी कि ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन आज आए दिन ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं। पिछली बार मैं घर गया तो बिजली फेल थी। घर में पिताजी बीमार थे। उन्होंने बताया कि तीन दिन से लगातार टेलीफोन कर रहा हूं। इस्पेक्टर को किया तो कहा कि सुपरवाइजर को करो, सुपरवाइजर को किया तो कहा कि असिस्टेंट इंजीनियर को करो और असिस्टेंट इंजीनियर को किया तो उन्होंने कहा कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, मित्तल साहब को करो। तीन दिन तक टेलीफोन करते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब मैं शाम को पहुंचा और मित्तल साहब से

बात की तो उन्होंने कहा कि फौरन भेज रहा हूं। फिर भी १८ घंटे बीत गये जबकि बिजली कम्पनी वहां से केवल ढाई-तीन मील की दूरी पर है। पानी बरसते में एक वायरमैन और मिस्त्री आए जीप लेकर। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इस इलाके की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। उनके पास न कोई छाता, न कोई ओवरकोट, न रेनकोट बरसते हुए पानी में वे जाते हैं। आखिर हैं तो वे गरीब परिवार के सदस्य ही। वे छोटे कर्मचारी हैं और सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर लाद दी जाती है। जब अल्पवेतन भोगी कर्मचारी अपनी मांग आपके सामने रखते हैं तो आप बड़े-बड़े अधिकारियों के भुलावे में आ जाते हैं और उनकी मांगों की उपेक्षा करते हैं। सुपरवाइजरी स्टाफ बहुत बढ़ा हुआ है और लम्बी-लम्बी तनख्वाहें लेने वाले बंगलों में बैठे-बैठे टेलीफोन करते रहते हैं। बरसते पानी और गरजते तूफान में काम करता है छोटा कर्मचारी। जब वे वर्दी की मांग करते हैं, इनक्रीमेंट मांगते हैं या यह कहते हैं कि २–४ रु० महंगाई भत्ता दे दीजिये तो यह सरकार कांप जाती है। फिर वे मजबूर हो जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए। यह सब आपका होच पोच है। न ही आप कर्मचारियों को कुछ दे पाते हैं और न ही कर्मचारी समझ पाते हैं कि आप उन्हें क्या देंगे।

वित्त मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार के एक-एक दिन का जनता हिसाब लेगी। यहां की जनता, कर्मचारी और साधारण लोग चुनाव के वक्त आपकी सरकार के एक-एक दिन का हिसाब लेंगे। अभी आपने कर्मचारियों की स्ट्राइक को रोक दिया? स्ट्राइक 'कल आफ' हो गई, ठीक है, लेकिन इस तरह से आप कब तक चलते रहेंगे। कानपुर में 'केसा' को देखिये। वहां पर स्ट्राइक चलती रही। मुझे पता नहीं वह बन्द हो गई या नहीं। वहां का जन जीवन संकट में है और वहां के कर्मचारी भूखों मर रहे हैं। आप इस जुगाड़ में रहते हैं कि कैसा वातावरण बने कि हमारी सरकार चलती रहे, एसेम्बली डिजाल्व करें या न करें और कौन मन्त्री बने, कौन पार्टी का अध्यक्ष बने, जनता, कर्मचारियों की बातों के सोचने का आपके पास समय ही नहीं है।

मान्यवर, सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर्स की मांग काफी दिनों से चली आ रही है कि उनकी सीनियारिटी फिक्स कर दी जाय। जिस प्रकार से कि मशीन का पुर्जा खराब होने पर वह कार्य करना बन्द कर देती है, उसी प्रकार से यदि किसी विभाग के इतने वरिष्ठ अधिकारी असन्तुष्ट हों तो विभाग के कार्य में शिथिलता आना स्वाभाविक है। क्या वजह है कि इनकी सीनियारटी फिक्स नहीं की जा रही है?

विद्युत् परिषद् के अन्दर ७ सदस्य हैं और सातों के मुंह सात तरफ हैं। अगर दस होते तो 10 दिशाओं में कह देता। एक दिशा में एक दूसरे के मुंह नहीं हैं। तीसरे––चौथे दिन मीटिंग होती है। आपस में इतनी खींचातानी है कि कभी भी कोई सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। वहां पर इतना गड़बड़ घुटाला है कि खुली बात जनता के प्रतिनिधि के सामने नहीं रख पाते हैं। रखें कैसे––चोर चोर मौसेरे भाई। लाखों करोड़ों रुपये की गड़बड़ी है और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जनता का पैसा पानी में बह रहा है। आपने ३ पदासीन सदस्य रखे हैं जो सचिवालय के सचिव हैं। जब वे यहां अपने विभाग की ही देख रेख नहीं कर पाते हैं तो वहां पर क्या करेंगे। वे वहां तफरीयन जाते हैं और कोई मीटिंग एटेंड नहीं करते हैं। They do not have the least interest in the department. उनकी कोई रुचि नहीं है काम में और न ही वहां काम में किसी प्रकार का लगाव है। आप उन्हें वहां के काम के लिए कोई एक्स्ट्रा एमाउन्ट भी नहीं देते हैं। सेक्रेटेरियट में कलम तोड़ने के बाद वे वहां चले जाते हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊं, वित्त मन्त्री जी के इतने आश्वासन देने के बावजूद भी आप इस प्रदेश की जनता को कोई राहत नहीं दे पायेंगे।

[श्री धर्मवीर]

दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान ब्रेक डाउन की तरफ ले जाना चाहता हूं। ब्रेकडाउन हों तो उनको अटेंड करने वाला कोई नहीं है। मुझे स्मरण आता है कि पहले जब यह विभाग कम्पनी के अण्डर में था तो उस समय एक ऐसा विभाग होता था जो इसकी जांच पड़ताल करता था। इन्सपेक्टोरेट होती थी और जो इस प्रकार की जांच करता था वह सरकार के आधीन कार्य करते थे। वह जांच करके सरकार को सूचना देता था लेकिन आज वह इन्सपेक्टोरेट न जाने इस जाल बट्टा में कहां छिप गया है, उसकी क्या हैसियत रह गई है और वह किसके पास शिकायत भेजे, क्योंकि वह अब उसी विभाग का कर्मचारी होगा। अगर वह इन्डेपेंडेंट बाडी होता तो कुछ कर सकता। जो लेट अटेंडेंस होती है उसके बारे में सही अथारिटी को रिपोर्ट देती मगर अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए ब्रेक डाउन्स की ठीक देख-भाल नहीं हो पाती है। जो विभाग में गोलमाल है उसकी ओर मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी तक मेंटीनेंस और कामर्शियल में एक चीफ इंजीनियर होता था अब उस स्थान पर एक अलग से नियुक्ति हो गई है। उस इंजीनियर का नाम जानना चाहेंगे तो मैं बतला दूंगा। वह इंजीनियर ऐसे हैं जिनको कि विभाग की तरफ देखने का समय नहीं है और न ही दफ्तर की कुर्सी पर बैठते हैं क्योंकि उन्हें मुख्य मन्त्री के सचिवालय और वित्त मन्त्री के सचिवालय के चक्कर लगाने से फुर्सत नहीं मिलती है। उसके बाद मन्त्रि मण्डल के जहां सदस्य रहते हैं वह चक्कर लगाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस बात की जांच की जावे। विभाग में इस बारे में बड़ा असन्तोष है। यह साहब जो हैं आफिशिअल कम हैं नान-आफिशियल ज्यादा हैं और नान-आफिशिअल में पोलीटिकल ९० प्रतिशत हैं और उन्हें जो अधिकार नहीं होता है वह भी कार्य कर बैठते हैं। मैं आपको सूचना दूंगा कि उन्होंने कार्य किया है। उनको इस्टेबिलिशमेंट का अधिकार नहीं है लेकिन इक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के तबादले कर दिये। वह यह भूल जाते हैं कि मेंटीनेंस और कामर्शियल विभागों तक ही उनका अधिकार है। उनका कहना है कि ऐसा करने के लिए वित्त मन्त्री जी ने स्लिप दी थी और लिख दिया था उसके ऊपर उन्होंने ऐसा किया है। मुझे जानकारी है कि मुख्य मन्त्री जी ने रोका लेकिन देखा जाय कि जिस बात को करने का उनको अधिकार नहीं है वह भी करते हैं। आता जाता खाक नहीं है उसके बाद भी पोलीटिकल सर्किल में चक्कर लगाते हैं। ऐसा व्यक्ति विभाग को न जाने कहां ले जावेगा और मन्त्रीजी पर आक्षेप लावेगा। उनके ऊपर नियन्त्रण होना चाहिए। मन्त्री जी को उनका नाम मालूम हो गया होगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

उनका नाम क्या है?

श्री धर्मवीर—

श्री एल० बी० तिवारी है। उनके चक्कर मन्त्री जी के यहां भी लगते हैं इसकी सूचना मुझे है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वह मेरे यहां चक्कर नहीं लगाते हैं।

श्री धर्मवीर—

एक बात और है। टाप हैवी आर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसमें एक सदस्य को रेलवे से बुलाकर रखा गया है। मेरे पास उनका नाम नहीं है लेकिन वह रेलवे में बिलकुल ही इन्काम्पीटेंट साबित हुये हैं। वह एकाउन्ट्स सदस्य हैं लेकिन उनको कमर्शियल का इक्सपेरीएन्स नहीं है। वह इस विभाग को ले डूबेगा।

जब तक इस विभाग को कामर्शियल इंटरप्राइज की तरह नहीं चलायेंगे तब तक आप इसका विकाश नहीं कर पायेंगे और अगर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे देंगे जिनको अनुभव नहीं है तो आप विभाग को कहां ले जायेंगे ।

विद्युत् राज्य मन्त्री (गोस्वामी राधाकृष्ण)—

वह आपके जमाने के हैं । कब आये हैं, यह भी बतला दें ।

श्री धर्मवीर—

मैं बतला दूंगा । एक नाम बतला दिया काफी है । आप की ढोल में कितनी पोल है इसका अन्दाजा आप लगा लीजिये । हमारे वरिष्ठ मंत्री नारायण दत्त जी इतने कंपीटेंट हैं, उन्हें पूरी जानकारी है । हो सकता है यह सदन को जानकारी न देना चाहते हों ।

श्री धर्मवीर—

हों किसी के जमाने के लेकिन अब तो आपके जमाने में हैं आप स्वर्ग वालों को नरक भेज रहे हैं और नरक वालों को स्वर्ग भेज रहे हैं । ऐसी आपकी व्यस्था है । मैं उसमें अधिक नहीं जाना चाहता । पहले आपके एक्जीक्यूटिव इंजीनियर होते थे जो बिल्स का पेमेंट करते थे । अब उसी में आपने एक रीजनल एकाउन्ट्स आफिसर और बैठाल दिया है । यानी डुयल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है । एक ही काम के लिए दो आदमी मुकर्रर कर दिये । एकाउन्ट्स आफिसर हिमसेल्फ ही इतना कंपीटेंट होता है कि उसकी देखरेख में जिलों का भुगतान हो । जैसे मैंने ध्यान दिलाया था कि सेल्स टक्स के अन्दर जुडिशियरी को अलग-अलग कर देंगे तो आप देखेंगे कि उससे आपकी कितनी आमदनी बढ़ेगी । सी तरह इस विभाग के अन्दर भी लाखों करोतों रुपये का पेमेंट होता है । अगर वह व्यक्ति इंडिपेन्डन्ट है और आपका उस पर नियंत्रण है तो सही पेमेंट होगा । लेकिन आपने वहां भी ऊपर से एक एक्जीक्युटिव इंजीनियर लगा दिया और उसी का फाइनल इन्डोर्समेंट होता है तो फिर इस योजनल एकाउन्ट्स आफिसर को लाने की क्या जरूरत पड़ी । काम को ज्यादा बढ़ाने और पब्लिक एक्सपेंडीचर बढ़ने के सिवाय इससे और कोई फायदा नहीं होगा । यह आपने स्मूथ रनिंग के लिए नहीं किया । यह एक तरह से डुप्लीकेशन होगा और इस डुप्लीकेशन में पेमेंट का सवाल है और रेवेन्यु का सवाल है तो वहां धपलेबाजी होने का अन्देशा है । इसलिए आप को देखना पड़ेगा कि यहां धपलेबाजी न होने पायें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दस मिनट का समय और दें ।

श्री कृष्णानन्द राय—

विद्युत् मंत्री जी को तो कुछ पता है नहीं । यही उन्हें बतला रहे हैं ।

श्री धर्मवीर—

मंत्री जी को जानकारी तो है लेकिन उनके पास समय नहीं है । एक चीज को ओर और आपका ध्यान दिलाना है । जब किसी प्रोजेक्ट का बजट एलाटमेंट हो जाता है लेकिन किसी प्रोजक्ट पर कितना रुपया खर्च हो चुका है इसकी सूचना नहीं दी जाती । उपाध्यक्ष महोदय, इसकी पुष्टि आपका सचिवालय करेगा कि ऐसे प्रश्न किये गये लेकिन उनका उत्तर नहीं मिल सका कि कितना रूपया । किसी प्रोजेक्ट पर अब तक खर्च कर चुके हैं । इसकी

श्री धर्मवीर—

सुचना सदन को तो नहीं दी गयी और मैं समझता हूं कि मंत्री जी को भी यह जानकारी नही होगी। यह मालूम होना इसलिए जरूरी है कि जैसे मान लीजये प्रोजेक्ट ५०० करोड़ का है। आपका चार सौ करोड़ का खर्च हो गया और आधा काम भी नहीं हो पाया। अगर आपको यह जानकारी होती रहे तो आप यह समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट इस लीकेज को रोक सकते हैं। प्रोजेक्ट कही घाटे पर तो न हो जाय, दूसरे के टोटल केपिटिल में प्रोजेक्ट का जो रुपया है उसमें जो इन्टेरेस्ट रेवेन्यू है उसको आप रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में मत डाल दिया करें। होता यह है आपके विभाग के अन्दर जो टोटल केपिटल होता है उस प्रोजेक्ट को जो बकाया उसके अन्दर बचेगा उसके रेवन्यू एक्सपेंडिचर में लिख देंगे तो घाटा ही घाटा नजर आयेगा। उसको कैपिटल लिखवा दे, और केपिटल में लिखवा देंगे तो घाटे की पूर्ति की दिशा में एक कदम आगे बढ़ायेंगे।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपके विभाग के अन्दर २५ परसेंट लाइन लास है। इसका कारण यह है कि थेफ्ट पर आहका कोई नियंत्रण नही है। मान लीजये जहां आप बिजली जेनरेट करते हैं उसमें १७ परसेंट से ज्यादा लास नहीं होना चाहिये। आप को देखना है कि ७–८ परसेंट अधिक लास क्यों होता होता है आप की विद्युत् शक्ति क्या होती है, इसके लीकेज को दुरुस्त करने की चेष्टा करें।

सब से ज्यादा अन्धेर आपके परचेज सेक्शन में है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस सेक्शन के अन्दर करोड़ों रुपये का घपला है। आपके इस राज्य विद्युत परिषद् के अन्दर जो परचेज बोर्ड है, उसकी जांच के लिये एक कमीशन बैठावें और उस कमीशन के द्वारा उस परचेज सेक्शन की जांच करावें, उसकी छानबीन करावें। फिर आप पायेंगे कि उसके अन्दर करोड़ों रुपये का गोलमाल है बहुत बड़ा स्टाक डम्प पड़ा हुआ है। उसकी यूटिलिटी न आपके डिपार्टमेंट को कभी थी और न आगे को होनी है। फिर भी इतनी हैवी परचेंजिंग कर ली गयी जिसका डिसपोज आफ होना तो दूर रहा, बाद में उसे बट्टे खाते में दिखला कर 100 रुपये की चीज एक रुपये में बेचेंगे और लास में दिखला देंगे। इसमें बहुत बड़ा लूप होल है, उसको रोकने के लिये एक कमीशन बैठा कर उसके जरिये उसकी जांच कराइये ताकि मालूम हो सके कि परचेज सेक्शन के अन्दर क्या होता है। परचेज सेक्शन की हालत यह है कि वहां 6–6 महीने तक टेंडर नहीं खोले जाते। इसलिये कि हाई रेट पर दूसरे बड़े मोनोप्लाइज्ड कम्पनियों से सामान लेने की बात पहले से ही तय कर ली जाती हैं और लोगों को भुलावे में रखा जाता है कि टेंडर खुलेगा। जिस एजेंसी की मानोपोली होती है उससे भारी दामों पर सामान लेकर स्टाक कर लिया जाता है। इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। साथ ही कोल के नाप तौल की भी कोई सही व्यवस्था आपके यहां नहीं है कि कितना कोल खरीदा गया और इसमें से कितना खर्च हुआ तथा स्टाक में कितना है। इसकी जांच करायेंगे तो सही रिपोर्ट आप को मिल सकेगी जिसमें लाखों करोड़ों का घपला होता है। इस काम को भी उसी कमीशन के सुपुर्द कर दीजिये, चाहे अपने किसी विशेष व्यक्ति के अधीन ही वन मैन कमीशन बना दीजिये जो इंडिपेंडेंट होकर उसकी जांच कर सके। फिर आप देखेंगे कि इससे आपका काफी फायदा हो जायगा और इस सफेद हाथी का अंकुश आपके हाथ में होगा। इस तरह से उस पर आपका फौरन नियंत्रण हो जायगा। जो डम्प स्टाक है उसकी भी वह कमीशन जांच करें कि यह क्यों पड़ा हुआ है। जब इसको कोई यूटिलिटी ही नहीं थी तो इसको क्यों इतनी तादाद में खरीदा गया जो बाद में बर्बाद हो गया।

साथ ही साथ प्रदेश में इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के दो ही रास्ते हैं जिसमें प्रगति होती है। सेल हैं। इस प्रदेश के अन्दर इंडस्ट्रीज बढ़ें, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज आवे, छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज भी बढ़ें और साथ ही साथ कृषि भी जो एक प्रकार की इंडस्ट्री ही है, उसको भी बढ़ावें। मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग धंधे हैं, उनको पनपाने के लिये आपको सस्ती दर पर बिजली देनी चाहिये। जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी आप सस्ती दर

पर बिजली दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो बड़ी इन्डस्ट्रीज हैं वह उनको आप सस्ती दर पर बिजली देकर उनको अपने प्रदेश में इंडस्ट्रीज लगाने के लिये आमंत्रित करें, तभी इस प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो सकता है। क्योंकि हिन्दुस्तान के जो अन्य प्रदेश हैं, जैसे गुजरात, मैसुर, केरल आदि बड़ी इंडस्ट्रीज वालों को जितनी भी फैसिलिटीज व सस्ती से सस्ती दर पर बिजली दे सकते हैं देकर अपने यहां इंडस्ट्रीज लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। वे आप से भी अधिक फैसेलेटीज और सस्ती दरों में बिजली दे रहे हैं और अपने यहां बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्री लगा रहे हैं जिसके कारण वहां की प्रास्पेरिटी बढ़ रही है। तो मेरा निवेदन है कि आप बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज को भी बढ़ावा दें ताकि आपके यहां उत्पादन बढ़े। जब कोई चीज बढ़ेगी उसका उत्पादन बढ़ेगा, तभी तो समाजवादी व्यवस्था के आधार पर आप उसका बटवारा कर सकेंगे। जब उत्पादन ही नहीं बढ़ेगा तो बटवारा किस चीज का होगा। तो पहले उत्पादन को बढ़ाइये, बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज को अपने यहां आमंत्रित कीजिये, उनको सस्ती दरों पर बिजली दीजिये, सुविधायें दें।

इसके साथ ही किसानों को जो बिजली आप देते हैं उसके लिये जो आपने मिनिमम गारेन्टी फिक्स कर रखी है उसके कारण छोटे किसान बहुत परेशान हैं। आज किसान चाहे बिजली इस्तेमाल करें चाहे न करें, उसको उस मिनिमम गारेन्टी के हिसाब से उतना पैसा देना ही पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो मिनिमम गारेन्टी आप किसानों से लेते हैं उसको बिलकुल बन्द कर दीजिये या कम कीजिये। आज बहुत से लोगों ने अपने कनेक्शन कटवाने शुरू कर दिये हैं। जब ऐसा होगा तो आप की जो नीति है कि अधिक से अधिक नलकूप लगें, वह नीति सफल नहीं होगी। सही रूप में समाजवादी व्यवस्था को लाने के लिये यह जरूरी है कि किसानों को भी सस्ते रेट से बिजली दी जाय। आप कृपया इस पर विचार करें।

मान्यवर, कभी-कभी यहां पर चर्चा उठा करती है कि हमारे यहां कन्ज्यूमर्स कितने हैं। बिड़ला फर्म हमारे यहां का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। उसकी सबसे बड़ी फैक्टरी हमारे यहां हिन्डालको है। उसका जो पावर स्टेशन रेनूकोट में है उसको आप देखें कि वहां उत्पादन पर कितना खर्च आता है और कितनी बिजली जेनेरेट होती है और फिर आप अपने यहां से। तुलना करें तो देखें कि कितना खर्च आता है। वह कम पैसे से अपने पावर स्टेशन को चला रहे हैं, और आपका यह बिजली बोर्ड बैठा बैठा ड्रामा खेलता है, माननीय सदस्यों को गुमराह करने के लिये गलत बातों को सामने रखता है। परचेज सेक्शन और विद्युत परिषद् के घपलों को ही अगर आप दुरुस्त कर लें तो आपको बहुत बड़ा लाभ नजर आने लगेगा। अगर आप विद्युत् परिषद् पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह घाटा बढ़ता ही जायेगा। अगर नियंत्रण कर लेंगे तो बहुत बड़ी सेवा आप इस प्रदेश की जनता की कर सकेंगे। नहीं तो आपका स्लोगन केवल झूठा स्लोगन मात्र बन कर रह जायेगा। अब एक जांच कमीशन बिठाइये जो हिंडालको की भी जांच करे और आप के यहां जो यह सारी गड़बड़ी चल रही है इसकी भी जांच करें और अपनी रिपोर्ट दे कि आपको जो यह घाटा हो रहा है वह क्यों हो रहा है। आखिर और प्रदेश वाले भी तो इसी प्रकार की बड़ी इंडस्ट्रीज को सस्ती दरों पर बिजली दे रहे हैं; उनको यह घाटा क्यों नहीं हो रहा है। विद्युत परिषद् कहता है कि हिन्डालको को सस्ती दर पर बिजली देने के कारण ही इतना घाटा हो रहा है। अगर आप जांच करायेंगे तो यह बात गलत सिद्ध होगी। घाटे के कारण दूसरें हैं। जिम्मेदार यह परिषद् है परन्तु आड़ हिन्डालको का लेते हैं।

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बातों को रखने के लिये इतना समय दिया। जो मुझे जानकारी थी वह मैंने सदन के समक्ष रखी हैं। (व्यवधान) मैं इसलिये यह सब सदन की जानकारी में ला रहा हूं कि पांडेय जी, आप सरकार की पोल

[श्री धर्मवीर]

खोल सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप रिहण्द डैम को देख लीजिए, जब से बना है, इस बार जाकर पूरा भरा है। अन्यथा वह अब तक पूरा भरा ही नहीं था। इसकी जानकारी आप कराइये और जो उसमें त्रुटियां हैं इन्हें आगे सुधारें। आप उनकी कम्प्रेटिव स्टडी अन्य पावर स्टेशन के साथ कराइये कि उनकी व्यवस्था किस तरह से चल रही है और आपके यह सफेद हाथी विद्युत् परिषद् किस तरह से चल रहे हैं, जिनकी क्षमता तो कम है किन्तु खर्च ज्यादा, अपव्यय ज्यादा है। जो मैंने सुझाव दिये हैं, यदि आह कम्प्रेटिव स्टडी करायेंगे, जांच कमीशन बिठालेंगे तो निश्चित रूप से उससे आप लाभ उठायेंगे और प्रदेश प्रगति कर सकेगा। मैं समझता हूं कि एक निष्पक्ष और प्रगतिशील मंत्री इस विभाग में घटित भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस विभाग में जो इतना भ्रष्टाचार, बर्बादी व्याप्त है उसको समाप्त करने के लिये एक कमीशन बिठाल दिया जाए। इन शब्दों के साथ इस कटौती के प्रस्ताव को मैं आपके सामने रखता हूं, आप घोषणा करें कि एक जांच कमीशन बिठाला जाएगा, किसानों को कम रेट पर बिजली देने की व्यवस्था सरकार करेगी, छोटे-छोटे उद्योग-धंधों को सस्ते दर पर बिजली दी जाएगी, जो इस विभाग के कर्मचारी हैं उनकी मांगों को पूरा किया जायगा, इसके लिए भले ही रिजर्व बैंक से या केन्द्र सरकार से ऋण लेना पड़े। यदि यह घोषणा आप करेंगे तो मैं आपके बजट का समर्थन करूंगा। इन बातों पर अमल किया जाए, तो आपका विभाग चल पाएगा, अन्यथा समाजवाद का नारा केवल नारे के रूप में रह जायगा।

श्री राजमंगल पाण्डेय —

उपाध्यक्ष महोदय, धर्मवीर जी ने बहुत सी बातें कहीं और उसमें सत्य का अंश भी काफी है। श्रीमन, प्रश्न यह नही है कि उस बिजली विभाग में या उत्तर प्रदेश के अन्य विभागों में भ्रष्टाचार है या नहीं है। यह भ्रष्टाचार तो सर्वमान्य बात हो गई है। विभागों में भ्रष्टाचार है, बिक्री-कर और बिजली विभाग है उसमें भी भ्रष्टाचार है। सब से बड़ा प्रश्न केवल यह है कि उस भ्रष्टाचार का उत्तरदायी कौन है? और इसका कारण क्या है? मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब माननीय सदस्य अपोजीशन में बैठ जाते हैं तो उनको केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है किन्तु वहां इंसान अब ट्रेजरी बेंचेज में बठता है तो उसकी नजरों से सारा का सारा भ्रष्टाचार दूर हो जाता। यही हालत हमारे धर्मवीर जी की है। यह स्वयं कई महीने तक मंत्री रहे, इनको विभाग भी कई मिले, और एक प्रभावशाली मंत्री रहे। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि क्या अपने मंत्रित्वकाल में वह अपने विभाग के किसी भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायक रहे हैं?

श्री धर्मवीर—

यदि कहें तो मैं अपनी सफाई अभी ही पेश कर दूं। मैं इस बात को सिर उठा कर सदन में कह सकता हूं कि जब मेरे पास ट्रांसपोर्ट विभाग था तो मैंने देखा कि विभागीय कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है, उनमें असन्तोष है और उनको सन्तुष्ट करके जनता का विभाग द्वारा अधिक हित किया जा सकता है, अतः मैंने १९६० की सेवा शर्तों के आदेश में सुधार करके उन्हें मेडिकल व कैजुअल लीव्स आदि की सुविधाएं दीं। आप उस समय की और आज की आमदनी को देखें, निश्चित रूप से आज के समय में उसमें गिरावट आई है। फूड विभाग में भी मैंने कई महत्वपूर्ण काम किए थे। आप यह कह कर मेरे सत्य को दाब नहीं सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी खामियों की तरफ देखें, बजाय मुझे सुझाव देने के। मैंने जो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, उन पर आप गम्भीरता से विचार करके उन्हें एम्प्लीमेंट कीजिए। आप मेरा स्पष्टीकरण मांगेंगे तो मैं आपका स्पष्टीकरण मांगूंगा। मैं अपना लेखा जोखा देने को सदा तैयार हूं।

राजमंगल पाण्डेय--

मेरी बात मेरे मित्र को बुरी लगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि कुछ वातावरण ऐसा बन चुका है। जो सारे देश की, सारे सरकार की मशीनरी है, उनके जो अफसर हैं वे गुटों में बंटे हुए हैं। उनके दिमाग में यही बात है, जिसको मैंने कई बार अधिकारियों के मुंह से भी सुना है, कुछ अधिकारी गुप्ता जी के खास हैं, कुछ अधिकारी चौधरी साहब के खास हैं और कुछ कमलापति त्रिपाठी के भी खास शायद हो जायंगे यों तो अभी उनको आए दो-तीन महीने ही हुए हैं। श्रीमन्, प्रश्न यह है कि जो अधिकारी 20-25 वर्ष से उत्तर प्रदेश की सेवा में हैं, उनका कुछ ऐसा तरीका है कि जो भी उनकी कमियां होती हैं, भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, कोई न कोई ऐसा मजबूत पल्ला पकड़ लेते हैं कि सारे भ्रष्टाचार पर, सारे कुकृत्यों पर परदा डालने के लिए वही मंत्री, वही मुख्य मंत्री तैयार हो जाते हैं। बिजली विभाग की बात आयी। एस० एन० सिंह साहब को चौधरी साहब ने रखा। ऐसा तो नहीं है कि कमलापति जी ने या नारायणदत्त जी ने रखा हो। इनके जो कारनामे हैं, चौधरी साहब के मंत्रिमंडल में माननीय राम प्रसाद देशमुख ने एक लम्बा नोट लिखा, हरदुआगंज का ग्वालयर खरीदा गया जानसन या किस कम्पनी से, वह जितनी उसकी क्षमता थी उसकी एक तिहाई बिजली वह पैदा कर रहा है, इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। उस कम्पनी ने जो कम्पेन्सेशन देना था वह भी नहीं दिया। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं धर्मवीर जी से कहना चाहता हूं कि जितना अधिकारियों का दोष है उससे ज्यादा हमारा और शपका दोष नहीं है, जो उनके कुकृत्यों पर परदा डालने की कोशिश करें, हम धर्मवीर जी, बंशीधर जी जो उस समय पावर में रहे हों और जिन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया हो। धर्मवीर जी ने जो बातें कहीं उनमें काफी सत्य है। 25-28 करोड़ का घाटा एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चल रहा है। आप हम लोगों का भी दोष है जो कह बैठते हैं कि स्टेट्यूटरी बाडीज बना दी जायं। अभी तक इतिहास में देखिए जहां स्टेट्यूटरी बाडीज बनीं, उनके हाथ में पावर दे दी, उनके दिमाग में आया कि हमारे ऊपर न सरकार का कंट्रोल रह गया और सदन में रहने वाले का न जो अधिकारी हैं जिनकी आलोचना समय-समय पर हुआ करती है, न वह पनिश कर सकते हैं, और सारे कुकृत्य करते रहते हैं। आज 25 करोड़ के घाटे के बावजूद भी, इतनी सरकारें बदलीं, किसी सरकार ने कोशिश नहीं की कि कोई हाई पावर कमीशन बैठाएं एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के खिलाफ और दोषी व्यक्तियों को सजा दें। इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को जिसने भारत सरकार को लिखा कि एक हाई पावर कमीशन आफ इनक्वायरी कर दिया जाय जिसमें सारे कार्यकलापों की जांच की जाय और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय। इस माने में हम आपसे आगे हैं। मैं इन अधिकारियों के दोषों पर परदा डालने के लिए नहीं बोल रहा हूं। धर्मवीर जी की बातों में काफी सत्यता है। दोष किसका है यह बड़ा भारी प्रश्न है। इसका हल तब तक नहीं हो सकता अगर कुर्सी के साथ मान्यताएं बदल जायं। हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं दोषी व्यक्ति को दण्ड दिलाना हमारा कर्तव्य है। उतना ही कर्त्तव्य आप का अपोजीशन में बैठने के नाते कि उसको बजाय बचाने के दण्ड दिलाने में मदद करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होता यह रहा है कि वह अधिकारी जिसकी नियुक्ति धर्मवीर जी ने की, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं, अगर उस अधिकारी के कुकृत्यों के कारण किसी संस्था को घाटा लगा और वह अपोजीशन में बैठ गया तो उसने तत्कालीन सरकार की आलोचना करना शुरू कर दी सदन में नैतिकता का कोड बना दिया जाय। जो आदमी एक दफा मंत्री रह चुका हो और मंत्री पद से जो स्टेटमेंट दे दे वह अपोजीशन में बैठ कर दूसरा स्टेटमेंट न दे सका तो ऐसा होने पर हम कुछ नतीजे पर पहुंच सकेंगे वर्ना डबल स्टैंडर्ड होगा।

श्री धर्मवीर---

माननीय सदस्य डबल स्टेंडर्ड वाली बात कह रह हैं तो वह अपने यहां देखें। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इन्द्रा जी की सरकार डबल स्टेंडर्ड पर चल रही है। रूलिंग पार्टी के साथ-साथ अपोजीशन पार्टी की भी रोल कर रही है। व्यवस्था तो आपके यहां बिगड़ती चली जा रही है और उसकी छाप हम पर भी पड़ेगी।

श्री राजमंगल पांडेय---

इन्सान अगर गलती करता रहता है जो गिल्टी कान्शस हो जाता है। धर्मवीर जी को मेरी बात बुरी लगी। मैंने तो यह निवेदन किया कि अगर कुर्सी बदलने के साथ मान्यता भी बदलने लगे तो नैतिकता और ईमानदारी का स्तर गिरेगा। इसीलिये मैंने निवेदन किया कि अगर एक नैतिकता हमारी कर दी जाय कि एक मंत्री ट्रेजरी बेंच से जो स्टेटमेंट आफ फैक्ट्स देगा जब वह विपक्ष में बैठे तो उसके विपरीत कहने का उसे कोई हक नहीं होगा अगर गैलरी में जो बैठे हैं उन्हीं को सुनाने की अगर बात है तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन अगर वास्तव मे भ्रष्टाचार को दूर करना वह चाहते हैं तो गैलरी में बैठने वालों को सुनान की जो बात है उसे खत्म करना होगा। यह भी एक नारे का तरीका है ताकि नारों के माध्यम से गैलरी में बैठने वालों को प्रभावित किया जा सके कि देखो हम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। हम जो बोल रहे हैं वह भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये बोल रहे हैं और ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाले भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यह नारेबाजी चाहे इधर के बैठने वाले हों अथवा उधर के बैठने वाले हों दोनों ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हैं। एक नारा जो सरकार में बैठे हुए दिया जाता है अच्छा है और जब वही लोग विपक्ष में बैठते हैं तो वह नारा खराब हो जाता है। समाजवाद की बात कही जाती है। इस नारे के बावजूद भी इनडिसिप्लिन फैलाने की जिम्मेदारी का आज सबसे बड़ा श्रेय अपोजीशन के मेम्बर्स को ही है। केसा में हड़ताल हो रही है। यह सही है कि लाइनमेन व इन्सपेक्टर पानी में भागते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जितनी ईमानदारी, लगन और एफिशियेंसी से उनको काम करना चाहिये, क्या वे काम कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में....

(व्यवधान)

मैंने कोशिश की कि उनके साथ समझौता हो जाय, आनरेबिल समझौता हो जाय लेकिन सरकार को दबा कर समझौता कराया जा रहा है? उनके साथ समझौता कराने का प्रयत्न होता है जो तोड़ फोड़ की कार्यवाही में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने केबिल्स की लाइन काट दी, जो प्रदेश में तोड़ फोड़ की कार्यवाही कर के वायलेंस की टेंडेंसी को पैदा करते हैं उनके साथ समझौता कराने का प्रयत्न होता है? इस तरह से उनको प्रोत्साहन मिलता है। मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपने आचरण में परिवर्तन कर ल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन विभागों में सुधार हो जायगा। नारायण दत्त जी के नेतृत्व में यह विभाग दिया गया जिनकी योग्यता तथा ईमानदारी में कोई शक नहीं किया जा सकता लकिन आज वह क्यों नाकामयाब हो रहे हैं क्योंकि आज गलत तत्वों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। उनको प्रोत्साहन देना आप बन्द कर दें तो मैं नारायणदत्तजी को मजबूर करूंगा कि धर्मवीरजी और बंशीधरजी के साथ बैठ जायं और दोनों एक दूसरे की बातों को सुन लें ताकि कोई सामाधान निकल आये। लेकिन नतिकता का तथा काम करने का तरीका अगर कुर्सियों के बदलने के साथ बदल जाता है तो फिर कोई सही समाधान नहीं निकल पाता है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर सचमुच नैतिकता के स्तर को ऊंचा करना है और भ्रष्टाचार को कम करना है तो एक कमेटी बना दी जाय जिसमें कि अपोजिशन के भी मेम्बर हों और उनका सभापतित्व ग्रहण करें और इस सम्बन्ध में एक फारमूला निकालें ताकि अपोजीशन वाले लोग ये न कह सकें कि हमारा दोष नहीं है।

मान्यवर, कई चीजें इस सम्बन्ध में कहीं गइ। यह दूसरी बात है कि जितनी भी आज तक लाइन्स खींची गई हैं वे सब डिफेक्टिव हैं, जो २५ प्रतिशत लीकेज हो रहा है वह नहीं होना चाहिये था। मान्यवर, इतना ही नहीं, लाइन्स के पोल ऐसे ह जो कि यदि किसी दिन ज्यादा बरसात हुई तो वे उखड़ जाते हैं। मेटीरियल जो उनमें लगा होता है वह एप्रव्ड क्वालिटी का नहीं होता है। आज एक अधिजकारी यह सोचकर चलें कि हम कम से कम वक्त में अधिक से अधिक कितना पैदा कर सकते हैं तो यह सब से बड़ी चीज होगी। मैं तो कहता हूं कि पैसा पैदा करना उतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि उसका इस्तमाल करना होता है।

आज करोड़ों रुपये का कोयला खरीदा जाता है। यह रिपोर्ट दी गई है कि जितना भी कोयला खरीदा गया है वह इन्फीरियर क्वालिटी का कोयला है। मैं तो यह कहता हूं कि यदि नारायण दत्त जी को उसका चेयरमैन बना दिया जाय और उसका डाइरेक्ट कंट्रोल उनके हाथ रहे तो यह सब ठीक हो सकता है। उस में एक बोर्ड बना हुआ है उसमें एक सेक्रेटरी सीनियर आई० ए० एस० रक का है तब यह होता है। जिस विभाग में इतने ऊंचे-ऊंचे अधिकारी हों....

(व्यवधान)

श्री बंशीधजर जी से कहूंगा कि आज एम० एल० एज० के बारे में कहा जाता है कि वे ईमानदार नहीं हैं। मैं कहता हूं कि जो बेइमान से बेइमान एम० एल० ए० क्यों नहीं है, यदि उसकी बेइमानी साबत हो जाती है कि उसने एसा किया तोफिर वह जनता के पास नहीं जा सकता है और चुनकर फिर नहीं आ सकता है। किन्तु ये जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके बारे में इस सदन में आये-दिन चर्चा होती रहती है कि वेभ्रष्टाचार किये हुये हैं वे हम लोगों की स्थिति भी जानते हैं कि आये दिन बेचेज चेंज हो रही हैं। वह होशियार हैं और जानता है कि मंत्रियों या मुख्य मंत्री को पाकेट में कर लो जिससे वे अपने कारनामें करते रहते हैं। इसलिये मैं कह रहा हूं कि जो स्टचुटरी बाडीज बनी हुई हैं उनको खत्म होना चाहिए और हमारे नारायण दत्त जी को आप को डाइरेक्ट कंट्रोल दे देना चाहिये ताकि उसके कारनामे एकाउन्टिबुल न हो सकें। यदि वह किसी के बारे में शिकायत करता है तो डाइरेक्ट कंट्रोल होने से उसमें हमारे नारायण-दत्त जी दखल करके उसको रोकने का प्रयास कर सकें। तो मेरा कहना यह है कि यदि वे ठीक से काम नहीं कर रहीं हैं तो इन स्टैचुटरी बाडीज के काम को मिनिस्टर के जिम्मे कर दें ताकि जो भी वह करे वह सब आज आप लोगों के ओर सदन के सामने आ सके। इससे सारी गल्तियों के ऊपर एक नजर रख सकते हैं। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि दोषी व्यक्तियों की जांच करने में हमें अपोजिशन का सहयोग प्राप्त हो। इसके पचासों उदाहरण हैं कि एक लाइन इन्सपेक्टर ३ हजार रुपय से ५ हजार रुपये माहवार तक कमा लेता है। यदि वह किसी लाइन का नक्शा बनागर देता है तो उसम खर्चा ३५०० रु० आता है किन्तु यदि आप उसको ४ या ५ सौ रुपया दे दो तो वही कनेक्शन जिसमें ३,५०० रु० का खर्चा आता है वह घट कर १,३०० रु० हो जाता है। उस समय हमारे नियम कहां चले जाते हैं? इसके लिये मेरा सुझाव है कि नियमों से हम क्यों न परिवर्तन कर दें। यदि वहां पर पोल नहीं हैं, अगर लाइन वहां पर नहीं है तो बढ़ा दें। कनेक्शन में भी ऐसी खामी है कि कह देते कि वोल-टेज कम है, इस पोल से नहीं दे सकते हैं। अगर इस पोल से नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या कारण है कि जो पैसा दे देते हैं उन को फिर भी कनेक्शन मिल जाता है। तो इन नियमों में परिवर्तन करना होगा। परचेज में इतनी खराबी है कि जैसाकि धर्मवीर जी ने कहा कि क्वा-लिटी का आइटम है या नाम-क्वालिटी का है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इस बात से है कि उन्हें कमीशन मिल जाय। अगर इस सम्बन्ध में मंत्री जी कुछ कर सकें तो म अनुगृहीत हूंगा। वक्त आपने कम दिया। मैं बिक्री के बारे में शब्द कहूंगा कि सेल्स टेक्स तो

[श्री राजमंगल पांडेय]

बाकी रहेगा जिन टैक्सों को न्यायालयों ने रोक दिया है, उसमें मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैनुफैक्चरिंग प्वाइंट के ऊपर और सेंटरली यूनिफार्म टैक्स हो तो सारा करप्शन बन्द हो सकता है और काफी हद तक सहूलियत मिल जायगी। बिहार में टैक्स कम है तो लोग वहां चले जाते हैं। अगर सब जगह यूनिफार्म हो जाय तो यू० पी० के इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार में न जायं। साथ ही मैनुफैक्चरिंग प्वाइंट पर लगाये जायं तो मेरा खयाल है कि कर-वंचना रुक जायगी।

अन्त में जो प्रस्ताव मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मुझे बड़ा विश्वास है कि जो कुछ उन्होंने किया है वह सराहनीय है और निश्चय ही वह कुछ दे सकेंगे ऐसी मुझे आशा है।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धर्मवीर सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज जो बिजली के ऋण पर उन्होंने अनुदान मांगा है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री धर्मवीर—

अक्सर मेरे नाम के सामने लोग "सिंह" लगा देते हैं। मेरा नाम सिर्फ "धर्मवीर" है।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस विभाग से ताल्लुक रहा है और मैं समझता हूं कि मैंने उसमें रह कर कुछ सीखा है और जाना है। उस बोर्ड के अन्दर जो कमियां हैं मैं कोशिश करता था कि दूर करूं लेकिन जब कभी सवाल उठता है तो मंत्री जी का यह कहना है कि यह स्टैट्युटरी बाडी है। आप जानते हैं इस बाडी का गठन १—४—१९५९ को हुआ था। उसका तात्पर्य सिर्फ इतना था कि इस कार्य में जो शिथिलता है वह दूर हो जाय और जल्दी से काम हो और पब्लिक को राहत पहुंचे। लेकिन इसके विपरीत काम हो रहा है। मुझे भी इससे दुख होता था और जब कभी मैं इस बात को कहता था तो यही सवाल उठता था कि कोई हमारे बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता। आज जो प्रदेश में प्लानिंग किया गया उससे आज त्राहि-त्राहि मची हुई है। आज इस बिजली से कोई ऐसा नहीं है जो अछूता हो। कोई डिपार्टमेंट कोई व्यक्ति, कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है प्रदेश में जो इससे अछूती हो, लेकिन उनके सामने जो कठिनाइयां आज पैदा हो गयी हैं वह यही कह सकते हैं कि इस बोर्ड ने किया—मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने अपनी बादागिरी मान रखी है और जो कुछ भी संगठन हुआ है बोर्ड का वह उस नाते से नहीं हुआ है। जो नियम हैं उनके अन्तर्गत ७ आदमियों का गठन होना चाहिए था लेकिन उन्होंने वह आदमी रखे हैं जो आई० ए० एस० हैं, जो पब्लिक से ताल्लुक नहीं रखते। उसमें तो एक इंडस्ट्री का, एक कृषि का, एक लेबर का प्रतिनिधि होना चाहिए जो कम से कम इस चीज को समझता कि हम को क्या करना है, लेकिन जो संगठन किया गया है वह जानबूझ कर प्रदेश को धोखा देने के लिये किया गया है। इस बोर्ड से कोई लाभ नहीं है।

किसानों के बारे में जो मिनिमम गारंटी की बात है, मैं चाहूंगा कि ५—७ मिनट मुझे मिल जायं, तो मिनिमम गारंटी के संबंध में हमने एक सिद्धान्त मान लिया है कि इतना लेंगे तो कम से कम इतना तो हो कि इतनी बिजली मिल जाय। लेकिन जब मिनिमम गारंटी की बात आती है तो इनका कहीं ट्रांसफार्मर जल जाता है, कहीं चोरी चला जाता है और उसको आपने गारंटी को इतना बढ़ा दिया है कि किसान तो दे ही नहीं पाता। हर इंडस्ट्री पर इन्होंने उसको रेज कर दिया और जो छोड़-छोड़ कर भाग गये। इतना कर्जा हो गया है कि मिनीमम गारंटी वह नहीं दे सकता है। वह १५ परसेंट खर्चे कर लेते हैं। जबकि बोर्ड की कैपिटल कास्ट ५५० करोड़ है और आमदनी ५५५ करोड़ है तो फिर १५ परसेंट क्यों लेते हैं। दस परसेंट लेना चाहिये।

उनको अधिकार नहीं है कि इतना बढ़ा कर ले सके। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है और वह बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मंत्री को कोई अधिकार नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक ट्रांसफारमर्स की चोरी का सवाल है तो जो ट्रांसफारमर चोरी होती है वहां की जनता से उसका पैसा लिया जाता है। बोर्ड को ट्रांसफारमर की चोरी का पैसा इंडियन इलक्ट्रिसिटी ऐक्ट के मातहत जनता से नहीं ले सकता है। उन के घर में यदि ट्रांसफारमर लगा हो तो ले सकते हैं। लेकिन बार-बार लेते हैं। यह कई बार मुकदमे हाई कोर्ट से हार चुके हैं फिर भी लेते हैं। मैंने भी कई बार कहा कि क्यों लेते हो ? लेकिन यह कहते हैं कि इसलिये हम लेते हैं क्योंकि हमारा घाटा हो रहा है। मुझे मालूम है कि बिजली वाले ही चोरी करते हैं। हर जगह करते हैं।

बिजली की कमी का कारण यह है कि बिजली पैदा करने के लिये जिस कोयले का यह इस्तेमाल करते हैं उसमें कम बिजली पैदा होती है। उनकी एक परचेज कम ही है। इसमें बड़ी गंदगी है। एक चीफ इंजीनियर कोयला खरीदने के सिलसिले में कलकत्ता गये थे। वहां उन्होंने कई लाख रुपया लिया और अपने लड़के को अच्छी नौकरी पर लगवा दिया। उसके टेंडर लिये गये और लाखों रुपया लेकर उस इंफीरियर माल को यहां लाये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आपके समय में सरकार ने कहा कि ट्रांसफारमर का पैसा किसानों से न लिया जाय ?

श्री राम प्रसाद देशमुख—

सरकार ने बोर्ड से कहा था कि आप को पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

सरकार की बात को बोर्ड ने नहीं माना।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जी हां सरकार की बात को बोर्ड ने नहीं माना। वे कहते हैं कि बोर्ड स्टैचुअरी बाडी है। जहां तक लाइन इंसपेक्टरों का सवाल है इन्होंने एक तरीका अपना रखा है। पहले एच० डी० लाइन और एल० टी० लाइन वाली बात न थी। लेकिन अब इसके प्रावीजन करने से लाइन इंसपेक्टर जिले जैसे चाहे वैसे बिजली का कनेक्शन दे दें। इससे बोर्ड को नुकसान होता है क्योंकि लाइन इंसपेक्टर रुपये लेकर जिसको चाहे उस लाइन से कनेक्शन दे देता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उनके हाथ में यह चीज न रहे।

दूसरी बात मैं कह रहा था और चीज इस माननीय सदन को बताना चाहता हूं। मैंने सवाल उठाया था कि जानसन कम्पनी का वायलर लगा हुआ है। मैंने भी एक लम्बा चौड़ा नोट लिखा था और उसको केन्द्र मे भेजा था कि इस वायलर को वापस किया जाय। लेकिन यह बात हुई कि अगर वह नहीं उठायेंगे तो मान लेंगे। किस ने उस को खरीदा था। स्विटजरलैंड में देखेंगे तो पता चलेगा कि कौन वहां गया था उसका वहां खाता है। आज तो चाहे जो वहां अकाउंट खोल दे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

यह वाइलर कहां का है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

यह वायर हरदुआगंज में लगा हुआ है और १९६० से करोड़ों रुपयों का इससे नुकसान हो रहा है। आप यह मालूम कर लीजिये कि इसको किस ने खरीदा था। देने में बड़ी धांधली हो रही है। ६-६ महीने साल साल भर एग्रीमेंट कर रखे हैं लेकिन बिजली नहीं देते हैं। आखिर कितना घाटा होता है? आप किसानों की हालत की ओर क्यों नहीं देखते हैं। ६–६ महीने १–१ साल एग्रीमेन्ट हुए हो जाता है और आप उनको बिजली नहीं देते हैं। आखिर वह कहीं से रुपया लाते हैं। उसका उन को ब्याज देना पड़ता है। जब आप एग्रीमेंट कर लें तो किसान को तुरन्त ही बिजली देनी चाहिये। यह जो धांधलीबाजी कर रखी है, उसकी ओर आप को ध्यान देना चाहिये।

दूसरे आप ने जो प्लान्ट लगा रखे हैं, एक तो हरदुवागंज में लगा रखा है और दूसरा ओवरा में लगा रक्खा है। दोनों प्लान्ट एक से हैं लेकिन जब बिजली पैदा करने का सवाल आया तो अलीगढ़ वाले प्लान्ट ने ८२ करोड़ यूनिट बिजली पैदा की और ओबरा वाले ने केवल ५२ करोड़ यूनिट पैदा की। जब एक ही प्रकार की मशीन है तो फिर आप को यह देखना होगा कि यह इतना फर्क क्यों हुआ है। ओबरा में इतना घाटा क्यों दिखाया गया है। कमेटी भी बठायी लेकिन कमेटी की रिपोर्ट को भी दबाया जा रहा है। वह श्रीमन्, के साथ साथ रहे हैं। उस इंजीनियर को दंडित करना नहीं चाहते हैं। एक और बात है कि यह फैजाबाद में श्रीमन् जी एस० ई० थे तो ये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। और इन्हीं की वजह से कंपनी भी चली। जब चीफ इंजीनियर बने तो भाई, भाभी, मां, सब को मिलाकर एक नेशनल कंपनी बना दी गयी और यह नहीं देखा कि करोड़ों रुपये का यह घाटा क्यों चल रहा है। एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठी लेकिन उस को भी दबाया जा रहा है। आज उसको सस्पेंड क्यों नहीं करते हैं। आपको उसको सस्पेंड करने का अधिकार है। जब कि उसके खिलाफ इतने बड़े २ चार्जेज हैं फिर उसके खिलाफ आप ऐक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। पी० ए० सी० कमेटी के सामने साफ तौर से उन्होंने स्वीकार किया वह सब कुछ लिखा हुआ है। यह घाटा क्यों हो रहा है? यह मशीनें कहां से खरीदी जा रही हैं? कौन उनको खरीद रहा है? सब कुछ हो रहा है लेकिन सरकार को कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं है। जिसका टेंडर मन में आता है उसका मंजूर करते हैं और जिसका चाहते हैं उसका रिजक्ट करते हैं। पिछल साल तीन आदमियों के टेंडर आये थ। एक टेंडर कलकत्ता का था, लेकिन उसको मंजूर नहीं किया गया। मैंने बार बार कहा कि इस आदमी का टेंडर ऐसा जो मंजूर किया जाना चाहिये, लेकिन नहीं किया गया। क्या कारण है? उसका जो प्रतिशत मिलता है वह नहीं मिल पाया होगा। उस कंपनी को दिया गया नहीं जिसमें अपने लड़के को नौकर करा दिया। आप स्वयं देख लें कि वह किस पोस्ट पर है और क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। इसकी जांच क्यों नहीं करायी जाती है। कमेटी ने उसको बुलाया था, उसको आना चाहिये था लेकिन नहीं आया। हम लोगों की मान्यवर, मुसीबत यह है कि हमारी बात का असर केवल माननीय मंत्री जी तक ही रह जाता है। हम जानबूझ कर, फैक्ट को समझ कर कोई बात सामने लाते हैं लेकिन फिर भी जिसके खिलाफ वह बात लायी जाती है। उस आदमी को बचाने की कोशिश की जाती है। करोड़ों रुपया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनको देखने के लिये श्रीमन्, दो दिन भी गये, गय होंगे तो कभी आप के साथ या डाक्टर के० एल० राव के साथ चले गये होंगे। वैसे तो कोई इंजीनियर वहां पर पहुंचता नहीं है। इसका कोई ख्याल नहीं रखते कि किस सन् में इसे बना देना चाहिये था। नतीजा यह होता है कि घाटा हो रहा है क्योंकि साल-ब-साल कास्ट बढ़ती चली जा रही है। यह चीजें इसलिये हो रही ह क्योंकि देखा नहीं जाता। अगर दो, चार दिन वहां रह कर देखें तो काम ठीक हो।

यह प्रदेश बहुत बड़ा है। इतने बड़े प्रदेश में एक चीफ इंजीनियर काम नहीं कर सकता। छोटे छोटे प्रदेशों में तीन-तीन चीफ इंजीनियर होते हैं। इसलिये आप यहां चीफ इंजीनियर बढ़ायें।

अभी एक इंजीनियर के बारे में भाई धर्मवीर ने कह दिया। किसी ने उनसे कहा होगा। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर उसके काम और उसकी ईमानदारी को देखा जाय तो मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वह ईमानदार आदमी है और अपने काम को समझता है। किसी ने बता दिया उनको मैं इसलिये कुछ नहीं कहना चाहता हूं। आपको इसकी जानकारी करनी पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों का प्रोमोशन का कोई हक नहीं था उनको प्रोमोशन क्यों दिया गया। "सार्वजनिक कारोबार समिति का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के सम्बन्ध में अन्तरिम प्रतिवेदन" अगर आप पढ़ लें तो आप को इससे बहुत सी जानकारी मिल जायगी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां तक केसा में टेंडर और ठेका वगैरह की बात है वहां पर किसी न किसी कारोबारी से इंजीनियर की साठगांठ रहती है। पिछले साल जब मैं था तो राखी का टेन्डर दिया। मैं वहां पर गया। जाकर देखा कि न ऐग्रीमेंट है न कुछ है। मैंने इनको रिपोर्ट दी लेकिन फिर भी इन्होंने सही आदमी को ठेका न दे कर दूसरे को दिया। कारण क्या है? कारण यह है कि हर जगह इनकी साझेदारी रहती है। इसकी आप कम से कम जांच करायें कि किन कम्पनियों से साझेदारी है, कितनों ने भाई भतीजों को दुकानें खुलवा रखी हैं तो आप को पता चलेगा कि इनके क्या कारनामे हैं। मैंने कहा था कि एक आदमी को हटाओ। बराबर उसके खिलाफ शिकायतें आ रही थीं लेकिन टस से मस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वह कमाऊ पूत है। मैंने हाथ जोड़ कर कहा कि ऐसे बदमाश आदमी को निकाल दो लेकिन आज तक ८-१० महीने हो गये उसको नहीं निकाल पाये। तो ऐसे लोग जो इनके कमाऊ पूत हैं वे जनता का खून चूस रहे हैं। इसलिये आप इस बोर्ड का अमेंडमेंट करें, इसे आप अपने हाथ में लें। आप इनको कर्जा देते हैं। कर्जा उस आदमी को दिया जाता है जो रिलायबिल हो, कर्जा उस आदमी को दिया जाता है जिससे वसूली कर लें, कर्जा उस आदमी को दिया जाता है जिसका कुछ स्टेट्स हो। इनका क्या स्टेटस है? सिवाय इसके कि हम पैसा कमा लें और पब्लिक को ठगें?

मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड का सुधार किया जाय गौर इसको बदला जाय। जो वहां पर गन्दे लोग बैठे हैं, उनको निकाला जाय उनसे उसकी बदनामी होती है।

श्री रामलाल भाई—

मैं यह स्पष्टीकरण आपसे चाहता हूं कि जब आप विद्युत् उपमन्त्री थे उस समय हरदुआगंज बायलर के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त को एक आपने पत्र लिखा था जिसमें आपने इस बात को साबित किया था कि एस० एन० सिंह ने हरदुआगंज के लिए बायलर खरीदने में करोड़ों रुपये का लास सरकार का किया है। एस० एन० सिंह पर इलजाम लगाया गया था पर उसके बाद मुख्य मन्त्री, सिंह ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

यह तो विभाग की बात है मैं तो यह कहता हूं कि जहां यह चीज चली है उसी पर विचार किया जाय कि कौन आदमी थे। इस प्रकार नाम लेने से क्या लाभ हो सकता है। जो आदमी उस समय थे जबसे यह खराबी शुरू हुई उसको देखने की बात है। उनके कारण ही यह लास हुआ है। उसकी जानकारी करनी चाहिये। अब जो धांधलेबाजी ये लोग कर रहे हैं, बोर्ड में बैठे हुये हैं उनको बदलना चाहिये। जिले के अन्दर एडवाइजरी कमेटी में जो लोग बैठे हुये हैं वह भी लाखों रुपये का फैसला लेते हैं। यह इतना बड़ा हमारा प्रदेश है कि एक जरा से फैसले पर कोई छोटा असर नहीं पड़ता है। लाखों करोड़ों की नौबत आ जाती है। उसमें टैक्निकल आदमी रखिये जिनको जानकारी हो और इसमें जो सहायता

[श्री रामप्रसाद देशमुख]

कर सकें। उद्योग का आदमी नहीं है, कृषि का आदमी नहीं है, लेबर का आदमी नहीं है तो फिर उस विषय में उसका फैसला सही नहीं हो सकता है। इस वजह से जो भी खर्च किया जाय उसके जानकार आदमी के निर्णय पर होना चाहिये। मैंने रात के ११ बजे हड़ताल तोड़ने के दस्तखत किये। उस पर काफी विभाग के लोग नाराज हुए। इसमें एक एक बलेड हजारों का होता है। उसमें खाने पीने के लिए इन्तजाम रहता है तो उस तरह खर्च कर दिया जाता है। टैक्निकल आदमी न रहने से यह सब होता है। जगह-जगह पर अस्पताल खुलें हैं उनमें बीमार आदमी रहते हैं। अगर उनको बिजली नहीं मिलेगी तो वहां पर लोगों को बहुत अधिक परेशानी होगी। मैं तो पब्लिक आदमी हूं इस वजह से इन सब बातों को कहता हूं। और गरीब आदमी की बात को जानता हूं। वह इन बातों को कैसे समझ सकता है जो कोठियों में रहने वाले हैं। जो मालदार पेट से पैदा हुआ है वह गरीब आदमी की बात को कैसे जान सकता है। जो गरीब के यहां पैदा हुआ है और गरीबों में रहता है, वह उसको समझ सकता है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि अगर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें सुधार किया जाय और ये लोग जो दादागिरी किये हुये बहुत दिनों से बैठे हैं, उनको निकाला जाय तभी यह उन्नति पर सकता है।

(श्री रियासत हुसैन को बुलाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी ने अभी कोई परामर्शदात्री समिति का गठन किया है जून या जुलाई के महीने में और अगर गठित की है तो उन माननीय सदस्यों के नाम क्या हैं, जो उसमें हैं और किस उद्देश्य से उसको गठित किया गया है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

परामर्शदात्री समिति कोई गठित नहीं की गई है परन्तु बोर्ड का संगठन जो है, उसके कार्यकलापों के बारे में जो परिधि है उसकी जांच के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। तो उसके लिए टैक्निकल एक्सपर्ट बुलाये गये हैं। आंध्र से राजन साहब आये हैं। बाहर से और भी बुलाये गये हैं। वह एक्सपर्ट कमेटी है। जिसके सदस्य आल इंडिया फेम के हैं। उनका चयन हो रहा है। उनको बुलाया गया है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या यह सही है कि १० जुलाई, १९७१ के बजट के द्वारा कोई जामजदगियां हुई हैं किसी ऐसी कमेटी की, वह पता कर बतायें अगर उनको अभी मालूम न हो?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं तो नहीं जानता, एक अध्ययन समिति पब्लिक अन्डरटेकिंग्स का अध्ययन करने के लिए जरूर बनी है जो देखेगी कि पब्लिक अन्डरटेकिंग्स यहां और अन्य राज्यों में कैसे चल रही हैं लेकिन उस का सम्बन्ध केवल एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ही नहीं है।

श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

चीफ इंजीनियर तिवारी जी के बारे में कहा गया...

श्री उपाध्यक्ष—

अब रियासत हुसैन जी बोल रहे हैं, इस तरह से उचित न होगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)––

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ६० करोड़ रुपये का अनुदान बिजली के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। यह जो एक मसल है कि "मालटाल सब तुम्हारा कोठी कुठले से हाथ न लगाना" वही यहां हो रहा है। हमारे मन्त्री भी जरा ध्यान दें कि आज सूबे का विकास, चाहे वह कृषि का विकास हो, चाहे औद्योगिक विकास हो या राज्य में दिये जानें वाले सर्विस कनेक्शन्स की बात हो उन सब का पूरा दारमदार आज कल बिजली के ऊपर ही निर्भर है और उसी के कारण कुछ अमरीकन चांद पर भी पहुंच गये और कई घंटे वहां रहे भी लेकिन जब हम बिजली के मामले में अपने सूबे की तरफ देखते हैं और यह जो कुछ लिटरेचर और किताबें यहां बांट दी गई हैं जिनको न कोई पढ़ पायगा और न उनकी कोई जरूरत ही समझता हूं और यह एक धन का वेस्टेज ही है क्योंकि जब हमारे विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो एक-एक गली कूचे और खेत खलियान में सभी जगह वह पहुंचते हैं और वह वहां की दशा को अपनी आंख से देखते और पढ़ते हैं और समझते हैं कि वहां बिजली विभाग के कारनामें क्या हैं। मैं समझता हूं कि उस को देखने के बाद फिर इन किताबों को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

मुझे बड़ा अफसोस है कि अखबारों में आये दिन तमाम तरह की शिकायतें छपती रहती हैं वह सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा कि हमारे सदन की लोकलेखा समिति एक सर्वमुख समिति है और उसकी खोजबीन के बाद जो कि फाइंडिंग्स होती हैं और उन वजनदार फाइंडिंग्स के बाद जो चीज बहुत जरूरी है लेकिन जब हमने देखा कि लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट श्री मैनेजर सिंह जी ने पेश की और उसमें उन्होंने जो बातें कहीं उन को देखने के बाद मुझे शंका होती है क्योंकि कुछ बातें उस में ऐसी थीं कि जिन के ऊपर ध्यान देकर मन्त्री जी को कार्यवाही करना चाहिये थी और सदन के सामने उसका उत्तर रखना चाहिये था कि क्या-क्या किया गया और अगर कुछ नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि मन्त्री जी अपने फर्ज से हटते हैं। वह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हो चुकी है। मिसाल के तौर पर मैं जानना चाहूंगा कि यह सही है कि चीफ इंजीनियर के भाई, बहिन मां और रिश्तेदारों के नाम से इन्टरनेशनल इंजीनियरिंग के नाम के फैजाबाद में एक फर्म है और उसके साथ ५० करोड़ रुपये का सालाना डीलिंग बिजली विभाग से होता है और क्या यह भी सही है कि जब लोक लेखा समिति के सामने पावर सचिव पेश हुए और इस भ्रष्टाचार के और विभाग के कार्यकलापों के बारे में जब इन से पूछा गया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इन विषयों को देखेंगे, जांच करायेंगे और इंक्वायरी करेंगे, तो क्या कोई ऐसी इंक्वायरी या जांच कराई गई और अगर हुई तो क्या हुआ क्या नतीजा निकला? यह बात देखने के काबिल है। माननीय सुखपाल पांडेय ने गवर्नर को, मुख्य मन्त्री का और सचिव बगैरह को, जहां जहां समझते थे कि शिकायत हो सकती है, पत्र भेजा जिसमें उन्होंने साफ-साफ तौर पर ९ चार्जेज लगाये थे। यह पत्र उन्होंने ३ अक्तूबर को भेजा था। उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि इन चार्जेज के अन्दर जो इंक्वायरी हो, जांच हो, या इसमें जो भी कार्यवाही हो, उसकी सूचना उन्हें भी मिलनी चाहिए। क्या जांच हुई? क्या कार्यवाही हुई? मुझे खेद है के साथ कहना पड़ता है कि आज बिजली के कर्मचारियों, अधिकारियों और विद्युत् परिषद् के लोगों के मन में इस सदन के माननीय सदस्यों की कुछ हैसियत है, मुझे इसमें शंका है।

अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सदन में ६० करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ है और पास भी हो जायगा, हमने लोन भी दिया विद्युत् परिषद् को क्या वह इसलिए दिया कि लाखों और करोड़ों रुपये का घाटा इस सदन के सामने आये? मैं समझता हूं कि इसलिए नहीं दिया। वह हमने कुछ उम्मीदों पर दिया कि इससे इस प्रदेश का विकास होगा,

[श्री रियासत हुसैन—]

कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र म, लेकिन वह कुछ नहीं हो रहा है। इससे लोगों का अपना विकास हो रहा है, इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर का विकास हो रहा है। अगर आप सदन के माननीय सदस्यों की जो कमेटी होती हैं, उनमें चाय का बिल कितना होता है और विद्युत् परिषद् में जो कमेटी होती हैं, उनका बिल कितने का होता है, देखें तो आप पायेंगे कि जमीन और आसमान का अन्तर होता है। यह सदन १० करोड़ रुपये का अनुदान आज पास करे और कल को जब इस के सम्बन्ध में कोई मामला आया तो मन्त्री जी कह देते हैं कि वह तो आटोनोमस बाडी है। हम तो रिकमेंडेटरी हैं, मैंनगेटरी नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि इस सदन से यह बजट पास हो तो आपका सबसे पहला काम यह होगा कि जो प्लान हैं विद्युत् परिषद् के सम्बन्ध में तो आपको उनके नकेल डालनी होगी, कन्ट्रोल करना होगा, बोर्ड के ऊपर चाबुक लगाना होगा वर्ना कोई अन्तर होने वाला नहीं है। इस परिषद् में श्री हरिपाल सिंह, एस० ई० का ५ बार ट्रांसफर हुआ और माननीय सुखपाल पांडेय के सवाल के जवाब में यह तसलीम भी किया कि इनका ५ बार तबादला हुआ लेकिन हरपाल सिंह जी एक बार भी गोरखपुर से नहीं हटाये जा सके, इस उत्तर प्रदेश के मन्त्रि-मन्डल द्वारा। कहते हैं कि आटोनोमस बाडी है, हम कोमोडेटेरी पावर्स नहीं हैं। श्रीमन् मैं चाहता हूं कि यह विद्युत् परिषद् का ही सवाल नहीं है, जितने भी इस किस्म के बोर्ड या कमीशन है, उनके ऊपर नियन्त्रण रखने के लिए आपको जल्द से जल्द कोई कदम उठना पड़ेगा, वर्ना यह बोर्ड या और इस तरीके की जो संस्थायें हैं, कमीशन्स बने हुए हैं वे आपके उत्तर प्रदेश को चाट कर खा जायेंगे, जड़ से खा जायेंगे और सब खा जायेंगे और आप इस सदन के अन्दर उत्तर देने का मुंह नहीं रख पायेंगे। इस सदन की सिफारिश से बोर्ड बनाया गया कि शायद अलग बैठ कर वे सोचेंगे कि प्रदेश का विकास कैसे हो। उसी प्रकार से एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन बना दिया गया कि अलग बैठ कर सोचेंगे, और इसी प्रकार से लैण्ड डवलपमेंट बैंक बनाया गया कि शायद ये अलग बैठकर सोचेंगे कि प्रदेश का विकास कैसे हो, लेकिन क्या वह सही मानों में हुआ? अपनी मनमानी और धांधली बाजी करन के लिए सारी कार्यवाही हो रही है।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उस दशा की ओर दिलाना चाहता हूं जो आज इस प्रदेश में है। जगह जगह एस० ईज० की स्टेट्स बन गई हैं। जिला मुरादाबाद में सात साल से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का तबादला नहीं हो सका। एक वहां जोशी साहब, एस० डी० ओ० (फाइव) हैं, १२–१३ साल से लगातार, मुरादाबाद में जमे हुए हैं, उनका तबादिला नहीं हुआ। शायद वहां से रिटायर हों। हालत क्या है। जिस किसान का कनेक्शन मन्जूर हो करके बोर्ड से जाता है या यहां से जाता है वह तो पीछे-पीछे भागता है लाइन इंस्पे-क्टर के कि साहब चलना हमारा भी एस्टीमेट बना देना और जांच पड़ताल कर लो। और जोशी जी बिना मन्जूरी के लाइन खिचवायें। जहां जोशी जी का मामला पड़ जाय वहां किसी हुक्म की जरूरत नहीं पैदा होती। लाइन भी खिचती है, बिजली भी आ जाती है और ट्यूबवेल भी काम करने लग जाता है। उनका तबादिला नहीं हो सका है। इसी तरह बरेली के अन्दर कपूर साहब है। सात साल से जमे बैठे हैं। वहां ६३ हजार किलोवाट का सब-स्टेशन बना। बड़ी चिन्ता है १५ फीसदी के रिटर्न की। जिस गांव के अन्दर रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन के अन्दर बिजली लगाना चाहेंगे उसमें पहले देखा जायगा कि उसमें १५ परसेंट का रिटर्न होगा कि नहीं। ठीक है। लेकिन दो साल हो गये दलपतपुर के अन्दर ६३ हजार किलोवाट का सबस्टेशन बनाना पड़ा और तमाम एरिया अनडेवलेप्ड है। कुएं भी होने चाहिये। हम कनेक्शन चाहते हैं लेकिन कनेक्शन मिल नहीं पाते हैं। न कुएं लग पाते हैं। मालूम नहीं क्यों। ६३ हजार किलोवाट का सब स्टेशन बना लेकिन एक्स-टेंशन नहीं हो पा रहा है। एक ही वजह है। जब तक कि जिस गांव के लोग बिजली लगाना

चाहते हैं, या कुएं बनाने चाहते हैं, वे स्वयं चन्दा इकट्ठा करके इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का हो तो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट को, बिजली डिपार्टमेंट का हो तो बिजली डिपार्टमेंट को दो सौ, चार सौ, पांच सौ रुपये की रकम नहीं पहुंचा सके, कोई देखने तक नहीं जाता है कि इस गांव की जरूरत है या उस गांव को। इस प्रदेश के अन्दर जहां बिना बिजली के विकास के बिना कुएं के विकास के गांव आगे नहीं बढ़ सकता, न डबुल क्रापिंग हो सकती है और न ट्रेबुल क्रापिंग न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है और न घर की रौशनी की आवश्यकता को पूरी कर पाता है। लोग भागे-भागे फिरते हैं। एक ग्वारऊ गांव है। उसमें एक साहब के पास साढ़े सात हार्स पावर का कनेक्शन है और तीन महीने का बिल उनके पास बनकर गया चौदह हजार रुपये का। उन्होंने दरख्वास्त दी कि यह तो बिल किसी सूरत में भी नहीं आ सकता चाहे बिजली चौबीसों घंटे भी चले। २४ घंटे मिल भी नहीं पाती। जांच हुई तो हमारे मुरादाबाद में जो अफसरान महोदय थे, उन्होंने कहा कि बात तो ठीक कहते हैं। लेकिन यह हमारे कागजात में एकाउन्ट फार हो गया है। इसलिए चौदह हजार तो आपको देना ही पड़ेगा। आगे को हम कटौती करते रहेंगे––यानी कि पचास साल तक कटौती करते रहेंगे––अगर आप चौदह हजार नहीं देंगे तो बीस तारीख को डिस्कनेक्ट कर दिया जायगा। देहात का भागा हुआ लखनऊ आ गया। यहां दरख्वास्त दी। तीन महीने तक माननीय मन्त्री को परसनली उन्होंने कहा कि १४ हजार का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसकी जांच होनी चाहिये लेकिन तीन महीने में उनका दिया हुआ स्टे आर्डर पहुंचा जब कि लगातार तीन बार मैंने परसू किया, गुस्से में भी नाराजगी में भी, प्यार में भी, मुहब्बत में भी। तब तीन महीनों बाद आडर पहुंचा और उस दौरान में सारे कायदे कानून खत्म हो गये। उन्होंने कहा कि अगर एक बार कट गया तो मुश्किल से लगेगा कनक्शन। थोड़ा-थोड़ा पसा वहां उन्हें देते रहे और तीन महीने तक कनेक्शन नहीं कटा। इस तरह के मसले है। कितनी चोरियां होती हैं ट्रांसफारमरर्स की? उसमें जांच करेंगे कितने हायडिल के मिस्त्रियों का हाथ होता है? जब इंक्वायरी होता है तो क्या हाय-डिल के मिस्त्रो लोग मुजरिम के रूप में पकड़े नहीं जाते? और क्या उनके बेचने में और उसके हिस्से में नीचे से ऊपर तब सब लोगों का हाथ नहीं होता? और जब किसान कहता है कि मेरा ट्रांसफारमर चोरी हो गया तो आप उसको रिप्लेस नहीं कर पाते। कहते ह कि शार्टेज है। कितना नुकसान होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी गांव में कुंआ लगे तो इर्रीगेशन और हायडिल दोनों डिपाटमेंटस का आपस में कोआर्डीनेशन होना चाहिए? कुएं बनाने का काम इर्रीगेशन का है और मोटर लगाने का काम हायडिल वालों का है। कुआ बन गया, मोटर फिट हो गई। अब मोटर लगाना है हायडिल वालों को। वह कहेंगे कि फलां फार्म नहीं भरकर आया है। खुद अपनी इनीशियेटिव पर यह नहीं होता कि दोनों डिपार्टमेंट मिलकर जो कुआं बनाना है उसको जल्दी से जल्दी बनाकर चलाने की कोशिश करें। वह अलग से चाहते हैं कि हमारे पास दरख्वास्त आए, फार्म आए और वह अलग चाहते हैं कि हमारे पास दरख्वास्त आए, फार्म आए।

मैं एक चीज पर और जोर देना चाहता हूं। बिजली का आटोनोमल बोर्ड है। लेकिन जब आज हम उसकी डिमान्ड को पास कर रहे हैं, उसके साल भर के रिक्वायरमेंट्स को पास कर रहे हैं तो चाहे वह आटोनोमस नहीं डबल आटोनेशनल हो और चाहे उसके चीफ इंजी-नियर हिन्दुस्तान के नहीं, सारी दुनिया के सनदयाफ्ता हों, उनको इस सदन के मातहत रहना होगा। अगर यह नहीं कर सकते तो वह बोर्ड हमारे लिए बेकार हैं, आप उसको तोड़ दीजिए, उससे उत्तर प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। हम यह जानते हैं और इस सदन के माननीय सदस्य जानते ह कि बिजली की कहां जरूरत है और कसे उसकी पूर्ति होगी। बिजली बोर्ड वाले अपने दफ्तरों म बैठकर इस बात को नहीं जानत, जो अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहते जब तक कि रिश्वत न मिल जाय।

[श्री रियासत हुसैन]

पचासों जगह ऐसे केसेज मिलेंगे कि मीटर तेज चलता है और आदमी दरख्वास्त देता है कि जांच हो। लेकिन एक-एक हफ्ते कोई जांच करने नहीं जाता। फिर वह क्या करता है ? वह डायरेक्ट लगाकर बिजली की चोरी करता है, वह आपको एक पैसा भी नहीं देना चाहता है।

जो बकायेदार हैं, एक किसान पर तो १४ हजार का बिल बनकर चला जाता है लेकिन जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, चाहे बिड़ला का हो या कोई और हो, उन पर जो बकाया है उसकी वसूलयाबी क्या आप वक्त के अन्दर कर पाते हैं और नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते ? बड़े-बड़े एमाउन्ट लाखों रुपए के इंडस्ट्रियल यूनिट्स पर बाकी है और आप उनको वसूल नहीं कर पाते और फिर कहते हैं कि नुकसान में चल रहा है। तो जब वसूली नहीं करेंगे तो मुनाफा कहां से आयेगा।

तो श्रीमन्, एक बार फिर अपील करता हूं इस सदन से कि इस प्रदेश के विकास के लिए इस बात पर दृढ़ता से आवाज उठनी चाहिए कि बिजली बोर्ड इस सदन के अन्तर्गत हो ताकि आपकी कही हुई बात पर अमल हो। यह न हो कि जो बिजली का कनेक्शन आपके मन्त्री द्वारा मन्जूर होकर जाय उसके लिए तो तीन महीने में पता चलता है कि उचित कार्य-वाही के लिए भेज दिया गया है और वह क्लर्क जो बिजली के दफ्तर में बठ हुए हैं ५०–१०० रु० लेकर काम को प्रायरिटी देते हैं कि जाओ अपने जिले के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास और तुम्हारा कनेक्शन प्रायरिटी की बेसिस पर लग जायेगा। आपको इस प्रथा को रोकना पड़ेगा वर्ना इस प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री धर्म वीर के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा आ हूं। कुछ सुझाव मंत्री जी तक पहुंचाने की मेरी इच्छा है। हमारे सामने एक बड़ी भारी समस्या राज मंगल पांडेय जी ने खड़ी कर दी है कि राज्य विद्युत परिषद् एक आटोनोमस बोर्ड है और उसके कार्य को हम नहीं देख सकते हैं। जब कोई साहूकार किसी को कर्जा देता है तो वह भी देखता है कि उसका धन वसूल हो गया या नहीं। अगर उसका धन व ल नहीं होता है तो वह डंडा लेकर पहुंच जाता है। सरकार का हमारे मंत्री का कोई अधिकार न हो, इसमें मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी यह देखता है कि उसका पैसा सुरक्षित या नहीं ? आज जिन-जिन संस्थाओं में सरकार का रुपया लगा हुआ है या दिया जा रहा है उनमें कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है और नुक्सान हो रहा है। अगर हमारे मंत्री और यह सदन विद्युत परिषद् पर निगाह नहीं रखेगा तो मैं समझता हूं पटरा हो जायेगा और सब चौपट जायेगा। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की लेखा परीक्षा रिपोर्ट–१९७० पढ़ी है। इसमें लिखा है कि इस प्रदेश का कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और वसूली नहीं हो रही है। अगर आप घाटे की प्रवृत्ति को नहीं रोकेंगे तो गरीब और बगैर पढ़ा लिखा आदमी उसी प्रकार से लुटता रहेगा जिस प्रकार से कि आज लुट रहा है और उसे लूटने की छूट दी जा रही है इस आटोनोमस बोर्ड के नाम पर। इस रिपोर्ट के पृष्ठ १५ पर लिखा हुआ है :

"१२—राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और पेशगियों के बकाया शेष में १९६८–६९ के दौरान ५७.९० करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई। १ अप्रैल, १९६८ को ५०९.८६ करोड़ रुपये से बढ़ कर ३१ मार्च, १९६९ को ५६७.७६ करोड़ रु० तक। राज्य विद्युत् बोड को दिए गए कर्जे (४,११.३९ करोड़ रुपए) ३१ मार्च, १९६९ को बकाया शेष कर्जों में सबसे अधिक (७२ प्रतिशत) थे।"

आप कहते हैं कि इसको देखो नहीं, छुओ नहीं। उत्तर प्रदेश का इतना सारा धन इस बोर्ड में लगा हुआ है। अगर हम इसको न देखें तो क्या इसे ऐसे ही छोड़ दें, जैसे कि राज मंगल पांडेय जी कहते हैं। अभी मुरादाबाद के हमारे भाई ने कहा कि नहीं यह सदन सक्षम है परताल करने का क्योंकि हमारा धन इसमें लगा हुआ है। हमारे कुछ माननीय सदस्य इस लहजे में कहते हैं कि हमें कोई अधिकार नहीं है। मैं समझता हूं कि इस सदन को एक-एक पैसे के खर्चे को देखने का अधिकार है। जब इस सदन द्वारा धन स्वीकार होता है तो इसको छानबीन करने का और अपनी मुहर लगाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। जितने उद्योग सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं उन सब में कोटा है। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने १०–७–७१ को पूछा था कि क्या सरकार पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स की जांच के लिए कोई कमेटी बना रही है? तो मन्त्री जी ने कहा था कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है। एक बात मैं सेल्स-टैक्स और इन्कम टैक्स के बारे में आप के सामने रखना चाहता हूं। इनके सिस्टम बड़े ही फाल्टी और डिफेक्टिव हैं और मनमानी हो रही है। तमाम धधे चौपट होते जा रहे हैं। इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सेल्स टैक्स आफिसर्स मन माने ढंग से सेल्स टैक्स लगा देते हैं। और फिर सौदा पटाकर नीचे ले आते हैं, इसलिये यह देखना पड़ेगा कि इसके कारण क्या हो रहा है। जिस किसी ने दे दिया उसको छूट दे देते हैं। यह भी नहीं सोचते हैं कि हमारा कितना चला गया है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ७० में पृष्ठ ८१ पर इसके सम्बन्ध में बहुत से उदाहरण दिये गये हैं। जिन में गड़बड़ियां की गई हैं और छोड़ दिया गया है। टैक्स ३ प्रतिशत की दर से लगना चाहिये था लेकिन २ प्रतिशत ही लिखा गया है। इसके कारण प्रदेशीय सरकार को हानि उठानी पड़ी। सेल्स टैक्स विभाग में ईमानदार आदमी को बड़ी कठिनाई पड़ रही है। वह सेल्स टैक्स आफिसर को भी सन्तुष्ट नहीं कर पाता है। नतीजा यह होता है कि अपील में उस को पैसा देना पड़ता है। गवर्नमेंन्ट उस पैसे को अब तक तो अपने आप वापस कर देती थी लेकिन अब नया वसूल निकाला है कि उसको दरख्वास्त देनी पड़ेगी तब वापस होगा। इसलिये मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इस चीज को वापस ले लें और गवर्नमेन्ट की ओर से उसको पैसा वापस किया जाय जिससे उनको सुभीता हो सके। सारे का सारा ढांचा सेल्सटैक्स विभाग का डिफेक्टिव है, इसमें आमूल चूर परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो विभाग को लाभ होगा। एक सूत्री कर लगाने के लिये एक कमेटी बनाई गई थी परन्तु इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि इसका ढांचा कैसे खड़ा हो। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि अपील जो सुनते हैं वह उसी विभाग में रहते हैं और हर बात में विभाग की प्रतिष्ठा सोचते हैं लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि प्रदेश का धंधा कहां जा रहा है। इसलिये मैं कहूंगा कि सेल्स टैक्स की जांच की जाय। आज कच्चा अड़तिया भी परेशान है क्योंकि मन्डी में कहते हैं कि लायसेंस लेना पड़ेगा लेकिन इधर से जाता है कि नहीं लेना है, इसको देखना पड़ेगा।

जैसा कि कुछ लोगों ने कहा कि इस प्रदेश की तरक्की बिजली पर है यह सही है। अगर उसकी तरक्की नहीं होगी तो प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। आप बड़ी बड़ी फैक्टरीज की तो ६, ७ पसे में बिजली देते हैं लेकिन वह रियायत किसान के लिये नहीं करते हैं। जब ६७ में सूखा पड़ा था तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी त्राहि त्राहि मच गई थी। इसका कारण था कि बिजली नहीं मिल पाई थी। जिससे पूछो वही कहता था कि किसान नहीं आता है। वकील भी यही कहता था और बिजली वाला भी यही कहता था। तो जब किसान की तरक्की होगी तभी प्रदेश की तरक्की होगी और धंधे बढ़ेंगे लेकिन इसके लिये बिजली उसको सस्ते रेट पर मिलनी चाहिये। उसको बिल तक सही नहीं दिया जाता है और उसके लिये उसको दफ्तरों में दौड़ना पड़ता है। अगर पैसा जमा नहीं कर पाता है तो कनेक्शन काट दिया जाता है। मेरठ और आगरा कमिश्नरी में दो अरब का नक्सान दिखलाया गया है। यह कैसे हुआ? इसका कारण यह था कि किसान दिन में थ्रेशर नहीं चला सकता था। रात में पानी बरस जाता था। यदि किसान को दिन में थ्रेसर चलाने का अधिकार होता तो यह नुक्सान काफी कम हो जाता

[श्री हिम्मत सिंह]

और वह गल्ला अपने घर ला सकता था। क्या आप आगे से गारन्टी देंगे कि वह २४ घंटे थ्रेशर चला सकता है ताकि गेहूं उठा कर बाजार में ला सके। रोस्टरिंग होगा तो किसानों पर होगा। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से, किसान ने क्या अन्याय किया है कि उसी के ऊपर सारी बंदिशें लगायी जाती हैं जब कि किसान के ऊपर ही सारा दारोमदार है। भाई राम प्रसाद देशमुख ने कहा कि मैं उसी वर्ग से आया हूं जहां सब लोग पीड़ित हैं। किसान में से कोई आयेगा तो वह समझेगा कि २४ घंटे किसान को पानी चाहिये। अगर उसको पानी मिलेगा तो उसका उत्पादन पढ़ेगा।

आप के प्रदेश के अन्दर कितने गांव हैं और कितने गांवों को आपने इलैक्ट्रीफाई किया है? आप को पता चलेगा कि आपने केवल १/४ गांवों को इलेक्ट्रिफाई किया है। गांवों की संख्या को आप देखें तो इस प्रदेश में एक लाख १२ हजार ६२४ गांव हैं जिनमें से २० हजार ७१९ को ३१ मार्च, १९७१ तक इलैक्ट्रीफाइड किया गया है। ९१ हजार ९०५ गांव बाकी हैं। मैं जानना चहता हूं कि मंत्री जी जो इतनी डींग मारते हैं कि हम ने यह कर दिया कब तक इन गांवों को इलैक्ट्रीफाई कर सकेंगे। कितनी बिजली भारत में प्रति व्यक्ति कंज्यूम हो रही है इसका पता उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा १९७१ से लगता है। पृष्ठ ३१ पर दिया हुआ है कि वर्ष १९६८-६९ में प्रति व्यक्ति विद्युत् का उत्पादन व उपभोग इस प्रदेश में ६१ किलोवाट घंटा तथा ५० किलोवाट घंटा था जब कि पूरे भारत में यह क्रमशः ९० किलोवाट घंटा तथा किलोवाट घंटा था। यह प्रदेश प्रति व्यक्ति उत्पादन और उपभोग के मामले में भारत के औसत से क्रमशः ३२ प्रतिशत तथा ३६ प्रतिशत पिछड़ा हुआ है। वर्ष १९६७-६८ में इस प्रदेश में प्रति व्यक्ति उत्पादन ४३.५ किलोवाट घंटे था जबकि पूरे भारत में यह ८०.०० था। जब हम इतना पिछड़े हुए हैं तो यह असम्भव है कि हम अपने प्रदेश को आगे ले जा सकेंगे। बिजली के द्वारा ही हमारी उन्नति हो सकती है। आपने जो बोर्ड का गठन किया है वह उचित नहीं है। उसमें उद्योग वाले होने चाहिये, मजदूर होने चाहिए, किसान होने चाहिए, यातायात वाले होने चाहिए। उसमें ये सब नदारद हैं आपको फिर से ढांचे को देखना पड़ेगा। एच० टी० और एल० टी० लाइन का भी बड़ा घपला है। इंस्पेक्टर इसमें पैसा कमाते हैं। आपका ५०५ करोड़ रुपया लगा हुआ है और ५ करोड़ आपकी आमदनी है। १० परसेंट आपको कास्ट आयी और १५ परसेंट आप किसान से मांगते हैं। आप किसानों से १० परसेंट ही मांगे। किसान से जितना रुपया चार पांच साल में वसूल कर लिया है उसको वापस कर दें। आप देखें तो पता चलेगा कि हम अपने प्रदेश का कुछ भला नहीं कर रहे हैं। अगर आप को जमीन से भार को उठाना है तो आप को प्रदेश में छोटे-छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों को पनपाना होगा। अगर आप देखें तो पता चलेगा कि आपने १९६६-६७ में ७.६९, १९६७-६८ में ५.१४, और १९६८-६९ में ४.७० करोड़ कर्जा दिया। इससे साफ जाहिर है कि आपने लघु और कुटीर उद्योग, जिस पर कि इस प्रदेश का दारोमदार है, का कुछ भला नहीं किया। आप किस प्रकार देश का उत्थान करने जा रहे है जब कि आप यहां कुटीर और लघु उद्योगों को नहीं बढ़ायेंगे। आज आप के सामन एक समस्या नहीं अनेक समस्याएं हैं और उनको पूरा करने के लिए आपने कितने बोर्ड बनाए हैं जिनके द्वारा आप प्रदेश का उत्थान करना चाहते हैं। शिक्षित और अशिक्षतों की बेकारी के लिये भी आपने योजना बनायी है। किसानों के लिए आपने एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन कायम किया है। उसकी बाबत एक शब्द कहना चाहता हूं। पंजाब और हरियाना के किसान यहां ट्रैक्टर लेने के लिये आये। कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन मे धांधली है, यहां किसी को भी ट्रैक्टर मिल जाता है। इस तरह से ५७ हजार रुपया यहां के ट्रैक्टर लेने वालों को कुछ दलाल लूट ले गये। इसी ९ अगस्त की बात है और उस की रिपोर्ट १६ तारीख को लिखायी गयी कि यहां इतना रुपया उनका लूट गया। इसकी शोहरत बहुत दूर दूर तक हो गयी है कि एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन में बड़ी धांधली है। तो मैं कहता हूं कि जहां जहां आप का रुपया है उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी जिससे आपका रुपया वहां सुरक्षित रहे और जनता ऐसे नियमों

द्वारा लूटी न जाय। इसलिये आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश को बचाना है तो एक ऐसी कमेटी का निर्माण करना होगा जो आप के सारे रुपये को देखती रहे कि कहां कहां उसका सदुपयोग हो रहा है। इन शब्दों के साथ मैं श्री धर्मवीर जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय तिवारी जी द्वारा पेश किये हुए अनुदानों पर बोलने की इजाजत दी। श्रीमन्, आप के जरिये पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि हम को यह देखना पड़ेगा अगर वाकई में डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, कि ऐसी आटोनामस बार्डी, जैसा कि हमारा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है, हमारे यहां रहना चाहिये कि नहीं। जब कोई काम नहीं हो सकेगा तो कह दिया जायगा कि यह आटोनामस बाड़ी है, वहां हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई में हम डेमोक्रेटिक प्रिंसपुल्स में विश्वास रखते हैं तो क्या ऐसे आटोनामस बार्डी का रहना सही है जो माननीय सदस्यों के द्वारा या वैसी कमेटीज––जैसे पी० ए० सी० की बातों पर भी कोई सुधार न करे? मैं तो कहता हूं कि हमारा पहला प्रश्न तो यह होना चाहिये कि जहां जहां जनता के प्रतिनिधि अपनी बात सही रूप मे कह कर अपनी परेशानियों को हटा न पावें, तो एक आटोनामस बार्डी के नाम पर हमारे प्रदेश में ऐसी बाडी की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप को बतलाऊं कि ७ अगस्त के ब्लिट्ज अखबार में छपा था जो चीज कि पी० ए० सी० की बैठक में यहां के माननीय सदस्यों न रखी थी। इस अखबार में खुले आम उसके विवरण सहित निकला हुआ है। म चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर वाकई में इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं तो विद्युत एक ऐसी चीज है जो हमारे पिछड़ेपन को दूर कर सकती है। अगर पी० ए० सी० ऐसी कमेटी की बात कोई न सुने, इंजीनियर के खिलाफ माननीय सदस्य लिखें और उनका भी कुछ न हो तो इस प्रदेश में विद्युतीकरण होना बहुत ही मुश्किल है। देहात की जनता की भलाई के लिये ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण होना जरूरी है लेकिन जो जोरदार विधायक है या जिन जिलों के और क्षेत्रों के मंत्री हैं वहीं पर विद्युतीकरण होता है। मेरे यहां देवरिया क्षेत्र में हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है कि वहां बिजली की कमी के वजह से कोई भी उद्योग नहीं लग पाता है और जो लगता है भी है वह सारा का सारा पूंजीपतियों का ही लगता है क्योंकि उनकी पहुंच यहां लखनऊ तक है। देहाती गरीब किसानों की पहुंच यहां तक कैसे हो सकती है इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को है।

(इस समय ३ बज कर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, हरिनाथ तिवारी, पीठासीन हुए।)

जो प्रश्न उठाया गया था, वर्मा जी चीफ इंजीनियर हैं। इसके खिलाफ आरोप है और उन्होंने खुद पी०ए०सी० की बैठक में माना कि उनका एक फर्म है जिसकी मार्फत इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को करोड़ों रुपये का माल दिया गया। मान्यवर, अगर वाकई म हमारे समाजवाद की तरफ यह कदम है तो कुछ आफिसरों को, कुछ खास आफिसरों को लखपती बनाने से समाजवाद नहीं आयेगा। मैं तो यह कह सकता हूं कि आज जो सीनियर आफिससर इस विभाग में वे लखपती बनते जा रहे हैं हमारी कमजोरियों के कारण। अगर हम सब जनता के प्रतिनिधि एक हो कर मांगों को रखें, अपनी बातों को कहें तो आज जो यह ब्योरोक्रेसी हावी होती जा रही है वह न हो सके। माननीय नारायणदत्त जी समाजवादी विचारधारा के हैं, उनको काफी जानकारी भी है, अगर वे इस विद्युत् परिषद् की अफसरशाही को समाप्त कर सके तो निश्चय ही उन्हें सफलता प्राप्त होगी। अभी भूतपूर्व मंत्री श्री देशमुख जी ने भी बड़े कठोर शब्दों म इस विद्युत् विभाग की आलोचना की। मंत्री होने के समय उनके हाथ बंधे थे, वे कुछ न कर सके। इस पर हम सभी माननीय सदस्यों को सोचना पड़ेगा। अगर एक मंत्री अपने विभाग को ठीक नहीं करा सकता है तो मैं समझता हूं कि इस बोर्ड को ही समाप्त कर देना चाहिये।

[कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह---]

मान्यवर, काश्तकारों को सुविधा देने की बात कही जाती है, मगर उसकी कितनी उपेक्षा की जाती है उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। कहा जाता है कि गेहूं की फसल को नुकसान हो गया। यह नुकसान क्यों हुआ? यह नुकसान इस कारण भी बहुत कुछ हुआ कि जिन लोगों के पास पावर थेशर थे वहां उनको बिजली नहीं मिली। इसकी दो लाइनें हैं---एक लाइन शहर को जाती है, एक देहात को जाती है। शहर की तो लाइन २४ घंटे चलती रही, मगर देहात की लाइन केवल ३-४ घंटे ही चली। मैं अपने पडरौना की बात बता रहा हूं। जब देहात के किसानों ने मांग की कि हमको पावर थ्रेशर चलाना है, बिजली दो, तो कह दिया गया कि हमको शहर को सप्लाई करना है, पहले हम शहर को देंगे, शहर को बत्ती जा रही है, हम आप को नहीं दे सकते। तो जब आपके इस तरह के आदेश होंगे तो कैसे किसान की भलाई होगी। ऐसे मौके पर भी शहर की जनता को बराबर बिजली मिलती रही, किसान को नहीं मिली जब कि वह अपने लिये नहीं, बल्कि थ्रेशर आदि चलाने के लिये चाहता रहा। मंत्री जी को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा अगर कोई छोटा किसान किसी छोटे उद्योग के लिये बिजली चाहता है तो तो बड़ी मुश्किल से मिलती है और काफी पैसा खर्च करने पर मिलती है। बिना पैसा खर्च किये तो यह दफ्तर के अन्दर भी नहीं घुस सकता है। सरकार को इस भ्रष्टाचार आदि की रोकथाम के लिये कोई ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिये जिससे कि एक साधारण आदमी को भी बिजली मिल सके।

सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि बिजली विभाग में जो आफिसर्स काम कर रहे हैं उनके लड़के कहीं किसी पूंजीपति के यहां काम न कर सकें। यदि उनके लड़के किसी पूंजीपति के यहां काम कर रहे हों तो उनको वहां से हटा देना चाहिये। मैं आप को एक उदाहरण देता हूं। श्री मेहरोत्रा जो केसा के जनरल मैनेजर हैं उनके लड़के स्वदेशी काटन मिल में कार्य कर रहे हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि विद्युत् विभाग का लगभग ३० लाख रुपया उस मिल पर बकाया है। एक छोटा किसान अगर ५०-६० रुपये का भी बकायादार होता है तो हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करती है, उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। यह जो बड़े-बड़े आदमी हैं, उन पर लाखों रुपये बकाया हैं, किन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि उनके यहां ऐसे-ऐसे आदमी नौकर रखे जाते हैं जिनके बाप या रिश्तेदार सम्बन्धित विभाग में बड़े-बड़े अफसर हैं। इस चीज को आपको पक्की तरह से रोकना चाहिए। मैं अधिक कुछ न कह कर मंत्री जी से फिर यह अनुरोध करूंगा कि इस बोर्ड के सिलसिले में नीति का प्रश्न है, इस पर कड़े कदम उठाएं, सोचें, यदि वाकई में जनता का हित करना है तो विधायक की बात मानी जानी चाहिए। विधायक की बात नहीं मानी जाएगी तो जनता का फायदा नहीं हो सकता है।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

अधिष्ठाता महोदय, प्रायः हमारे मंत्रिगण हम लोगों की बात पर इसलिए ध्यान नहीं देते कि सोचते हैं कि वे विरोधी पक्ष के हैं, इनका तो काम ही विरोध करना है। किन्तु आज मैं विशेष रूप से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्हीं के पक्ष में बैठने वाले रियासत हुसैन साहब ने और सी० पी० एन० सिंह साहब ने जो कहा है, उसकी ओर वह ध्यान दें। मैं अपनी ओर से कुछ कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं केवल उस मांग के समर्थन में खड़ा हुआ हूं कि या तो आप इस राज्य विद्युत परिषद् को अपने नियंत्रण में लें अन्यथा उसे भंग कर दें। श्रीमन्, इतना ही नहीं कि सरकार का कोई नियंत्रण उस पर नहीं है, बल्कि मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि सरकार ने एक बोर्ड स्थापित करके समझ लिया है कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी और उधर से वह पूरी तरह से उदासीन है। मैं

इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि किस हद तक सरकार को जानकारी नहीं है कि किस प्रकार से विद्युत विभाग काम करता है। मैं बताना चाहता हूं कि बरसात से पहले हमारे प्रदेश में जो बिजली की कमी हुई तो मध्य प्रदेश से बिजली मांगी गई और उसने अपने प्रदेश को बिजली सप्लाई की थी। लेकिन जब उस बिजली का खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार को नहीं मिला तो उन्होंने नोटिस इत्यादि दिए। और जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने बिजली काट दी। तब तक हमारे मंत्रि परिषद् को इस बात की जानकारी तक नहीं हुई कि हमारी बिजली काट दी गई है। अगर यह बात ज्ञात हो तो मंत्री जी उसको कांट्रेडिक्ट करें लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि यह सरकार सोती रही। जब मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने हमारे मुख्य मंत्री को टेलीफोन किया खेद प्रकट करने के लिए कि हमारे कर्मचारियों, हमारे अधिकारियों ने आपको बिजली नान-पेमेंट के कारण काट दी है, उस पर हमें खेद है। तब जाकर हमारे मुख्य मंत्री को मालूम हुआ कि हमारे राज्य की बिजली काट दी गई है। इस हद तक इस सरकार ने अपने नियंत्रण विद्युत परिषद् के ऊपर से खो दिया है। श्री रियासत हुसैन जी ने श्री सुखलाल पांडेय के पत्र का हवाला देकर भी इसी नियंत्रण की कमी को बताया है, लेकिन जो उत्तर उनको उसका मिला है, उसको उन्होंने नहीं पढ़ा, उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। आपके एक सहायक सचिव श्री सुखपाल पांडेय को सूचित करते हैं कि मुख्य अभियन्ता तथा उनके भाई, श्री के० के० वर्मा की शिकायत के विषय में विद्युत मंत्री जी को सम्बोधित आपके पत्र दिनांक २० सितम्बर, ७० के सन्दर्भ में आपको सूचनार्थ मुझे निवेदन करने का आदेश हुआ है कि आपके पत्र को सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, पोस्ट बाक्स नं० २०२, लखनऊ के पास उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।" और आगे चल कर माननीय सदस्य को तम्बीह किया गया है कि आप से यह भी निवेदन है कि भविष्य में इस सम्बन्ध में उनसे भी पत्र व्यवहार करें अर्थात् सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, चाहे सफेदी करें या स्याही करें। आपको जो कुछ बात करनी हो सीधे विद्युत परिषद् से करें। श्रीमन्, यह स्थिति इतनी शोचनीय है कि हम करोड़ों रुपया, बल्कि करोड़ों की बात ही नहीं है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत व्यय की जो सबसे बड़ी मद है, वह बिजली की है, सबसे बड़ी मद पर इस सरकार और इस सदन का कोई नियंत्रण नहीं होगा और कौन लोग यह कहते हैं नहीं होंगे, कौन सा दल है, जो आज अपनी कमजोरी का इजहार कर रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते ? यह वही दल है जो आज कहता है कि कमिटेड जुडीशियरी होनी चाहिए, जो आज भारत के संविधान को तोड़-मरोड़ कर एक हफ्ते में तीन संशोधन पेश कर सकता है और लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की वकालत करता है। वही यहां के लोग कहते हैं हम अपनी कमजोरी से राज्य विद्युत परिषद् को ठीक नहीं कर सकते। एक तरफ आपकी इतनी ताकत आप जजों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। भारत के संविधान को भी बदलने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ इस कमजोरी का इजहार। चूंकि अटोनमस बाडी है हम कुछ नहीं कर सकते। हमको अफसोस होता है कि हमारे रियासत हुसेन साहब जैसे लोग, बात वही कहते हैं जो मैं कहता हूं, मुझसे बेहतर कहते हैं लेकिन फिर भी जब हाथ उठाने की बात आयेगी तो कहेंगे कि ग्रांट पास किया जाय। मैं उनको और सी० पी० एन० सिंह साहब को बतलाना चाहता हूं कि जब तक आप इन ग्रांटों को पास कराते रहेंगे तब तक इन मंत्रियों के कान पर जूं रेंगने वाली नहीं है। आप देख लीजिये अगले वर्ष अगर आप और मैं रहे तो यही बातें रहेंगी।

श्रीमन् प्रायः यह कहा जाता है कि खेती के लिए बिजली बहुत पहुंचायी जा रही है और यह मुख्य कारण बताया जाता है बढ़े हुए खर्च और हानि के लिए। मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि अगर आप पिछले दस वर्षों के आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि खेती पर खर्च होने वाला उत्पादित बिजली का अंश निरन्तर गिरता चला जा रहा है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि खेती की उन्नति हो तो दूसरी जगह बिजली जाने से

[श्री भानुप्रताप सिंह (बस्ती)]

उस वक्त तक रोकिए जब तक कि किसानों को उसका उचित अंश प्राप्त न हो जाय। यह बात जरूर है कि आपने ट्यूबवेल्स के कुछ कनेक्शन दिये हैं लेकिन कुल उत्पादित बिजली में किसानों का अंश गिरा है। यह भी मैं इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि कुल बिजली जितनी किसान खर्च करता है उसके दुगने से ज्यादा आपकी बिजली चोरी चली जाती है। जब किसान को बिजली सस्ती करने की बात होती है तो आप कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है। जितनी बिजली आप किसान को देते हैं उससे दुगने से ज्यादा बिजली चोरी चली जाती है और चोरी कराने में सहायक आपके राज्य विद्युत कर्मचारी हैं। मैं स्वयं बिजली विभाग के व्यवहार का भुक्तभोगी हूं। मैं एक उदाहरण आपके सामने रख देना चाहता हूं इसलिए कि उसके सत्य होने में कोई सन्देह न रहे इसलिए नहीं कि मेरी व्यक्तिगत शिकायत है। मेरे गांव के छोटे से आदमी ने, जो मेरे फार्म पर ड्राइवर का काम करता है, बिजली का कनेक्शन लेना चाहा। उसकी दरख्वास्त मंजूर हो गयी, जो कुछ रुपया जमा करना था, जमा कर दिया लेकिन महीनों उसे बिजली नहीं मिली। विद्युत विभाग के अधिकारियों की दृष्टि में शायद मैंने बड़ी धृष्टता की कि मैंने एक पत्र लिख कर इतना निवेदन कर दिया कि इतने दिन हो गये, बिजली नहीं मिली है, कृपा करके शीघ्र बिजली दे दी जाय। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद मैं स्वयं गया। बिजली दे दो, उसने पैसा अदा कर दिया है, सारी शर्तें पूरी कर दी गई हैं. लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद उस ड्राइवर ने आकर कहा कि अगर आपके सारे प्रयत्न विफल हो चके हों तो मुझे इजाजत दीजिये, ४८ घंटे में बिजली ले आता हूं। मैंने कहा इजाजत है, मेरी तो सारी ताकत खत्म हो गयी। मंत्री जी आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि ४८ घंटे के अन्दर बिजली मिल गयी रुपये के बल पर।

दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपके विभाग की कार्य क्षमता के बारे में। आप किसानों से मिनिमम चार्ज लेते हैं साल भर के लिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि खेती में बहुत से काम सीजनल होते हैं। उनके लिये भी बिजली चाहिये तो क्या किया जाय? मान लीजिये खलियान में क्रशर चलाना है। १५ दिन या १ महीने का काम है लेकिन हम साल भर के लिये उसके लिये मिनिमम चार्ज दे। लिहाजा आप कुछ करें या न करें लेकिन यह व्यवस्था आवश्य कर दें कि सीजनल कार्यों के लिये किसानों को बिजली मिल सक। मैंने अब यह कठिनाई अपने जिले में इंजीनियर महोदय के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि टेम्पोरेरी कनेक्शन का तरीका है। मैंने समझा शायद टेम्पोररी कनेक्शन इन कार्यों के लिये मिल जाता होगा। उसके लिये मैंने दरख्वास्त जनवरी, ७१ में दी। बिजली के तार मेरे खलियान के बीचोबीच में से ही रोकर जाते हैं लिहाजा मुझे वहां कनेक्शन दे दिया जाय। जब मैं पिछली बार घर गया था, जुलाई के अन्त में तो मेरे पास जांच करने के लिये आदमी आया और पूछा कि बिजली आपको कहां चाहिये? मैं अपनी बात नहीं करता लेकिन अगर आप सचमुच समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं और ऐसे ही उदाहरण आप उपस्थित करेंगे तो जो आपने राज्य विद्युत परिषद् तथा बिजली सप्लाई के सम्बन्ध में रखे हैं तो मैं कह सकता हूं कि जनता एक बार धोखे में आ सकती है बार-बार नहीं आयेगी। अगर आप सचमुच चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि विद्युत जैसी योजनायें सरकारी क्षेत्र में चले, मैं इस की पैरवी भी नहीं करता कि इस को प्राइवेट सेक्टर में कोई चला सकता है, लेकिन अगर ये उदाहरण आप उपस्थित करेंगे तो मुझको क्या बड़े-बड़े समाजवादियों को सोचना पड़ेगा मजबूर होकर क्या सारी ताकत को इस तरह से कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में दे दिया जाय जिस के हाथ में राज्य शक्ति तो है ही, आर्थिक शक्ति भी अगर उन के हाथ में पहुंच गयी तो वे उसका क्या उपभोग करेंगे? निजी स्वार्थ के लिए अगर उन्होंने इस्तेमाल किया तो उसका क्या परिणाम होगा। मुझे आशा है कि आप अपने उत्तर में इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि इस राज्य विद्युत परिषद् को अपने अथवा सदन के नियंत्रण में लेने के लिए कोई ठोस कदम उठायेंगे।

श्री प्रियदर्शी जैटली (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस अनुदान पर बोलने का मौका दिया। हमारे बहुत से माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपनी बातें कह चुके हैं। थोड़ी सी बातें मैं भी रखना चाहता हूं। सब से बड़ा आश्चर्य की बात यह है कि इतना लम्बा बजट आज हम विद्युत परिषद् के लिए पास करने जा रहे हैं और यह कहते हुये पास करन जा रहे हैं कि यह एक आटोनोमस बाडी है, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मैं समझता हूं कि यह इस सदन के साथ न्याय नहीं बल्कि अन्याय है। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर यह मान लिया जाय कि यह एक आटोनोमस बाडी होते हुये भी हमें इस को चलाना है तो मैं अपने माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप को यह नहीं मालूम कि इस एलिक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन की अवस्था ६६ साल की है और चीफ इन्जीनियर के पद से रिटायर होने के बाद उन को यहां पर बैठाला गया है? क्या जितना भ्रष्टाचार इन्होंने वहां पर फलाया है उसे सरकार नहीं जानती? इन्होंने जो भवन मेरठ में बनाया हुआ है क्या उसे विद्युत विभाग को किराये पर नहीं लगाया हुआ है? क्या सरकार इस बात को नहीं जानती कि हमारी विधान सभा सदस्या, श्रीमती गायत्रीदेवी के नाम से जो भवन मेरठ में बना हुआ है उस भवन को विद्युत विभाग के लिए ले लिया गया है जब कि उस भवन में उस समय तक दरवाजे खिड़की भी नहीं लगी हुई थीं, यानी वह मुकम्मिल नहीं हुई थी? क्या उस भवन में विद्युत विभाग द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कराया गया? उसमें जो वाटर पाइप लगे हुये हैं, जो वाटर सप्लाई वगैरह का पेमेन्ट हुआ है उस क सबूत मौजूद हैं, वे रसीदें जो काटी गयी थीं, S D O, बिजली के नाम थीं और बाद मे उन रसीदों में कटिंग की गयी है। क्या यह सही नहीं है कि विद्युत विभाग में जो फोर्ड कालसन गाड़ी है, उसका इस्तेमाल मुजफ्फरनगर में चुनाव के दौरान नहीं किया गया? उन्हीं एस० एन० सिंह को भूतपूर्व मुख्यमन्त्री ने एलक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बनाया जिन्होंने कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाया। मैं समझता हूं कि यह घोर अन्याय हो रहा है। करोड़ों रुपया ऐसे आदमी के हाथों में दिया जा रहा है जिसका कि कभी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो सकता है।

एक सदस्य—

मैं जानना चाहता हूं कि जब मंत्रि-परिषद् का गठन हुआ था उस समय आप भी सरकार के साथ थे या नहीं?

श्री प्रियदर्शी जैटली—

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को इतने रुपये दिये जाते हैं किन्तु बिजली के खम्भे गाड़ दिये जाते हैं और वहां पर बिजली लम्बे समय तक पहुंच नहीं पाती है। कहा जाता है कि कन्डक्टर्स नहीं हैं और अन्य चीजों की कमी है। मैं कहता हूं कि आखिर इतना रुपया कहां जाता है? क्या तमाशा बनाया हुआ है। मैं मन्त्री-महोदय से एक बात कहना चाहता हूं कि रूरल एलेक्ट्रिफिकेशिन की आप बात करते हैं, खेती के लिए बिजली देने की बात कहते हैं, कृषि के लिए बिजली देने की बात कहते हैं, कृषि को बिजली के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। आप यह भी तसलीम करते हैं कि किसी भी विकसित देश क लिए बिजली सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब तक गांवों में बिजली नहीं पहुंचायी जायगी तब तक कोई भी प्रगतिशील देश आगे नहीं बढ़ सकता है। किन्तु आज, जैसे कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि किसानों को बिजली नहीं दी जाती है। हमारी भूतपूर्व सरकार ने सवा छः एकड़ लगान माफ कर दिया। लेकिन सरकार ने यही किया होता कि किसानों को राहत देने के लिए कि उस रुपये को लगान को माफ न करके बिजली के रेट को कम किया होता, तो मैं समझता हूं आज प्रदेश का किसान ज्यादा खुशहाल होता और उसे प्रगति

[श्री प्रियदर्शी जेटली--]

करने का मौका मिलता, लेकिन ऐसी बात हमारी भूतपूर्व सरकार ने नहीं की । मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि आज इस दिशा में कदम उठावें और किसानों को प्रगतिशील बनाने के लिए मिनिमम गारन्टी की स्कीम को खत्म करें । बिजली के रेट कम करें तब यह मसला हल हो सकता है और सही मानों में आप के समाजवाद की नारेबाजी और किसानों की हमदर्दी की बात आगे बढ़ सकती है ।

अधिष्ठाता महोदय, एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक ऐसी फौज है जो एक आई० ए० एस०क्लास की बनी हुई है, जहां पर टेक्नोक्रेट्स इन्जीनियर्स को मौका नहीं दिया जाता जो कि उस बात की एक्सपर्टस् और जानकार हैं, लेकिन आई० ए० एस० लोगों की फौज खड़ी कर दी गयी है। एक ऐसे व्यक्ति जो कि फोर्सफुल्ली रिटायर्ड चीफ इन्जीनियर की हैसियत से काम करते थे जिनके खिलाफ गबन के इलजाम थे और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने स्वयं उन पर इल्जाम लगाया है और गबन को स्वीकार किया, उस के बावजूद भी उनको एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन बनाकर बैठा दिया । लेकिन अगर उन्होंने ऐसी बात की और हम भी स्वीकार करते हैं कि वह आदमी इस काबिल नहीं है कि वहां बैठाया जाय तो इसमें भी कोई रुकावट नहीं है कि फौरन उन को वहां से हटा दिया जाय । मैं समझता हूं कि हमारे मन्त्री जो कि एक बहुत योग्य, नवयुवक हैं और इस विभाग को जानते हैं, वह इस दिशा में अपना कदम उठायेंगे और इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो भाई धर्मवीर जी ने एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऋण ग्राप्ट के सम्बन्ध में बहुत ब्योरे से सारी बातें कह दी हैं और मेरे और भी साथियों ने इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कही हैं, लेकिन मान्यवर, मुझे यही एक बजट ऐसा लगता है जिसमें शायद कटौती के प्रस्ताव का सर्वसम्मत से सदस्यों ने समर्थन किया है। ऐसा यह पहला ही शायद यह प्रस्ताव पेश हुआ है। मान्यवर, कहा जाता है कि विद्युत बोर्ड में बड़ा घाटा हो रहा है और कभी कभी यह भी कह दिया जाता है कि यह आटोनोमस बाडी है। मैं मानता हूं, चाहे हम मन्त्री रहे हों, कभी या आपकी सरकार हो, इसको मैं मन्जूर करता हूं लेकिन आप तो हम से अधिक प्रगतिशील अधिक प्रोग्रेसिव बनते हैं ..

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

मान्यवर, मुझे सूचना मिली है कि हमारे मित्र, पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने राज्यपाल पद के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

यह तो बड़ी अच्छी बात होगी अगर विरोधी दल से भी कोई होता है, लेकिन मैंने जो बात कही है, राजनीतिक कारणों से पता नहीं किस कारण से वह हंस कर उस सत्य को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उसे भविष्य ही बतायेगा !

श्री बंशीधर पांडेय--

वही बात मैं कहने जा रहा था कि जब यह चीज आयी कि नेशनलाइजेशन हो सारी चीजों का, भारत सरकार के स्तर पर इस बात की चर्चा चले लेकिन विवाद हुआ कि सोशलाइजेशन बड़ा है या नेशनलाइजशन बड़ा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सरकार को एक बात तय करनी होगी कि इसको आटोनोमस बाडी सही रूप में करना चाहते हैं या आप चाहते हैं इसका केन्द्रीकरण करके एक विभाग बना दिया जाय । हमारे बहुत से साथियों ने इसके अधिकारियों के बारे में कहा । लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं रही है

कि मैं अधिकारियों की शिकायत करूं। मैं मंत्रियों की बात कहना चाहता हूं क्योंकि हम और वे आमने सामने बैठते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं वह यहां पर नहीं हैं। इसलिये उनके संबंध में कुछ कहना मैं अच्छा नहीं समझता। यह जनतंत्र की परम्परा के विपरीत है कि अधिकारियों के विरुद्ध यहां पर शिकायत की जाय। उनकी शिकायत क्या करें, शिकायत तो मंत्रियों की होनी चाहिये। मैं मंत्री होऊं तो मेरी शिकायत कर दीजिये। आपके पास सत्ता है। गोस्वामी जी बैठे हुये हैं, नारायणदत्त जी चले गये।

कुंवर चन्द्रप्रताप नारायण सिंह—

अभी जो बोले थे वे भी आपके मंत्री थे और अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे थे।

श्री बंशीधर पांडेय—

मंत्री कोई सर्टीफिकेट नहीं है। आप के भी मंत्री गालियां देते हैं और कहते हैं तो मैं उनको भी कहता हूं। डैमोक्रसी की यह परिभाषा है कि जो सदन में उपस्थित न हो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आप कहते हैं कि मंत्री बड़े हैं। मंत्री लोगों में भ्रष्ट लोगों को बिठा दिया गया है। यह लोग काम नहीं करते हैं तो आप कैसे भ्रष्टाचारियों के साथी हो गये।

श्री बंशीधर पांडेय—

राजितराम पांडेय समझ रहे हैं कि मैं मंत्री हूं और माननीय नारायणदत्त तिवारी जी विरोधी दल के हैं।

श्री राजितराम पांडेय—

आप ने भी उसी परदे को छिपाया है और मुख्य मंत्री जी भी छिपा रहे हैं। इसलाम साहब के बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि वह बहुत अच्छे आदमी हे, उसको ले आये हैं जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह सब कह रहा हूं। मैं तो आपके मंत्री जी को बचा रहा था।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

अधिकारियों और मंत्रियों दोनों की आलोचना बन्द की जाय।

श्री बंशीधर पांडेय—

मंत्री जी के बचाने का सवाल नहीं है। मैं मंत्री जी की इसको कमजोरी मानता हूं। या तो वह सबको हटा दें अन्यथा वह सुन रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते, यह मंत्री पद की अयोग्यता है अगर मन्त्री में ताकत है तो हाउस में आने से पहले वह सबको हटा कर आता तो मैं मान लेता कि उनमें कुछ गड्स हैं। लेकिन नहीं हटा सकते हैं तो फिर क्या है। आप कह दें कि अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं तो हम क्या करें।

श्री कमलापति त्रिपाठी:—

इस मामले में आप की राय चाहता था कि मिल जाय वह मिल गई तो बड़ी अच्छी बात है।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप नहीं रहे। एक साथी ने कहा था कि आजकल अधिकारियों के तीन गुट हो गये हैं। एक गुप्ता जी का, दूसरा चरण सिंह जी का और तीसरा पंडित जी का। मैंने कहा कि पंडितजी बहुत मंत्री रहे हैं उनके बहुत से दोस्त होंग। जनतंत्र इस तरह से नहीं चलता है। अगर कर्मचारियों को इस तरह से लायेंगे तो आपका जनतंत्र सफल नहीं हो सकता है। सरकारी कर्यचारियों को कमिटेड सरविस म लन का प्रयास अच्छा नहीं है। आपका विद्यत् परिषद् इससे बच नहीं सकता है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। जहां आप सरकारी अधिकारियों से काम कराना चाहते हैं वहां आप इलक्ट्रिसिटी बोर्ड पर अपनी राय लाद देना चाहते हैं। और जहां आप काम नहीं चाहते हैं वहां आप कह देते हैं कि यह तो स्वशासी संस्था है। चाहे गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का लजिस्लशन हो अथवा राज्य का लजिस्लशन हो, उनके मातहत यह सारे इलक्ट्रिसिटी बोर्ड बने हुए हैं। १९१० के ऐक्ट को चेंज करके १९५३ में इसका एक्ट बनाया गया। उसमें साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग इसके मेम्बर होंगे? एक मेम्बर तो ऐसा व्यक्ति होगा जो कार्मशियल मेटर्स की जानकारी रखता हो और एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी रखता हो? एक इलक्ट्रिसिटी का इंजीनियर होगा जिसको इस प्रकार का पूर्व अनुभव हो। ३—एक मेम्बर ऐसा होगा जो एकांउन्ट के कार्य को भली भांति जानता हो। एक और तो आप कहते हैं कि वह कि आटोनामस बाड़ी है और दूसरी तरफ आप उसमें मेम्बर्स को नामीनेट करते हैं। गवर्नमेंट के सचिव उसके एक्स-आफिशियो मेम्बर हैं। आपके आई० ए० एस० इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सदस्य हैं। एक ओर उनको स्वशासी संस्था बताते हैं दूसरी ओर सैक्टरियट लेविल पर उसके निर्णय लिये जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप उसको स्वशासी संस्था न बनायें। बनाइये लेकिन अगर घाटा होता है तो उसके कान ऐंठिये कि यह घाटा क्यों हुआ। आप उनको कम्प्लीट आटोनामी दे दीजिये, १००, २००, ५०० करोड़ रुपया दे दीजिये और फिर नुकसान फायदे का जिम्मेदार उनको बनाइये। लेजिस्लेचर की समिति आपसे एक बात कहती है और आप कहते हैं कि देखेंगे। आप प्रभावकारी कदम उठाने में हिचकिचाते क्यों हैं? आडिट रिपोर्ट में तो ऐतराज उठाये गये हैं, उनकी ओर आप देखते क्यों नहीं हैं। आडिट रिपोर्ट में तो साफ लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की फारमेशन ही गलत हुई है। परिषद् के चेयरमन का जो नामांकन होता है वह अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल है। उदाहरणार्थ मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस तरह शासन का प्रभाव बोर्ड पर रखा जाता है। समिति ने यह सिफारिश की है कि बोर्ड से शासकीय प्रभाव को दूर किया जाय। आप उसके सचिव को यहां से भेजते हैं और कहते हैं कि बोर्ड आटोनामस है। नीति निर्धारित करना आपका काम है। जिस उद्देश्य को लेकर यह बोर्ड बनाया गया था उसमें साफ लिखा है कि किन कारणों को लेकर इस बोर्ड की स्थापना हुई थी। उसमें दिया हुआ है कि कन्जूमर्स को इससे फसेलिटी दी जायगी आदि आदि। आप निर्धारित कर दीजिये कि ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना चलायी जायगी लेकिन जिम्मेदारी उनकी ठहराइये। माननीय राधा कृष्ण गोस्वामी भी यहां बैठे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वे कुछ कर नहीं पायेंगे। आप लिख भले ही देंगे लेकिन कर नहीं पायेंगे। क्योंकि आपने ५२२ करोड़ रुपये की विद्युतीकरण की योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार को प्रस्तुत की क्योंकि आपने सोचा था कि हमारी बिजली की आवश्यकता उससे पूरी होगी। लेकिन वर्किंग ग्रुप ने उसको काट कर ४५० कर दिया। ४५० के बाद घटाकर ३७५ करोड़ कर दिया गया। फिर घटाया तो ३६८ करोड़ ही कर दिया गया। अब देखा जाय कि इस ३६८ करोड़ और ५२२ करोड़ में कितना अन्तर है। अब आप ने स्वयं लिखा है कि हमारी यह योजना ३०.७२ करोड़ रुपये की है। आपने १२५ करोड़ रुपये की मांग की है कहा है कि इसमें हमारा कार्यक्रम हो जायगा। भारत सरकार के मंत्री डाक्टर के० एल० राव आये थे तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तो पर कपिटा बिजली

की खपत ही कम है। आप देने की क्षमता कहां रखते हैं? आपने अपनी पुस्तिका में लिखा है कि १९७३–७४ में जब १७० यूनिट होगी तब आप ९० यूनिट पर पहुंचेंगे। तो आप सोच लीजिये कि आप कितने पीछे हैं। किसानों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। ट्रांसफार्मर की ही बात ले लीजिये। गांव वाले तो वैसे ही डकतों से परेशान रहते हैं। आपका ट्रांसफार्मर गांव से दो चार फर्लांग पर या एक मील दूर टंगा है, उसके लिये आप कहते हैं कि किसान रखवाली करे। अगर वह चोरी चला गया तो आप बिजली तब तक नहीं देंगे जब तक ट्रांसफार्मर का रुपया किसान जमा न कर दे। तो यह तो सरकार की ड्यूटी है कि ट्रांसफार्मर की रक्षा करे। जब सरकार ही अपने ट्रांसफार्मर की रक्षा नहीं कर पाती तो जनता के पास कौन-सी पुलिस रखी है? तो इन सारी बातों को आप देखें और जनता की दिक्कतों को दूर करें। और बिजली बोर्ड की जैसी की उसकी मंशा है, उसके अनुरूप उसका कार्यक्रम बनायें। या तो कम्प्लीट आटोनामी दीजिये नहीं तो कम्प्लीट केन्द्रीयकरण करके उसे स्टेट गवर्नमेन्ट का एक डिपार्टमेंट बनाइये ताकि हाउस में उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन का मौका रहे।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बंशीधर पांडेय—

जो भाई धर्मवीर जी ने प्रस्ताव रखा है मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया है बल्कि हमसे ज्यादा तेजी में रियासत साहब ने और सही बात उन्होंने कही, इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस कटौती के प्रस्ताव को एक बार आप लोग जरूर मानिये तभी यह बोर्ड ठीक रहेगा और यह सरकार भी ठीक रहेगी वर्ना बिजली बोर्ड का रोना हमेशा बना रहेगा।

श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)—

माननीय, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, जैसा कि सब लोगों ने कहा, सरकार की आय का सबसे बड़ा श्रोत है परन्तु दुर्भाग्यवश इस आय के साधन में इतना टैक्स छिपाया जाता है....

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय, ये सेल्स टैक्स पर बोल रहे हैं या बिजली पर?

श्री अधिष्ठाता—

दोनों हैं।

श्री रामपाल सिंह—

आप पहले जानकारी कर लें, दोनों हैं। आप सब जानते हैं कि व्यापारी वर्ग दो किस्म के रजिस्टर रखता है—एक नम्बर १ और दूसरा नम्बर २। मुझे किसान की हैसियत से यह जानकारी हुई है कि लोगों का जब गेहूं बिकने गया और फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया ने वह गेहूं पूरा नहीं लिया तो उत्तर प्रदेश के ट्रेडर्स ने नम्बर २ के रजिस्टर में लिया और फूड कारपोरेशन आफ इन्डिया के लोगों को बेचा। इसके अलावा एक मन्डी कमेटी बनी हुई है मन्डी अधिनियम के अन्तर्गत। उस पर १०० रुपये के ऊपर ५० पैसे टैक्स वाजिब होता है। यह वे उस वजह से नहीं देना चाहते कि उन्हें सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। हजारों क्विंटल गल्ला रोज नम्बर २ में बिकता है। इसकी जानकारी आप इस आधार पर भी कर सकते हैं कि जो रेल वैगन्स से माल जाता है वह पूरा दिखाते हैं लेकिन जो ट्रक्स से जाता है उस को कम दिखाते हैं। हमारे कटौती के प्रस्तावक महोदय ने एक सुझाव

[श्री रामपाल सिंह]

रखा कि एक सेल कायम किया जाय जो यह देखे कि कितनी आय बढ़ सकती है, क्या सुझाव हो सकते हैं। मैं कटौती के प्रस्तावक महोदय को यह बतलाना चाहता हूं कि पहले से एक सेल इसमें मौजूद है मगर उसमें सुधार की जरूरत है। उसको क्रियाशील बनाने की जरूरत है। मुझे एक डी०एस०पी० साहब मिले और कहने लगे कि पहले तो मैं विजिलेंस में था। लेकिन अब इस सेल्स टैक्स के सेल में आ गया हूं। मगर इसमें अब कोई प्रगति नहीं मालूम होती है। मैंने उनसे कहा कि इसमें तो नम्बर २ का काम होता है। बहरहाल जो ट्रेडर्स हैं और जो उनके लड़के हैं या उन के परिवार के लड़के हैं, उन को खुद यह बात मालूम रहती है कि जितना भी वह कम से कम दिखाये उतना ही अच्छा है और वही बिजनेस कामयाब माना जाता है जिस में इस तरह से किया जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सेल में प्रगति लाने की जरूरत है और इसको क्रियाशील बनाने की जरूरत है।

विद्युत् के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहली अप्रैल को वजूद में आया। एक मजाकिया तौर पर पहली अप्रैल को जब यह वजूद में आया तो इस से यह आशा करना कि यह बहुत अच्छा और कोई क्रान्तिकारी काम करेगा, यह कन्ट्राडिक्टरी बात होगी। मान्यवर, मैं अपनी सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक अन्डरटेकिंग के अन्दर यह बिजली बोर्ड तीसरे नम्बर पर आती है। रेल और हिन्दुस्तान स्टील के बाद इस का नम्बर है। मैं आपको बताऊं कि अगर इसका फेल्योर होगा, तो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष में जो पब्लिक अन्डरटेकिंग हैं उन पर इसका असर पड़ेगा और इसका बड़ा दुःखद अन्जाम होगा। मैसूर के बोर्ड को छोड़कर देश के लेविल पर जितने बाकी प्रदेश हैं उन के अन्दर बिजली बोर्ड में सबसे अधिक घाटा उत्तर प्रदेश के बिजली बोर्ड को है। यह बड़ी अफसोसनाक बात है। उसके घाटे के कारण को अगर देखा जाय तो उसके विषय में यहां पर बहुत सी बातें कही गयीं। भ्रष्टाचार की बात भी कही गयी जो किसी हद तक सही मालूम होती है। जिलों में जाकर छानबीन करने की जरूरत है। मैं अपने इलाके की बात आपको बताऊं कि वहां पर ८ ट्यूबवेल फर्जी दिखाकर एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अपना मतलब सिद्ध कर लिया। वीरेन्द्र वर्मा जी के नोटिस में यह बात लायी गयी कि एक शख्स ने फर्जीतौर पर ८ ट्यूबवेल दिखाकर एक लाख रुपये की लाइन बना ली। एक केबिल लाइन से दूसरी केबिल लाइन बनाकर बीच में वह लाइन रोक दी। यह शिकायत करने पर उस पर यह एक्शन लिया गया कि एक सुपरवाइजर को मुअत्तिल कर दिया गया और उस एक्जीक्युटिव इन्जीनियर का वहां से ट्रांस्फर कर दिया। मैंने आपसे भी कई बार निवेदन किया और वक्तन फवक्तन कहता रहता हूं। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जब वीरेन्द्र वर्मा जी से कहा गया तो उन्होंने आर्डर किया कि फाइल हमारे सामने पुट अप की जाय। एस० एन० सिंह साहब के नोटिस में भी इस बात को लाया गया और कहा गया कि एक लाख रुपये की एक व्यक्ति ने लाइन खिचवाई जो फर्जी है तो उन्होंने कहा कि यह हमारा विभाग एक कमर्शियल विभाग है जिसमें ऐसा हो जाता है। एक लाख की बात कोई खास बात नहीं है। इस प्रकार लाखों रुपया खर्च करने से क्या विभाग को लाभ होगा? कुछ रुपया खर्च वैसे जरूर हो सकता है लेकिन इस प्रकार से लाखों रुपया वेस्ट करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसमें छोटे कर्मचारी को तो मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन ऊपर के आदमी को कुछ नहीं करा गया है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से सामने एक्जाम्पिल के रूप में यह रखना चाहता हूं।

इस के अलावा इस बात को देखा जाय कि हमारे यहां पर कैपिटा कन्जम्पशन ५३ है जब कि आल इन्डिया में हमारी पोजीशन कहां बैठती है। हमारे यहां सबसे ज्यादा रीवर हैं और पानी का साधन सबसे ज्यादा है लेकिन वीलेज एलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में हम सबसे नीचे हैं। मद्रास हमारे से आगे है। केराला और पंजाब और हरियाणा हम से आग हैं। हरियाणा ने तो अभी हाल में ही जितने भी वहां के देहात थे उन सबको एलेक्ट्रिफाइड कर दिया

है । हमारे सामने हरियाणा की मिसाल है और हमें भी उसको देखना चाहिये और वैसे ही यहां अमल करना चाहिये ।

मिनिमम गारन्टी की बात माननीय देशमुख जी ने उठायी । वह स्वयं मन्त्री रहे लेकिन इस गारन्टी को वह १२० से घटाकर ९० नहीं कर सके । जिस वक्त गवर्नर ऐड्रेस में वह चीज अ यी है और उसके अनुसार उसके कम करने की पूरे सदन ने मांग की, लेकिन किसी ने भी उस को कम करने की बात को मंजूर नहीं किया और वह आज तक १२० ही चली आती है । क्या वह इस वजह से बढ़ायी गयी है कि चोरी करने वाले जो लोग हैं वे जितनी चाहें चोरी करें, लेकिन मिनिमम गारन्टी दे दें । इस तरह से बढ़ाने से क्या लाभ है ? जो लोग मीटर बैक नहीं कराते वही सफर करते हैं लेकिन जो बचारे ईमानदार लोग हैं वह नुकसान में रहते हैं । इस-लिये यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि गवर्नर एड्रेस में वादा किया गया लेकिन इस मिनिमम गारन्टी को आज तक कम न किया गया ।

मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं केवल एक अन्तिम बात कहकर समाप्त करूंगा । एक एलान किया गया है कि एक अखिल भारतीय स्तर की एक्सपर्ट कमेटी बनेगी । हम तो नहीं समझते कि उससे कोई सुधार हो सकेगा । लेकिन अगर कमेटी बिठाने से कोई इलाज हो सकता है तो यह देखना है और उस के लिए हम मन्त्री जी को बधाई देते हैं । मेरी तो राय यह है कि यह बिजली बोर्ड बहुत बड़ क्षेत्र को कवर करता है इस-लिए इसको पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के लिए अलग-अलग कर के डिसइन्टीग्रेट किया जाय तो अच्छी तरह से कन्ट्रोल हो सकेगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय धर्मवीर जी ने प्रस्तुत किया है उस का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । वैसे तो इस में कई एक अनुदान हैं, लेकिन मैं केवल बिजली के विषय में ही कुछ कहूंगा, क्योंकि समय कम है । हमारा प्रदेश कृषि प्रदेश माना जाता है और दुर्भाग्य से बिहार को छोड़कर सारे देश में सब से अधिक निर्धन हैं और प्रति एकड़ उत्पादन भी हमारे यहां अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में कम है । मैं समझता हूं कि इसका विशेष कारण यह है कि सिंचाई की तरफ और कृषि की तरफ जितनी तवज्जह दी जानी चाहिये थी, वह पिछले ३-४ वर्ष से पूर्व के २० सालों में नहीं दी गयी । नतीजा उसका यह हुआ कि कृषि उत्पादन में अन्य प्रदेश हम से आगे बढ़ गये और हमारा प्रदेश ज्यों का त्यों रह गया । गरीबी को हम निकाल न सकें और खुशहाली हम ला न सके । हमारे प्रदेश की लगभग ७५ प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है और खेती सिंचाई पर, यदि सिंचाई को ओर तवज्जह न हो तो प्रदेश की पैदावार बढ़ाई ही कैसे जा सकती है ? इस किताब में जो बांटी गयी, गत वर्ष के जो आंकड़े दिये गये हैं प्रदेश में २४,६४४ नलकूपों को एनर्जाइज किया गया है और पिछले दो वर्षों में कुल ५० हजार नलकूपों को बिजली दी गयी और आजादी से अभी तक प्रदेशों में केवल १,२२,६२४ नलकूप एनर्जाइज किये गये, जब कि अन्य प्रदेशों में, मन्त्री जी ध्यान दें मुख्य मन्त्री जी और इस सरकार के अन्य मन्त्री और सदस्य भी ध्यान दें, उनकी जानकारी के लिए यह बताना उचित होगा कि आप के इस कृषि प्रधान प्रदेश में जिस का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, खेती योग्य क्षेत्र भी जिसका सब से अधिक है उस प्रदेश में केवल १,२२,६२४ नलकूप एनर्जाइज किये गये हैं, जब कि आन्ध्र में १,७७,७२० और हरियाना में ८५,०४६ नलकूप एनर्जाइज किये गये हैं ।

(इस समय ४ बजकर २८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये) ।

महाराष्ट्र में २,०६,९२८, मैसूर में १,२७,०९० और तामिल नाड में जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है, आधे के करीब है और जिसकी जनसंख्या भी हमारे से आधी है, ५,२०,९३१

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

ट्यूबवेल्स का विद्युतीकरण किया गया है । तो इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं और आपके पूर्व जो सरकारें थीं, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन सिंचाई के मामले में जो प्रगति और प्रदेशों ने की है, उनकी तुलना में आपने ५० प्रतिशत भी प्रगति नहीं की है।

जहां तक रेट्स का प्रश्न है कृषि के सम्बन्ध में, ७ दिसम्बर, १९६० की जब माननीय गुप्ता जी मुख्य मन्त्री बने तो फरवरी, १९६१ में उन्होंने पहली दफा प्रदेश में कृषि और उद्योग दोनों के चार्जेज को एक कर दिया अर्थात १२ नये पैसे कर दिया था । उससे पेश्तर कृषक गरीब समझा जाता था, उसकी आमदनी इंडस्ट्रीज के मुकाबले में कम समझी जाती थी, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, ताकि वह प्रदेश की पैदावार बढ़ा सके, उसको बिजली चार्जेज में सुविधा दी जाती थी लेकिन वे चार्जेज बढ़ा दिये गये और बढ़ते ही चले गये। अब १५ पैसे कर दिया गया। आज इस प्रदेश में, अन्य प्रदेशों के मुकाबले, १, २ या ३ बिहार वगैरह प्रदेशों को छोड़कर जो कृषि के लिए बिजली के चार्जेज हैं, वे सबसे अधिक हैं ।

जहां तक मिनिमम चार्जेज का प्रश्न है, उसकी ओर माननीय मन्त्री जी ध्यान को आकृष्ट करूं तो वे पायेंगे कि आपके प्रदेश में १२० रुपये वार्षिक प्रति हार्स पावर हैं जबकि आंध्र प्रदेश में ५० हार्स पावर, गुजरात में ३५ रुपये, हरियाने में ६० रुपया, महाराष्ट्र में ४० रुपया प्रति हार्स पावर, मैसूर में ४८ रुपया, उड़ीसा में २४ रुपया प्रति हार्स पावर, राजस्थान में ४२ रुपया और तामिल नाडु में केवल १७ १/२ रुपया वार्षिक है । आपके प्रदेश की पैदावार कम, आपके प्रदेश का किसान सबसे गरीब, लेकिन देता है सबसे अधिक न्यूनतम चार्जेज। अगर आप तुलना करें तो पायेंगे हैविियर दि इंडस्ट्री, लोअर दि चार्जेज। जितनी इंडस्ट्रीज बड़ी होती चली जायेंगी, उसके रेट्स प्रति यूनिट कम होते चले जायेंगे और गरीब काश्तकारों के रेट्स १५ पैसे ही रहेंगे। बड़ी इंडस्ट्रीज को १५ परसेन्ट रिबेट ३ वर्ष तक दिया जाता है लेकिन गरीब काश्तकार को कोई रिबेट नहीं दिया जाता है। और रात में यदि अपनी इंडस्ट्रीज चलाते हैं तो ३० परसेन्ट रिबेट दिया जाता लेकिन काश्तकार को जिस दिन से वह नलकूप लगाता है और जिस दिन तक उसका काम चलता है, एक प्रतिशत भी छूट आप उसे नहीं देते हैं। हिन्दुस्तान भर में आपका प्रदेश सबसे गरीब है लेकिन काटेज इंडस्ट्रीज या स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की ओर, जो ध्यान उत्तर प्रदेश की सरकार का होना चाहिए था, वह भी नहीं है। क्या यह प्रदेश जहां इतनी गरीबी है, बेकारी और बेरोजगारी इतनी अधिक है वहां की बेकारी और गरीबी को दूर करने और लोगों की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का कोई उपाय नहीं हो सकता है। इसके लिए आप छोटे-छोटे उद्योगों का प्रदेश में जाल बिछा दें।

छोटे उद्योगों का जाल तभी बिछ सकता है, मान्यवर, जब छोटी उद्योगों के लिए लोगों को कम रेट पर बिजली देंगे और अनेक सुविधायें प्रदान करेंगे। उनके माल की बिक्री के लिए समुचित सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा, सरकार ने कहां कि इस वर्ष वह प्रदेश में पचास हजार ट्यूबवेल एनर्जाईज करेंगे (२५ हजार ट्यूबवेल तो आपका पड़ोसी प्रदेश हरियाणा टार्गेट (लक्ष्य) रखता है।) जबकि आपका यह प्रदेश हरियाणा से नौ गुना बड़ा है। पचास हजार के टार्गेट से आप इस प्रदेश को कृषि उत्पादन में कभी आत्म-निर्भर नहीं कर सकते हैं। इसलिए टार्गेट को बढ़ाने की आवश्यकता है। चालू वर्ष में आप दो हजार गांवों को इलेक्ट्रिफाई करेंगे, उनका विद्युतीकरण करेंगे। आज तक कितना गांवों का हो चुका, केवल ७९५० का और अगर बिजली किसी गांव को छू भी गई एक आटे की चक्की, से उस हिसाब से सबको ले लिया जाय तो २०,७१९ गांव आते हैं। आपके प्रदेश में गांव हैं १,१२,६२४ तो जिस प्रदेश में इतने गांव हों और केवल बीस हजार के अभी तक आजादी के २४ सालों में इलैक्ट्रिफिकेशन्स किये हों तो आपने क्या कोई योजना

था 'टार्गेट' बनाया है, बाकी एक लाख गांव के लिए, जो रह जाते हैं? दो हजार गांव इस साल में उस हिसाब से कितने सालों तक उन गांवों को पूरा कर पायेंगे। मेरा ख्याल है कि आप पचास साल में भी उनको पूरा नहीं कर पायेंगे। जहां तक बिजली के कन्जम्पशन की बात है, आपके प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली कितनी खर्च होती है, प्रति व्यक्ति हिन्दुस्तान में क्या खर्च होती है और दूसरे प्रदेशों में प्रति व्यक्ति कितनी बिजली खर्च होती है। इससे किसी भी प्रदेश की बिजली के कन्जम्पशन से खुशहाली का अन्दाज लगाया जा सकता है। उनकी आर्थिक अवस्था कैसी है। हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति बिजली का खर्च पचास यूनिट से भी कम है। जब कि हिन्दुस्तान में ७८ यूनिट प्रति व्यक्ति से भी अधिक है। दूसरे प्रदेशों का खें तो पंजाब १६५ यूनिट खर्च करता है। महाराष्ट्र १३७, यूनिट प्रति व्यक्ति, वेस्ट बंगाल ११८ यूनिट, गुजरात ११६ यूनिट, और आप केवल पचास यूनिट प्रति व्यक्ति ही खर्च करते हैं। इसलिए आपको इस तरफ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिजली नहीं, आबपाशी नहीं, छोटे उद्योग नहीं, बड़े उद्योग नहीं, ये चीजें नहीं हैं तो आपके प्रदेश का विकास भी नहीं है। मान्यवर, मैंने बताया कि १, २२ ६२४ ट्यूबवेल इस प्रदेश में एनर्जाइज हो चुके हैं लेकिन कितनी बिजली उन्हें मिलती है? मेरा जातीय तजर्बा है कि १२, १४, या १६ घंटों से ज्यादा गांव के किसानों को बिजली नहीं पहुंचती है। उन्होंने अपने लोन लगाये अपने लोन गहाने के लिये, लेकिन बिजली न मिलने की वजह से क्या वे लोन गहा सके? बिजली नहीं पहुंच सकी और सारे लोन खलिहानों में बरबाद हो गये, सारा गेहूं बरबाद हो गया। देश और प्रदेश को इससे नकसान हुआ। ट्रिपस आते हैं, शट-डाउन्स होत है और आपके विभाग के जरिये से रोस्टरिंग बिजली का होता है। यह शहरों में नहीं बल्कि गांवों की लाइनों पर होता है, ट्यूब वैल्स की लाइन्स पर होता है। मान्यवर, मैं तो यह भी नहीं समझा कि इन्डस्ट्रीज जैसे कि ये मकान हैं, मकानों के अंदर लगी है रात में भी और दिनमें चलसकती हैं, चाहे बरसात हो तब भी चल सकती हैं, आंधी और तूफान में भी चल सकती है क्योंकि वह शेड के अन्दर रहती है। लेकिन गांवों में बिजली के कनेक्शन रात्री के लिये दिये जाते हैं। ट्यूबवैल का पानी चूहे के बिल में जा रहा है मेड़ टूटी होने के कारण खराब हो रहा है, न कहीं रोशनी है, सांप का भी डर है। क्यों नहीं आप ऐसी व्वयस्था करें, कि किसानों को बिजली दिन में मिले और इन्डस्ट्री वालों को रात में मिले। अगर इस प्रकार की व्वरस्था करेंगे, चूंकि इस प्रदेश में ७५ प्रतिशत किसान हैं तो सही समाजवाद ला सकेंगे जिसका व्रत आपने लिया है। श्रीमन्, पिछले साल ७५० से ज्यादा ट्यूबवेल हमारे प्रदेश में सरकार की ओर से बनाये गये। लेकिन एनर्जाइज हुये केवल ४७५ ही एक सरकारी ट्यूबवेल पर सकड़ों किसान लगे रहते हैं। अगर सरकारी ट्यूबवेल के एनरजाइजेशन में ढिलाई होती है तो इससे ज्यादा और क्या लापरवाही हो सकती है? मैं विद्युत् मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी राजकीय नलकूप स्थापित किये जायं, ज्यों ही वह कम्प्लीट हो जायं, टौप प्रायरटी देकर उन्हें जल्दी से जल्दी एनर्जाइज कराया जाय।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में ट्रांसफार्मर्स की चोरी होती है। जाहिर है कि चोरी कोई करता है किन्तु दंड दिया जाता है उस निर्धन, बेबस और लाचार किसान को। उसका क्या कसूर है? कार्मशियल डिपार्टमेन्ट आपका है। और इस कार्मशियल डिपार्टमेन्ट में कोई चोरी करे और दन्ड किसी को दिया जाय, यह कहां का न्याय है? अगर मुख्य मंत्री जी के कमरे से कोई घड़ी चोरी हो जाय, आपके यहां से, स्पीकर साहब के कमरे से या विद्युत् मंत्री जी के कमरे से कोई घड़ी या मेज या कुर्सी चोरी हो जाय तो क्या उन्हें दण्ड भुगतना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। लकिन क्यों उस बेवस किसान को दण्ड दिया जाता है। यह कहां का न्याय है? यह कार्मशियल डिपार्टमेन्ट है। जितना खर्चा होता है, काश्तकार से लिया जाता है और उससे भी अधिक न्यूनतम गारन्टी के आधार पर काश्तकार से चार्ज किया जाता है। सारे हिन्दुस्तान में सबसे अधिक न्यूनतम गारन्टी आपके यहां है और सबसे अधिक प्रति यूनिट चार्ज आपके यहां है। तो, जो कोई चोरी करता है तो आप चोर को पकड़िये।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

मान्यवर, हिन्डैलको को इस प्रदेश में करीब-करीब दो नये पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दी गयी। प्रतिवर्ष इसका सदन में सवाल उठता है कि इस रेट पर क्यों दी गयी। जो खर्चा होता है बिजली पैदा करने पर, उससे भी कम दाम पर ही दी जाय और ऐसे अमीर आदमी को दी जाय औद्योगीकरण के नाम पर, मैं उसको उचित नहीं मानता। करोड़ों रुपये का नुकसान प्रति-वर्ष विभाग बरदाश्त करे और एक बड़े आदमी को रियायत दी जाय, यह कहां तक उचित है ? सन् ६९ में जब आप लोगों की सरकार थी तब भी साढ़े चार पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से उसी हिन्डैलको को ५० मेंगावाट अतिरिक्त बिजली देने की व्यवस्था की जा रही थी। यहां तो वैसे ही बिजली नहीं है, काश्तकार का रोस्टरिंग होता है, कल-कारखानों को बिजली नहीं है और जब साढ़े सात पैसा प्रति यूनिट हमारा उत्पादन व्यय होता है तब साढ़े चार पैसे पर किसी को बिजली देना कहां तक उचित है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

मान्यवर, लाइन लासेंज भी इस प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। और देश में सबसे ज्यादा लाइन लासेंज है। कहा जाता है कि बिजली का फैलाव हो रहा है। १ लाख २२ हजार ६२४ ट्यूबवेल हमारे यहां हैं, ५ लाख से ज्यादा तामिलनाड में हैं, महाराष्ट्र में २ लाख से ऊपर हैं, आन्ध्र में १ लाख ७७ हजार हैं, लेकिन वहां के लाइन लासेज कम हैं। तो लाइन लासेज की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं एक सुझाव और दूंगा। आपके वहां सब-स्टेशन्स हैं और बड़े-बड़े कनेक्शन्स भी दिये जाते हैं। तो १०० हार्स पावर या उससे अधिक के कनेक्शन्स के लिये मीटर्स सब-स्टेशन पर लगने चाहिये जिससे कि उनका सही चेकिंग हो सके। चोरी को बचाने का यह एक अच्छा तरीका है।

माननीय सदस्य, श्री जैतली साहब ने कहा कि मेरठ में गायत्री भवन अधिक किराये पर दिया गया। म्यूनिसिपल बोर्ड ने जो असेसमेन्ट किया है उससे १०० रु० कम किराये पर दिया हुआ है। मान्यवर, मैं आपको यह भी बता दूं कि उसे कृषि विभाग भी चाहता था, केन्द्र के विभाग भी चाहते थे और दूसरे विभाग भी चाहते थे, लेकिन चौधरी चरणसिंह, जब मुख्य मंत्री थे, ने कहा कि वह मकान सरकार को नहीं देंगे। उनकी गैर हाजिरी में उस म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा असेस किये गये किराये से १०० रु० कम किराये पर लिया गया। अगर कोई नाजायज बात दिखायी देती है तो मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस मामले को सी० बी० आई० को जांच के लिये दे दें। हम इसके लिये भी तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जांच विजीलैंस विभाग द्वारा करा लें ताकि असलियत मालूम हो जाय।

यह कहा गया कि चेयरमैन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मुजफ्फरनगर पहुंचे। अगर वे चुनाव के संबंध में मुजफ्फरनगर पहुंचे तो मेरी मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना है कि पुलिस विभाग उनके पास है वे इस केस की भी जांच करा लें। अगर चेयरमैन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चुनाव के लिये मुजफ्फरनगर पहुंचे तो आप सी० आई० डी० के द्वारा जांच करायें। अगर उनकी खता है तो उनको भी सजा दी जा सकती है।

एक सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने आपका बहुत सा समय लिया और कुछ सुझाव माननीय विद्युत मन्त्री जी को दिये। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में बिजली का विस्तार ठीक ढंग से नहीं हो रहा है पंजाब और हरियाणा हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहां दिख-वायें। आप पहले बिजली की लाइन डालें और तब कनक्शन दें। ऐसा करने से मटीरियल कम लगेगा, ट्रांसफार्मर्स कम लगेंगे और लाइन लासेज भी कम होंगे। इसके अतिरिक्त काश्त-कारों को अधिक सुविधा मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर आप विचार करेंगे और जो सुझाव दिये ह उन पर भी आप ध्यान देंगे। ये शब्द कह कर जो कटौती का प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी––

मान्यवर, मुझे भी समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

अभी तो यह विवाद कल भी है ।

श्री कल्पनाथ सिंह––

मान्यवर, वह भी बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष––

आचार्य जी के भाषण के उपरान्त ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)––

इस अनुदान के सम्बन्ध में, जिस पर कि आज सदन विचार कर रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनुदान राज्य की आय की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है । सन् १९६८–६९ में हमारे राज्य की आय सेल्स टैक्स के अधीन ३१ प्रतिशत होती थी और आज वह ४२ प्रतिशत हो गयी है सारी आय की । सन् १९४८–४९ में बिक्री-कर ४,२३,००,००० रु० वसूल होता था और आज वह लगभग ४८–४९ करोड़ रुपये के हो गयी है और अब वह और बढ़कर ५०–५२ करोड़ हो गयी है । यह सारा सदन इस बात को जानता है कि सबा छः एकड़ जमीन तक लगान की छूट दी गयी । वह समय इस प्रदेश के इतिहास में जरूर आने वाला है जब लगान या मालगुजारी से जो आय होती थी वह कदाचित नगण्य रह जायगी । इससे आय की बहुत बड़े नुकसान की संभावना है और उसके बाद में इस राज्य में नये सिरे से विचार करना पड़ेगा कि बिक्री-कर हमारी आय का सबसे बड़ा क्षेत्र है । इस पर सदन को विचार करने के लिये भी वित्त मंत्री जी ने कहा था । आज हमारे एरिअर की रकम ३२ करोड़ है । यह रकम धीरे-धीरे ८ करोड़ से १३ करोड़ हुई, १६ करोड़ हुई, १८ करोड़ हुई और अब ३२ करोड़ हो गई है । यही नहीं मुझे यह भी मालूम है कि १९६०–६१ में हमारे यहां प्रति व्यक्ति सेल्स-टैक्स १.७७ रुपया था जो कि सारे देश में सबसे कम था । १९६७–६८ में यह ४.२३ पैसे था । वह भी केवल आसाम और काश्मीर को छोड़कर सारे देश में सबसे कम था और आज भी जो हमारे पास फिगर्स हैं वह दो या तीन स्टेट्स को छोड़कर सारे देश में हमारा सेल्सटैक्स सबसे कम है । मान्यवर, मैं महाराष्ट्र, तामिलनाडू, गुजरात या वेस्ट बंगाल से मुकाबला नहीं करता हूं क्योंकि वहां बहुत ज्यादा औद्योगीकरण है । उनसे हमारा मुकाबला नहीं है लेकिन जिससे हमारा मुकाबला हो सकता है वह उड़ीसा, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि हैं । वहां पर भी सेल्स टैक्स का इन्डीडेन्स अधिक है । मैं कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूं । जिन पर माननीय वित्त मन्त्री जी और सदन को विचार करना पड़ेगा । मान्यवर, दो स्थानों पर हमारी बहुत कठिनाई है । वह स्थान गाजियबाद और दिल्ली है । गाजियाबाद में हमारी बहुत इन्डस्ट्रियल युनिट्स हैं, आज मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि जितनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स गाजियाबाद में हैं उनमें बहुत सी ऐसी हैं जिनका जो माल पैदा किया जाता है वह दिल्ली में बिकता है चाहे वह कागज पर हो या हकीकत हो । इसका कारण यह है कि दिल्ली में ५ प्रतिशत से ऊपर जिन चीजों पर सेल्स टैक्स हमारे प्रदेश में है उस पर वह निश्चित रूप से २ प्रतिशित कम कर देते हैं और जितने भी सेल्स-टक्स हैं उस पर एक प्रतिशत कम कर देते हैं । जो हमार यहां सेल्स टैक्स हैं वह दिल्ली में दो और एक प्रतिशत कम है ।

इस सरकार ने बार-बार इस सम्बन्ध में चर्चा की है, दिल्ली से लिखा पढ़ी की है लेकिन दिल्ली वाले इसको स्वीकार नहीं करते हैं । उनका कहना है कि दिल्ली उत्तर भारत में सबसे बड़ा औद्योगिक सेन्टर है तो इस कारण वहां सेल्स टक्स कम होना चाहिये । हमारे वित्त मंत्री जी बड़े उत्साही साथियों में हैं और हमार यहां वित्त विभाग बहुत

[श्री लक्ष्मी रमण आचार्य]

अच्छा है। यदि इसके लिये कुछ नहीं किया जावेगा तो हमारी आय बढ़ नहीं पायेगी। यह सेल्स टैक्स यूनीफार्म किया जाना चाहिये। मेरे विचार से राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाना, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक सेल्स टैक्स होना चाहिये। इसके लिये केन्द्रीय सरकार से भी बात की जानी चाहिये। केन्द्रीय सरकार इस पर विचार कर चकी है और उन्होंने यह निर्णय दिया था कि १ प्रतिशत दिल्ली में कम रहेगा। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये और निश्चित रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा। ऐसा न होने से जैसा कि मैंने कहा था कि गाजियाबाद में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन सेन्टर्स हैं लेकिन उनकी बिक्री सेल्स टैक्स कम होने के कारण दिल्ली में दिखलाई जाती है और इससे इस स्टेट का नुकसान होता है। इसके बारे में कुछ चेक पोस्ट्स बढ़ाई जायं और दूसरे उपाय किये जायं।

मान्यवर, एक चीज और है। ३२ करोड़ रुपये की बकाया है। इसमें से १६-१७ करोड़ रुपया ऐसा है जिसको हम वसूल नहीं कर सकते, जो कि स्टैन्ड है चाहे हाई कोर्ट से या जज रिवीजन से। लेकिन यह १६-१७ करोड़ की रकम निरन्तर बढ़ती जाती है, उस संबंध में राज्य को चिन्ता करनी पड़ेगी। एक बार इस राज्य में विचार किया गया था और कदाचित इस माननीय सदन को फिर विचार करना पड़े कि सेल्स टैक्स को वसूल करने की एजेंसी सेल्स टैक्स विभाग की होनी चाहिये। एक एजेंसी जो है वह मिश्रित एजेंसी है। रेवेन्यू विभाग से रेवेन्य सर्टीफिकेट्स इश्यू होते हैं। सर्टीफिकेट आफ रियलाइजेशन सेल्स टैक्स का भी होता है, इंकम टैक्स का भी होता, और जितने प्रकार के रेवेन्यू ड्यूज हैं उन सबका होता है जिनको कि एक एजेंसी केंद्रीय रूप में जिलों में वसूल करती है और इसका परिणाम यह है कि जितनी वसूलयाबी होनी चाहिये, वह नहीं हो पाती। मैं निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री जी इस पर विचार करें कि सेल्स टैक्स विभाग की हो अपनी एक एजेंसी हो। जहां तक मुझे स्मरण है, एक बार सोचा भी गया था कि परीक्षण के तौर पर प्रारम्भ किया जाय लेकिन वह परीक्षण कभी प्रारम्भ नहीं हुआ।

एक और चीज का जिक्र करना चाहता हूं। कुछ हमारा विभागीय तालमेल भी नहीं है। एक बार यह सोचा गया था कि कुछ डिप्टी कलेक्टर्स पी०सी०एस० आफिसर्स में से लिये जायं। दो या डेढ वर्ष तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसको पूरे तौर पर डिप्टी कलेक्टर्स नहीं मिल पाये और उसका परिणाम यह है कि जो वसूलयाबी का हिस्सा है वह पूरा नहीं हो पाता। आज यदि मैं निवेदन करूं तो अनुचित न होगा कि कुछ ऐसा तालमेल बनाना होगा कि कुछ डिप्टी कलेक्टर्स इस कार्य के लिये मुकर्रर किये जाये और यह वसूलयाबी का कार्य पूरा हो।

इस सिलसिले में एकबात और आवश्यक है कि क्या इस प्रदेश में चैक पोस्ट्स नहीं बनेंगी। ("लाल बत्ती होने पर") तीन चार मिनट और लूंगा। चैक पोस्ट्स की आवश्यकता इस प्रदेश में बहुत पुरानी है। इस संबंध में कभी विचार किया गया था और निर्णय भी लिया गया था और मुझे स्मरण है कि इसके लिये कुछ जीप्स भी मंगायी गयी थीं जिससे कि चैक पोस्ट्स की स्थापना हो सके। श्रीमन्, मैं इतना निश्चय के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में इवेजन बहुत बढ़ा है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है यह जानकर कि हमारे यहां कुछ दलीय रूप से या राजनैतिक रूप से इस प्रकार के संगठन हैं जो कि टैक्स इवेजन के लिये बने हुए हैं और ये संगठन टैक्स इवेजन के बहुत से मार्ग निकाला करते हैं। कभी मीटिंग होगी तो कभी बहुत बड़ा स्वागत समारोह होगा लेकिन अन्त में केवल एक मंतव्य होता है कि सेल्स टेक्स कैसे कम हो और उसका इवेजन कैसे हो। अब समय आ गया है कि टैक्स इवेजन को बन्द करने के लिये चैक पोस्ट्स की तुरन्त स्थापना की जाय।

एक निवेदन और करना चाहता हूं जिसका शायद माननीय सदन के सदस्यों को ज्ञान न हो। सेल्स टैक्स जो कि प्रदेश की आय का साधन है उसकी वसूलयाबी का कार्यालय ऐसे भवनों में है जहां कोई साधारण तौर पर रहना पसन्द न करेगा। यह जानकर माननीय सदस्य शायद आश्चर्यचकित हों लेकिन यह सही है। एक दो तो ऐसे कार्यालय देखे हैं जिनके

कि शौच गृह में भी कार्यालय रहे है। ऐसी ज्यादातर बिल्डिंग हैं जो कि कभी भी गिर सकती हैं, जिनकी छतें गिर गयी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये कोई स्कीम बनायी जाय जिससे कि कार्यालयों की दशा सुधर सके क्योंकि सेल्स टैक्स हमारी आय का सबसे बड़ा साधन है। यह जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उनके स्थान पर आपके डिपार्टमेंट की कुछ बिल्डिंग्स बनीं उसके संबंध में यह सरकार और यह डिपार्टमेंट कोई नीति निर्धारित करे कि एक वर्ष में इतनी बिल्डिंग्स हमें बनानी हैं, तो कदाचित् इससे कुछ लाभ हो। इस पर मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि कई कमेटीज की रिपोर्ट हुई लेकिन आज मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। यहां टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी भी बनी थी, उसकी भी दो रिपोर्टस हैं लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर सकेंगे कि आसाम और उड़ीसा में यह जो सेल्स टैक्स वसूल करने वाली एजेंसी हैं, उसके पास स्टाफ अधिक है ? अधिक इस माने में कि हमारे यहां जो स्टाफ है उसका प्रतिशत, उसका रेशियो कम है, इसका यह मतलब नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा रेशियो ऐसा है जो unconfirmed सर्विसेज का पड़ा हुआ है। जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने कुछ कार्य किया है यह प्रसन्नता की बात है और वह आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे दुःख है कि मैं विद्युत के संबंध में ज्यादा नहीं कह सकूंगा लेकिन मैं अपने माननीय वीरेंद्र वर्मा जी से एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं। सारा सदन इस बात से परिचित है कि सरकार की ओर से या उसके अधिकारियों की ओर से जो कुछ भी होता है वह बहुत कम है लेकिन विद्युत की निरन्तर चोरी होती है, और जिसकी चोरी के लिये कोई विशेष विशेषज्ञ चोरी करने के लिये मार्ग बनाते हैं, उसके संबंध में सारा सदन क्या किसी दिन बैठ कर विचार कर सकेगा ? मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उपाध्यक्ष जी, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से। मैंने सुना है कि कोई त्रिपाठी जी राज्यपाल होने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो काल्पनिक होगा।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जनसंघ के नेता भी श्री त्रिपाठी जी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जनसंघ के नेता श्री त्रिपाठी जी हैं या सरकारी दल के नेता हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर कल ढाई बजे तक बहस जारी रहेगी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, सारे सदन से मेरी रिक्वेस्ट है और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि आज प्रारम्भ में ही मैंने निवेदन किया था कि सारे प्रांत में बाढ़ आयी हुयी है और पहले भी यह परम्परा रही है कि बाढ़ के दिनों में हमलोग अपने क्षेत्र में जाते रहे हैं और अपने क्षेत्र की हालत आकर सदन को बताते रहे हैं। इसलिये हम सभी विधायक चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वहां की हालत देखें और वहां की जनता की जो भी सहायता कर सकें, करें। क्योंकि यह सरकार उनकी कुछ भी सहायता करने में असफल हुई है। जहां बाढ़ आयी है वहां न नावें ही गयी हैं और न कोई और सामग्री ही सरकार

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

पहुंचा सकी है । इसलिये हम लोग अपने क्षेत्र में जाकर देखना चाहते हैं कि वहां क्या क्या क्षति हुई है । मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस संबंध में अपना कुछ स्टेटमेंट दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुख्य मंत्री जी ने तो पहले ही कहा है कि बजट समाप्त होने पर सभी माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जाकर सहायता संबंधी कार्य करें ।

बाढ़ के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

नियम ५६ की एक सूचना आयी है कि श्री हरिवंश सहाय व श्री बांके लाल की तरफ से देवरिया जिले में आयी बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में । उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है । इसके लिये समय बाद में बतलाया जायगा ।

माननीय नेता सदन ने तो यह पिछले दिन ही कहा था कि वे तो चाहते हैं कि एक दिन ऐसा हो कि सम्पूर्ण प्रदेश में जो बाढ़ आयी हुई है उस पर वक्तव्य भी हो जाय और फिर उस पर आप चर्चा करें ।

तो सब को मिलाकर कोई दिन उसके लिये रख दिया जायेगा । २५ तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी जिसमें इस पर निर्णय हो जायेगा ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

श्री हरिवंश सहाय की एक सूचना है ग्राम मढ़हर, थाना बनकटा (देवरिया) के श्री सूरज तिवारी के घर भीषण डकैती । यह अस्वीकार किया गया है ।

एक श्री इन्द्रलाल की है नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में अराजक तत्व द्वारा आतंक । इसे केवल वक्तव्य के लिये २७-८-७१ को जो वक्तव्य होगा उसमें सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

एक श्री गोविन्द सिंह बिष्ट का है देहरादून टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी में अतिवृष्टि एव बाढ़ के संबंध में । यह बाढ़ संबंधित वक्तव्य में सम्मिलित किया जायेगा ।

एक सर्वश्री रामसागर तथा कल्याण सिंह का है उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक छात्र महासंघ के छात्रों द्वारा हड़ताल के बारे में । यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है 27-8-71 के लिये ।

एक श्री शिवकुमार पांडेय का है, यह बाढ़ के संबंध में जब वक्तव्य होगा तो उसमें सम्मिलित कर लिया जायेगा ।

एक सर्वश्री सुरेंद्र विक्रम, बंशीधर पांडेय और रामकुंवर सिंह का है समाज कल्याण विभाग की एक महिला के साथ दुव्यवहार एवं अत्याचार के संबंध में । यह केवल वक्तव्य के लिये २६-८-७१ के लिये स्वीकार हुआ है ।

एक सर्वश्री डी० पी० बोरा तथा इन्द्रलाल का है थाना चौक (लखनऊ) के श्री इन्द्र पाल सिंह, हेड मोहर्रिर द्वारा श्री नन्हा तथा उसकी बहन को बुरी तरह मारा जाना आदि के संबंध में । यह वक्तव्य के लिये स्वीकार हुआ है, २४-८-७१ के लिये ।

शेष सभी अस्वीकार किये गये हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

मैंने एक कानपुर में मजदूरों की हड़ताल के संबंध में दिया है, वहां अब भी हड़ताल चल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह अस्वीकृत हो गया है, आपने उस पर प्रश्न भी किया है ।

श्री इस्लाम अहमद, आई० जी० को राष्ट्रपति पदक दिये जाने के संबंध में जानकारी

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)---

अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक दिये गये हैं । यह राष्ट्रपति पदक माननीय मुख्य मंत्री की संस्तुति पर दिये जाते हैं । इनमें एक पदक श्री इस्लाम अहमद, आई० जी० को मिला है ....

श्री उपाध्यक्ष---

आप लिख कर दें ।

श्री मोतीलाल देहलवी---

वह आ नहीं पायेगा । आप मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से नहीं । अगर आप चाहते हैं कि उसका उत्तर भी आपको मिले तो आप नियमानुसार लिख कर दें । अगर आप इस तरह से बोलेंगे तो स्वीकार नहीं करूंगा । अगर आप लिख कर दे देंगे तो वक्तव्य के लिये स्वीकार हो जायेगा। (व्यवधान)

थाना कलान, जिला शाहजहांपुर के दरोगा, श्री फेनीसिंह द्वारा श्री झब्बूसिंह की हत्या किये जाने के संबंध में वक्तव्य

श्री शिवकुमार (जिला शाहजहांपुर)---

मान्यवर, यह जो नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य होने वाला है, इस संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है ।

जो यह मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य है, इसके बारे में मुझे यह कहना है कि कई सूचनायें हैं और कई अलग अलग तारीखों को दी गई हैं, इसलिये उनका एक साथ लिया जाना नियमानुसार नहीं है । इसमें एक बात और है उसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनसे मैं अपने को सम्बद्ध नहीं करना चाहता हूं । मिसाल के तौर पर इसमें यह भी लिखा है.....

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो अभी वक्तव्य हुआ नहीं है । एक प्रश्न था मैं तो उसी का अभी जवाब दे रहा था । वक्तव्य हो जाये, फिर आप अपनी कोई आपत्ति उठा सकते हैं । जो आपने कहा है कि वक्तव्य आ ही नहीं सकता है, इसको तो सरकार ने स्वयं ही स्वीकर किया है और इसलिये वह आ रहा है । एक ही थाने के एक ही थाना इंचार्ज के बारे में यह है ।

श्री शिवकुमार —

एक थानेदार नहीं है....

(व्यवधान)

जहां तक सरपंच को मारे जाने की बात है, हम उसमें बिलकुल प्रस्ताव से सहमत हैं, यह गलत काम हुआ है, इसमें जो भी कार्यवाही आवश्यक हो, वह सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

हम आपकी बात से सहमत हैं ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी के पी० ए० एक सवाल को मुझ से वापस कराने की कोशिश कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं । उसमें मेरे भी दस्तखत हैं और मैनेजर सिंह जी के भी दस्तखत हैं दो तीन मेम्बरों के दस्तखत हैं । तो वह कौन से गम्भीर सवाल हैं जिसे अध्यक्ष महोदय के पी० ए० वापस कराने की कोशिश करते घूम रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे तो पता नहीं है, आप दस्तखत करते हैं आपको पता होना चाहिये कि उसमें क्या है । इस बारे में मेरा अधिक कहना तो ठीक नहीं होगा कि आपको कैसे पता नहीं है। आप तो बड़े उत्तरदायी व्यक्ति हैं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मेरा नाम श्री सुखपाल पांडेय ने लिया है, इसलिये मैं भी कहना चाहता हूं । अध्यक्ष जी के पी०ए० तो नहीं, उनकी तरफ से हमारे पास उनका चपरासी कामता प्रसाद आया था एक कागज लेकर कि इस सवाल को आप वापस ले लीजिये और इसके लिये इस पर दस्तखत कर दीजिये । मैंने तो उस पर अध्यक्ष जी को लिखकर पूछा है और उनकी जानकारी में कर दिया है । पांडेय जी की शिकायत सही है, आप उसकी पूरी जानकारी करायें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मेरे विभाग के यदि किसी कर्मचारी ने किया है तो गलत है, लेकिन मैं उसे देखूंगा ।

गृह उप मंत्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

उक्त सदस्यों द्वारा शासन को तीन नोटिसें प्राप्त हुईं जिनमें स्थानीय पुलिस के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप लगाये गये ।

१—थाना कलान, जिला शाहजहांपुर के सब-इन्स्पेक्टर, श्री फेनी सिंह द्वारा पुलिस सरपंच, श्री झब्बू सिंह को गोली मार कर हत्या करना ।

२—सब-इन्स्पेक्टर, श्री फेनी सिंह व कानिस्टेबिल, श्री नन्द किशोर द्वारा नद्दू तेली के ५ माह के बालक को उठाया जाना ।

३—थाना जैतीपुर की पुलिस के द्वारा बदमाशों व गुंडों को बढ़ावा देना ।

पहले आरोप के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक १०-८-७१ को लगभग ६ बजे शाम थाना कलान, जिला शाहजहांपुर के सब-इन्सपेक्टर, श्री फेनी सिंह ने इस आशय की रिपोर्ट दी कि चोरी के मामले से संबंधित एक अभियुक्त की तलाश में तथा श्री झब्बू सिंह की निलम्बित लाइसेंसी बन्दूक को जब्त करने के लिये कलान के बाजार गये थे । वहां श्री झब्बू-

सिंह ने अपने निजी बाजार में किसी को पकड़ने से पुलिस को रोका और बन्दूक मांगे जाने पर अपना अपमान समझ कर कहासुनी की और अपने लड़के व भतीजे को पुलिस को सबक सिखाने के लिये उत्तेजित किया । इस पर सब लोगों ने मिलकर पुलिस पर आक्रमण कर दिया तब उन्होंने (फेनी सिंह ने) घायल स्थिति में उठते उठते अपनी बन्दूक से गोली चलाई जो श्री झब्बू सिंह के पैर में लगी, अन्य लोग भाग गये तथा घायल श्री झब्बू सिंह को जीप में थाने पर लाया गया ।

इस सूचना पर धारा १४७, १४८, १४९, ३०७, ३२३, ३३२, ३५३, १०९ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा श्री झब्बू सिंह तथा अन्य के विरुद्ध दर्ज किया गया । श्री झब्बू सिंह को कलान से सदर अस्पताल, शाहजहांपुर लाकर दाखिल किया गया था जहां उसी रात में उनकी मृत्यु हो गई ।

दिनांक ११-८-७१ की प्रातः इस घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को मिली । चूंकि पुलिस की गोली से घायल श्री झब्बूसिंह की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई इसलिये एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने का आदेश दिया गया । दिनांक १२-९-७१ को पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट कलान पहुंचे तथा ग्राम वासियों और श्री झब्बू सिंह के संबंधियों से पूछ-तांछ की और रिपोर्ट लिखाने की सलाह दी । हवाई फायर करके जनता को आतंकित करते हुए श्री झब्बू सिंह को घसिटवाकर जीप में भर कर लाये जाने, रास्ते में उनकी दूसरी टांग डंडे से तोड़ दिये जाने, उनकी मूंछ उखाड़ लिये जाने या उनके मुंह में पेशाब करे जाने आदि की शिकायत उस समय तक जिलाधिकारियों से नहीं की गई । यह अवश्य सही है कि घायल श्री झब्बू सिंह को शाहजहांपुर लाते हुए बीच में बदायूं या बरेली के किसी अस्पताल में उनका उपचार नहीं कराया गया । इस उपेक्षा के लिये सब-इन्सपेक्टर, श्री फेनी सिंह को निलम्बित करके पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है । दिनांक १३-८-७१ को श्री तोड़न सिंह, पुत्र गंगा सिंह ने सब-इन्सपेक्टर, श्री फेनी सिंह तथा अन्य पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध एक रिपोर्ट दी जिस पर धारा १४७/१४८/१४९/४२६/३०७ भारतीय दंड विधान का का मुकदमा दर्ज किया गया है । पूरे मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जा रही है तथा जांच के पश्चात् तथ्यों का पता चल सकेगा । घटना स्थल का खून लिया गया है ।

स० इं० फेनी सिंह, और छः सिपाहियों को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया गया । इस घटना से जनता में अब असंतोष व रोष व्याप्त नहीं प्रतीत होता है ।

दूसरा आरोप जो दिनांक ८-८-७१ को श्री जद्दू तेली के ५ माह के बालक को सब इन्स्पेक्टर, श्री फेनी सिंह और नन्द किशोर सिंह सिपाही द्वारा उठाये जाने के संबंध में है, दिनांक १२-८-७१ को दोपहर तक किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी । दिनांक १२-८-७१ को लगभग 4 बजे शाम श्री जद्दू तेली मय अपनी बीबी और बालक के थाने पर उपस्थित होकर एक तजकरा दर्ज कराया जिसमें बालक का गायब होना और मिल जाना दोनों बातें अंकित हैं । उस समय पूछ-तांछ करने पर श्री जद्दू तेली अथवा उनकी पत्नी ने किसी के विरुद्ध बालक उठा ले जाने का आरोप नहीं लगाया । फिर भी इस सूचना पर मुकदमा कायम न करने के लिये थानाध्यक्ष को थाने के चार्ज से हटा कर लाइन हाजिर कर दिया गया है तथा सिपाही, नन्द किशोर को भी थाने से हटा दिया गया । सर्किल अफसर को आदेश दिया गया है कि, मुकदमा कायम करके इसकी विवेचना स्वयं करें । नन्द किशोर और उन की बीबी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

थानाध्यक्ष, जैतीपुर, श्री दीक्षित के विरुद्ध चरण सिंह नामक बदमाश तथा अन्य बदमाशों को बढ़ावा व छूट देने आदि आरोपों के संबंध में सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराई जा रही है । सब-इन्स्पेक्टर, श्री दीक्षित, जिला शाहजहांपुर में १२-२-१९६४ से तनात हैं। थानाध्यक्ष,

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

जैतीपुर के पद पर वह २०-८-१९७० से हैं तथा इसके पूर्व दिनांक २-३-१९६४ से ७-१-१९६५ तक वह उसी थाने पर द्वितीय अधिकारी रहे । प्रसाद भवन, शाहजहांपुर में आई०जी० आफिस का शिविर कार्यालय नहीं खुला है और है कोई न पुलिस अधिकारी वहां जाता है और न ही वहां पर पदोन्नति या स्थानान्तरण पर विचार होता है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

वैसे तो इस मामले में सरकार ने काफी कार्यवाही कर दी हैं । हम लोगों को उससे संतोष है। दरोगा और सिपाहियों को जेल भेज दिया है । अगर यह कार्यवाहां पहले हो जाती तो प्रश्न पूछने का सवाल पैदा नहीं होता । मेरा प्रश्न इतना है क्या यह सच है कि झब्बू सिंह का झगड़ा पुलिस दरोगा, थाना कलान से कुछ दिन पहले हो चुका था ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी---

इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन झब्बू सिंह सरपंच और एक पट्टेदार का आपस में झगड़ा हुआ था । उसमें १०७/११७ की कार्यवाही हुई थी ।

श्री केशव चन्द्र सिंह (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सी० आई० डी० की रिपोर्ट इसके बारे में आ चुकी है ? यदि हां, तो जो बक्तव्य पढ़ा गया है क्या वह रिपोर्ट मिलता जुलता है या भिन्न है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

सी० आई० डी० अभी जांच कर रही है और कोई रिपोर्ट नहीं आई है । जैसे ही रिपोर्ट आयेगी हम उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री शिवकुमार---

यह सही है कि पुलिस की गोली श्री झब्बू सिंह के पैर में लगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पैर में जो लगी है उससे उनकी मृत्यु हुई है या किसी दूसरे कारण से ? पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट मृत्यु के संबंध में क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

गोली पैर में लगी और उससे बहुत खून निकला जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई, यही मेडिकल रिपोर्ट में है ।

श्री केशव चन्द्र सिंह---

झब्बू सिंह की मृत्यु किस दिन और कितने समय हुई ? और रक्त किस स्थान से लिया गया और किसने लिया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, मृत्यु १०-८-७१ को लगभग १.१८ बजे हुई । रक्त किस समय लिया और किसने लिया इसके बारे म सी०आई०डी० जांच कर रही है ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

दरोगा के गोली कहां लगी और दरोगा जब अपने थाने से गये थे तो उन्होंने डायरी में कहां जान को लिखा था और किस विषय में लिखा था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

दरोगा के गोली नहीं लगी । लाठी की चोट लगी है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

दरोगा के जो लाठी की चोटें लगीं तो उन्होंने क्या उनका डाक्टरी मुआइना कराया ? और किस अस्पताल में भरती हो कर इलाज कराया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

दरोगा फेनी सिंह के लाठी की चोटें लगीं और उसका डाक्टरी मुआइना किया गया। ११ मील पर डिस्पेंसरी है उसावां, जहां इलाज किया गया ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

सरपंच के कुल कितनी चोटें थीं और उनमें बन्दूक की गोली की कितनी चोटें थीं ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

सरपंच के कुल ८ चोटें लगी थीं ।

श्री राजमंगल पांडेय—

गोली की कितनी चोटें लगी हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

गोली की एक चोट लगी है।

श्री शिवकुमार—

जब दरोगा ने ११ मील चल कर अपनी डाक्टरी कराई, चोटों की मरहम पट्टी कराई तो झब्बू सिंह जिनक गोली की चोट लगी थी, उनक मरहम पट्टी वहां क्यों नहीं कराई और शाहजहांपुर क्यों ले गये जबकि बीच में आधा दर्जन डिस्पेंसरीज पड़ती थीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य में कहा गया है कि इसमें उपेक्षा बरती गयी ।

श्री केशवचन्द्र सिंह—

झब्बू सिंह, सरपंच का लाइसेंस किस दिन कैंसिल किया गया था ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, इसकी मेरे पास इस समय निश्चित डेट नहीं है, मगर १०७/११७ का मुकदमा पार्टियों में चल रहा था ।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि एक चोट गोली की लगी और बाकी ७ चोटें किस प्रकार की थीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

बाकी ७ चोटें खरोंच और घसीटने की थीं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ८ तारीख की रात को झब्बू सिंह का इन्तकाल शफाखाने में हो गया तो इसको देखते हुए कि जो १३-८-७१ को रिपोर्ट लिखाई गई थी

[श्री रियासत हुसैन]

थाने में दफा १४७,१४८,४२६,३०७,के अन्तर्गत तो जब वह तीन दिन पहले मर चुका था तो दफा ३०२ में क्यों रिपोर्ट नहीं लिखाई गई ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जो रिपोर्ट अप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसके भतीजे तोरन सिंह ने दी थी उसमें लिखा था कि फेनी सिंह, दरोगा ने झब्बू सिंह के गोली मार दी। उसके बाद सिपाही चौकीदार उनको थाने में ले गये और ३०२ में मुकदमा दायर हुआ। आपकी सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि इस मामले में किसी प्रकार की रियायत सरकार की तरफ से नहीं की गई है। एस० आई० को गिरफ्तार किया गया है और अन्य सिपाहियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सरकार की तरफ से किसी को बचाने का इरादा नहीं है। उसके बाद भी सी० आई० डी० द्वारा जांच हो रही है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मैं जानना चाहता हूं कि झब्बू सिंह चोट लगने के कितनी देर के बाद मरे और किस दफा के अन्तर्गत मुकदमा दायर हुआ ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

१ बजकर १५ मिनट पर हास्पिटल ले गये और ३ मिनट के बाद यानी १ बजकर १८ मिनट पर उसकी मृत्यु हो गई।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जद्दू तेली और उसकी पत्नी ने रिपोर्ट नहीं लिखाई है। तो अगर ऐसा है तो नन्दकिशोर और उसकी बीबी किस चीज में गिरफ्तार किये गये ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

वास्तविक तथ्यों की छानबीन करने के आधार पर ही उनको गिरफ्तार किया गया है। तथ्यों के आधार पर ही सरकार काम करती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यदि इसका जवाब नहीं आया है तो कृपया माननीय मंत्री जी बता दें कि झब्बू सिंह के जो चोटें लगी हैं वे किन-किन औजारों से लगी हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि कांसटेबिल की स्त्री एक बन्ध्या थी तो क्या उसका भी मेडिकल इक्जामिनेशन हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

माननीय सदस्य एक-एक प्रश्न पूछें जिससे उनका अलग-अलग उत्तर दिया जा सके।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने इसलिये एक साथ दोनों प्रश्न पूछें कि आपको बताने में आसानी हो और समय भी नष्ट न हो। अन्यथा मुझे बार-बार पूछना पड़ेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, झब्बू सिंह के गोली पैर में लगी और बाकी खरोंच और घसीटने की चोटें हैं.....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि किस-किस औजार से ये चोटें आई हैं । मेरा मतलब है लाठी-डंडा से भी उनको कुछ चोटें आई थीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

बाकी चोटें खरोंच से बता रहे हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैं मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने पढ़ देता हूं ।

1—Antimortum injuries : abrasion in the left side.

2—Compound fracture on the leg left side with bone muscle and tear lacerated and cut.

3—Gun Shot wound and entry on the right leg. . .

जरा यह साफ नहीं है । गनशाट वूंड है और इसके अलावा इस तरह की और कोई चीज नहीं है।

श्री राजमंगल पांडेय—

यह जो लेसरेटेड वूंड है और फ्रैक्चर है उससे जाहिर है कि बेरहमी से मोटे औजार से पीटा गया है । तो इस संबंध में क्या यह चीज साफ नहीं होती है जो उनका केस है कि गोली से नहीं मारा गया, डंडों से मार दिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो सी० आई० डी० की इन्क्वायरी हो रही है ।

श्री राजमंगल पांडेय—

इसीलिये कह रहा हूं कि पुलिस की हरकत थी....

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो जब सी० आई० डी० की रिपोर्ट आयेगी तो ठीक से बता सकेंगे ।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि झब्बूसिंह की जब अस्पताल में मृत्यु हुई तो उससे पूर्व उनका कोई बयान, डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया था ? उसकी मुख्य मुख्य बातों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

कोई बयान नहीं दिया ।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

इस रिपोर्ट में लिखा है कि रास्ते में न तो टांग तोड़ी गयीं या मूछें उखाड़ी गयीं या पेशाब किया गया । जिलाधिकारियों ने यह कहा कि यह रिपोर्ट आयी है । म जानना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम के अलावा और ७ चोटें लगी हैं तो जिलाधिकारियों ने रिपोर्ट भेजी है कि

[श्री शिवकुमार पांडेय]

शिकायत नहीं की गयी है, ऐसा क्यों नहीं किया कि खुद जांच करके रिपोर्ट देते कि चोट लगी है या नहीं ? ऐसा क्यों नहीं किया ? इससे मालूम होता है कि यह रिपोर्ट संदेहात्मक है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब यह सी० आई० डी० को केस गया हुआ है तो अभी कैसे जवाब दे सकते हैं ?

श्री राम लखन सिंह (जिला बस्ती)---

अभी बताया गया कि झब्बू सिंह को दारोगा जी ने गोली मारी थी और जीप में बिठा कर थाने में ले गया और दो मिनट बाद मृत्यु हो गयी, तो क्या मंत्री जी दरोगा जी को ३०२ का मुल्जिम बनायेंग कि रास्ते में ही दरोगा जी ने जीप में उनको मार डाला और थाने में ले गये ?

श्री उपाध्यक्ष---

वे तो अस्पताल में मरे ।

अब हम कल ११ बजे दिन तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, :
२३ अगस्त, १९७१ ।

नथी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३६ पर)

उत्त प्रदेश सरकार

नियुक्ति (ख) विभाग

संख्या ४२/४-६६—नियुक्ति (ख)
लखनऊ, दिनांक ६ अक्तूबर, १९७० ई०

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद ३०९ के प्रतिबंधात्मक खण्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, १९७०

भाग १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश लोक सेवा-आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, १९७० कहलायेगी।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

लागू होने की सीमा

२—यह नियमावली उत्तर प्रदेश के कार्यों से संबंधित ऐसी समस्त सेवाओं तथा पद पर लागू होगी, जिनमें भरती के लिये किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों से अन्यथा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति करना अपेक्षित हो।

इन नियमों के प्रभाव का अधिभूत होना

३—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त किसी भी सेवा नियमावली में किसी असंगत बात के होते हुये भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

परिभाषाएं

४—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) किसी सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य उस सेवा में या पद पर नियुक्त करने के लिये अधिकृत प्राधिकारी से है, तथा राज्यपाल के नियुक्ति प्राधिकारी होने की दशा में, इसके अन्तर्गत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार या उ०प्र० सरकार में सम्बद्ध विभाग के सचिव भी होंगे :

(ख) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(घ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(ङ) "सेवा नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के कार्यों के संबंध में किसी भी सेवा में या पद पर भरती को, या उस सेवा में या पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों, विनियमों या सरकारी आदेशों से है;

(च) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेंडर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह महीनों की अवधि से है ।

भाग २

पदोन्नति के लिए मानदण्ड

पदोन्नति के लिए मानदण्ड

५--(१) यदि किसी सेवा नियमावली में "सर्वथा योग्यता" (स्ट्रिक्ट मेरिट) अथवा "मुख्य रूप से योग्यता" (प्राइमरली आन मेरिट) या "समस्त पात्रता क्षेत्र से योग्यतानुसार कड़ाई से चयन" (रिगरेस सेलेक्शन आन मैस्टि फ्रामद होल आफ एलिजिबिलिटी) अथवा "सर्वथा योग्यतानुसार" या योग्यता समान होने की दशा में 'ज्येष्ठता की गणनीयता" या किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदंड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में योग्यता को आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् "योग्यता" (मैरिट) के मानदंड का पालन किया जायगा ।

(२) यदि किसी सेवा नियमावली में या तो "ज्येष्ठता" (सीनियारिटी) अथवा "ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता" (सीनियारिटी कम फिटनेस) या "अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता" (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू द रिजेक्शन आफ अनफिट) अथवा किसी भी प्रकार से अभिव्यक्त ऐसे ही किसी अन्य मानदंड की व्यवस्था हो, जिससे कि पदोन्नति हेतु चयन करने में ज्येष्ठता को आधार मानने पर मुख्यतया बल दिया जाय तो इस नियमावली के प्रारम्भ होने पर और इसके पश्चात् "अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता" (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू द रिजेक्शन आफ अनफिट) के मानदंड का पालन किया जायगा ।

(३) ऐसे समस्त मामलों में जहां कोई भी सेवा नियमावली विद्यमान न हो, अथवा जिस सेवा नियमावली में स्पष्टतया यह निर्धारित न हो कि उपनियम (१) तथा (२) में पदोन्नति के लिये उल्लिखित दो मानदंडों में से किस मानदंड का अनुसरण किया जायगा तो उस दशा में उक्त दोनों मानदंडों में से राज्यपाल द्वारा आयोग के परामर्श से निर्धारित मानदंड का अनुसरण किया जायगा ।

पात्रता की अन्य शर्तें

६--(१) उपनियम (३) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, इस नियमावली में किसी बात से, आयु, शैक्षिक या प्राविधिक अर्हताओं, अनुभव का प्रकार या सेवा की अवधि से सम्बद्ध पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों के संबंध में किसी नियमावली के किसी उपबन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(२) सेवा नियमावली में उपर्युक्त पात्रता की शर्तों के संबंध में किसी भी उपबन्ध के न होने पर, उक्त शर्तें ऐसी होंगी जिन्हें राज्यपाल आयोग के परामर्श से अवधारित करें ।

(३) यदि किसी सेवा नियमावली द्वारा पदोन्नति के लिये कोई आयु सीमा नियत की जाय तो ऐसा अभ्यर्थी जो उस रिक्ति के, जिसकी पूर्ति करना हो, होने के दिनांक पर सभी प्रकार से पात्र रहा हो, चयन के लिये पात्र बना रहा समझा जायगा, भले ही ऐसा चयन इतने बिलम्ब से हो कि इस बीच में वह अतिवय हो जाय ।

भाग ३

योग्यता के मानदण्ड से पदोन्नति की प्रक्रिया

इस भाग का लागू होना

७—यदि नियम ५ में उपबन्धों के आधार पर योग्यता के मानदण्ड से पदोन्नति करना हो तो इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा।

पात्रता सूची तैयार करना

८—नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची (जिसे इस भाग में एतद्पश्चात् "पात्रता सूची" कहा गया है) तैयार करेगा, जिसमें, यथासम्भव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे:—

१ से ५ रिक्तियों के लिए—रिक्तियों की संख्या का ५ गुना किन्तु कम से कम १५

६ से १२ रिक्तियों के लिये—रिक्तियों की संख्या का ४ गुना किन्तु कम से कम २५;

१२ रिक्तियों से अधिक के लिये—रिक्तियों की संख्या का ३ गुना किन्तु कम से कम ५० :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसे रिक्तियों के लिये, जो भरती क एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हो, की जानी हो तो प्रत्येक ऐसे वर्ष के संबंध में पृथक् पात्रता सूची तैयार की जायगी । उस दशा में भर्ती के द्वितीय तथा अनुवर्ती वर्षों के लिये पात्रता सूची तैयार करते समय, पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार रखी जायगी:—

(क) द्वितीय वर्ष के निमित्त—उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्या का योग,

(ख) तृतीय वर्ष के निमित्त—उक्त अनुपात के अनुसार संख्या और प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के निमित्त रिक्तियों की संख्याओं का योग, और इसी प्रकार आगे भी ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जिन अभ्यर्थियों को, प्रथम दृष्टया, पदोन्नति के लिये उपयुक्त न समझा जाय, उनकी गणना उक्त अनुपात के निमित्त नहीं की जायगी और उनके नाम के सामने उनके संबंध में इस प्रकार विचार न किये जाने के आशय की एक टिप्पणी लिख दी जायगी:

प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे विभागों के, जिनमें शोध-कार्य किया जाता है शोध कार्य संबंधी उच्चतर पदों की दशा में, रिक्तियों की संख्या पर विचार किये बिना समस्त पात्र अभ्यर्थियों के नाम सूची में सम्मिलित किये जायेंगे ।

स्पष्टीकरण

इस नियम में—

(क) "रिक्तियों की संख्या" का तात्पर्य ऐसी मौलिक, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों की कुल संख्या से है जो सूची "ख" के अभ्यर्थियों

का मौलिक रिक्तियों के प्रति संविलीन किये जाने की संभावना पर विचार करने के पश्चात् भर्ती के वर्ष में हुयी हो ।

(ख) 'शोध कार्य संबंधी उच्चतर पदों' का तात्पर्य उन पदों से है जिनमें शो-कार्य को हाथ में लेने और पथ-प्रदर्शन करने क लिय ऊंचे दर्जे का प्राविधिक ज्ञान तथा योग्य होना अपेक्षित हो ।

स्पष्टीकरण २

सभी प्रकार की रिक्तियों को समाविष्ट करने के लिये पात्रता की एक एकल सूची तैयार की जायगी ।

आयोग को सूचियां भेजना

९—नियुक्ति प्राधिकारी पात्रता की सीमा में आने वाले व्यक्तियों की पदक्रम सूची तथा पात्रता की सूची या सूचियां और उसमें या उनमें सम्मिलित अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियां आयोग को प्रेषित करेगा और उसे विभिन्न प्रकार की ऐसी रिक्तियों की संख्या भी सूचित करेगा जिन पर सूची या सूचियां तैयार करने के प्रयोजन से विचार किया गया हो ।

पात्रता की सूची का पुनरीक्षण

१०—यदि किसी मामले में आयोग को यह प्रतीत हो कि नियम ९ के अधीन उसे प्राप्त सूची या सूचियों में सम्मिलित नामों से अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त न हो सकेंगे तो वह नियुक्ति प्राधिकारी से उतनी अधिक संख्या में ज्येष्ठतम, अथवा सभी, पात्र अभ्यर्थियों के नाम और चरित्र पंजियां उसमें सम्मिलित करने के लिये कह सकता है जिन्हें वह उचित समझे, और नियुक्ति प्राधिकारी तदनुसार नियम ८ में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उक्त सूची या सूचियों को पुनरीक्षित करेगा ।

चयन समिति

११—नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति संघटित की जायगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(१) आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाला उसका अध्यक्ष या सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा;

(२) नियुक्ति प्राधिकारी, तथा

(३) उसी विभाग या किसी अन्य विभाग का सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई जयेष्ठ अधिकारी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकारी हों तो सामान्यतया उक्त विभाग का विभागाध्यक्ष इस खंड के अधीन नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ।

चयन के लिए दिनांक निश्चित करना

१२—(१) नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामर्श से चयन के लिये कोई दिनांक निश्चित करेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि चयन-कार्य एक या उससे अधिक दिनों तक किया जा सकता है ।

(२) यदि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी यह आवश्यक समझे कि पात्रता की सूची या सूचियों में समाविष्ट समस्त या किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिये तो नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, ऐसे अभ्यर्थियों या अभ्यर्थी को उक्त प्रयोजन के लिये उपर्युक्त दिनांक या दिनांकों पर बुलायेगा ।

(३) चयन समिति प्रत्येक मामले में अभ्यर्थियों की चरित्र-पंजियों पर वचार करेगी और किसी अन्य बात पर भी विचार कर सकती है जो उसकी राय में संगत हो ।

सूची 'क' और 'ख'

१३—(१) चयन समिति योग्यता के अनुसार निम्नलिखित रूप से दो सूचियां तैयार करेगी, अर्थात् :

(१) सूची क—जिसमें नियम ९ के अधीन आयोग को सूचित की गई स्थायी रिक्तियों के प्रति मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम होंगे;

(२) सूची ख—जिसमें नियम ९ के अधीन आयोग को सूचित की गयी अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियों के लिये सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों के नाम तथा ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, यदि कोई हों, होंगे जो नियम १६ क उपनियम (२) के अनुसार किसी विचाराधीन सूची 'ख' पर पुनर्विचार करन पर अग्रेनीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भर्ती ऐसी रिक्तियों के लिए, जो भर्ती के एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान हुई हों, की जाय तो प्रत्येक ऐसे वष के संबंध में चयन उस वर्ष के लिये तैयार की गयी पात्रता सूची से किया जायगा। ऐसी दशा में, किसी वर्ष की रिक्तियों के प्रति चुने गये अभ्यर्थियों के नाम उससे बाद के वर्ष या वर्षों की पात्रता सूची या सूचियों में से, द्वितीय और अनुवर्ती वर्षों की पात्रता सूचियों से चयन करने के पूर्व निकाल दिये जायेंगे ।

(२) उपनियम (१) में किसी बात के होते हुए भी, उस वशा में सूची 'क' को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है जब स्थायी रिक्तियों की संख्या सूची 'ख' से स्थायी रिक्तियों में लिये जाने वाले शेष अभ्यर्थियों की संख्या से अधिक न हो ।

आयोग का अनुमोदन

१४—आयोग चयन समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और तत्पश्चात् अनुमोदित सूची 'क' तथा 'ख' को नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा ।

ज्यष्ठता क्रम से प्रत्येक सूची का फिर से क्रमबद्ध किया जाना

१५—नियम १६ के उपनियम (१) के उपबन्धों तथा उपनियम (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता क्रम से सूची 'क' तथा 'ख' में से प्रत्येक को फिर से क्रमबद्ध करेगा ।

सूचियों की अवधि

१६—(१) सूची 'क' में समाविष्ट अभ्यर्थियों के नाम, जिनके लिये भर्ती के वर्ष के दौरान स्थायी रिक्तियां उपलब्ध नहीं हो सकतीं, वष क अन्त में सूची 'ख' में सबसे ऊपर उसी क्रम में स्थानान्तरित कर दिये जायगे जिस क्रम में नियम १५ के अधीन क्रमबद्ध सूची 'क' में उनक नाम आय हों ।

(२) सूची 'ख' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर, जिनके लिये वर्ष के दौरान रिक्तियां उपलब्ध नहीं हो सकतीं, प्रत्येक आगामी चयन के समय पुनर्विचार किया जायगा और यदि भर्ती के आगामी वर्ष के लिये संघटित चयन समिति का यह विचार हो कि पूर्ववर्ती चयन के उपरान्त किसी अभ्यर्थी का कार्य या आचरण उसे उक्त सूची स हटाने का औचित्य प्रदान कर सके तो वह उस सूची स उसका नाम हटा सक ती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन सूची 'ख' के लिये पहली बार हुआ है उन अभ्यर्थियों के नीचे रखे जायेंगे जो उस सूची में पहले से ही हों ।

सूची 'क' से नियुक्ति

१७--(१) सूची 'क' में समाविष्ट अभ्यर्थी स्थायी रिक्तियों के प्रति उसी क्रम में नियुक्त किये जायेंगे जिस क्रम में नियम १५ के अधीन फिर से क्रमबद्ध सूची में उनके नाम आये हों ।

(२) सूची 'क' में समाविष्ट ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिये स्थायी रिक्तियां तत्काल उपलब्ध न हों, सूची 'ख' में समाविष्ट अभ्यर्थियों के अधिमान में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति उक्त क्रम में, नियुक्त किये जायेंगे ।

सूची-ख से नियुक्ति

१८--नियम १७ के उपनियम (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची 'ख' में समाविष्ट अभ्यर्थी, अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के प्रति तथा सूची 'क' के निःशेष हो जाने पर स्थायी रिक्तियों के प्रति भी उसी क्रम में नियुक्त किये जायेंगे जिस क्रम में नियम १५ के अधीन फिर से क्रमबद्ध सूची में उनके नाम आये हों:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी को किसी समय यह प्रतीत हो कि अस्थायी या स्थानापन्न रिक्ति के प्रति नियुक्त सरकारी सेवक ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा अन्य प्रकार से सन्तुष्ट करने में असफल रहा है, तो वह उसे बिना कोई कारण दिये, उस पद पर प्रत्यावर्तित कर सकता है जिस पद से उसकी पदोन्नति हुई थी ।

मौलिकरिक्तियों में सूची 'ख' के अभ्यर्थियों का लिया जाना

१९--नियम १८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सूची 'ख' के शेष अभ्यर्थी भर्ती के आगामी वर्ष में सूची 'क' के लिये पहली बार चयन किये गये किसी अभ्यर्थी के अधिमान में, नयी मौलिक रिक्तियों के प्रति नियुक्त किये जायेंगे ।

भाग ४

पदोन्नति की प्रक्रिया

यदि अनुपयुक्त को अस्वीकृत करते हुए ज्येष्ठता मानदंड हो ।

इस भाग का लागू होना

२०--यदि नियम ५ के उपबन्धों के आधार पर, अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के मानदंड से पदोन्नति की जानी हो, तो इस भाग में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा ।

प्राप्यता सूची तैयार करना

२१--(१) सिवाय नियम २२ में की गयी अन्यथा व्यवस्था के, नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठतम पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो कि पात्रता-सूची कहलायेगी और जिसमें, यथासंभव, निम्नलिखित अनुपात में नाम दिये जायेंगे :

१ से ५ तक रिक्तियों के लिये--रिक्तियों की संख्या का दुगुना किन्तु कम से कम ५/५ से अधिक रिक्तियों के लिये--रिक्तियों की संख्या का डेढ गुना किन्तु कम से कम १०/नियम ८ के प्रतिबन्धात्मक खंड तथा स्पष्टीकरण आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस नियम में लागू होंगे ।

(२) भाग ३ में नियम शेष प्रक्रिया आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस भाग के अधीन की गयी पदोन्नति पर लागू होगी, सिवाय इसके कि भाग ३ में अभिविष्ट

सूची 'क' और 'ख' दोनों में से प्रत्येक चयन समिति द्वारा, अनुपयुक्त व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता क्रम में तैयार की जायगी और उपयुक्त समझे गये अभ्यर्थियों में से ज्येष्ठता अभ्यर्थी सूची 'क' में रखे जायेंगे ।

कुछ मामलों में चयन समिति संघठित न करने का अधिकार

२२—नियम २१ में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी दशा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या कम हो, और नियुक्ति प्राधिकारी का यह विचार हो कि ज्येष्ठतम अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये पूर्णतः योग्य है और तदनुसार कोई अतिक्रमण नहीं होता है, तो आयोग, यदि वह नियुक्ति प्राधिकारी के विचार से सहमत हो, प्रस्ताव का सीधे अनुमोदन कर सकता है । उस दशा में कोई भी चयन समिति संघटित करने की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार अनुमोदित अभ्यर्थी या अभ्यर्थीगण पदोन्नति के लिये यथाविधि चयन किये गये समझे जायेंगे ।

आज्ञा से,

एम० लाल,
मुख्य सचिव ।

संख्या ४२/४-६६—नियुक्ति (ख)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित

(१) समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

(२) सचिवालय के समस्त विभाग ।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४० पर]

गेहू की श्रेणिओं के अनुसार खरीदारी मूल्य

श्रेणी	हर प्रति कु०	करदा	अन्य पदार्थ	क्षतिग्रस्त	हल्का क्षतिग्रस्त	सिकुड़ा और कट
उचित औसत किस्म	.. ७६.००	१%	१%	२%	५%	६%
एक श्रेणी नीचे	.. ७५.००	१.५%	२%	२.५%	७%	८%
दो ,, ,,	.. ७४.००	२%	४%	३%	१०%	१०%
तीन ,, ,,	.. ७२.००	२%	४%	४%	१५%	१०%
देशी लाल उचित औसत किस्म	७४.००	१%	१%	२%	५%	६%

नोट—(१) देशी लाल गेहूं जो उचित औसत किस्म (एफ० ए० क्यू०) से नीचे की श्रेणी का है उसकी भी खरीदारी उपर्युक्त श्रेणियों के अनुसार इसी प्रकार मूल्यों में कटौती करके की जाती है।

(२) बारिश होने से जो गेहूं की चमक खत्म हो गई है उसके लिये भी सरकार ने काश्तकारों के लिये सुविधा दे दी है। २० प्रतिशत चमक खत्म होने पर कोई कटौती नहीं की जायगी और २० प्रतिशत से ऊपर चमक खत्म हो जाने पर एक रुपया प्रति कुंतल के हिसाब से ऊपर लिखी श्रेणियों में कमी करके गेहूं खरीद लिया जायगा।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १८९ एल० ए०—१९७२—८४५।